खण्ड-245, अंक-5
शुक्रवार, 18 माघ, शक संवत् 1885
(7 फरवरी, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३८५–३८९
प्रश्नोत्तर	३८९–४३५
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४३५
इंटरमीडियेट परीक्षा, १९६४ के कार्य-क्रम में छात्राओं के लिये तीन विषयों को एक विषय के रूप में रखने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	३६–४३९
उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	४३९–४७९
उत्तर प्रदेश गोशाला.विधेयक, १९६३ (जारी)	४७९–४९१
नत्थियां	४९२–५१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १०, १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५०

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गुप्तारसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गँदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह घिरट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीलाल, श्री

बद्रीप्रसाद
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बर्नासिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवार्नासिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम , श्री
बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री

रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
बिजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
बिजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ फरवरी, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

"विजिलेन्स आयोग"

**१---श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री रामकिशोर त्रिपाठी, (जिला बाराबंकी) श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को हर क्षेत्रों से दूर करने हेतु कोई vigilance कमेटी की, नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उसकी नियुक्ति का क्या आधार होगा तथा उसके कौन-कौन पदाधिकारी होंगे ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

जी हां । विजीलेन्स आयोग (vigilance commission) के ३ सदस्य होंगे । एक सदस्य राजस्व परिषद् के सदस्य के स्तर के होंगे । दूसरे जिला जज के जो कि हाई कोर्ट जज होने के लिये योग्य हों और तीसरे सदस्य एक डी० आई० जी० होंगे । पहले दो सदस्य कौन होंगे, इसका भी फैसला नहीं हुआ है । यह फैसला हो चुका है कि श्री जियाराम तीसरे सदस्य होंगे और उनके अधीन विजीलेन्स निदेशालय होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने इस सदन में अभी कुछ दिन पहले एलान किया है कि विजिलेन्स कमीशन के दो पार्ट होंगे, एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होगा और दूसरा इन्वेस्टीगेशन पार्ट होगा, तो इन तीन सदस्यों का जो आयोग होगा क्या इसी में से ऐडमिनिस्ट्रेटिव और इन्वेस्टीगेशन अलग-अलग पार्ट होंगे या अलग-अलग उसके लिये सदस्य मनोनीत किये जायेंगे और क्या जो सदस्य मनोनीत किये जायेंगे, उसमें नान-आफिशियल्स भी होंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस वक्त तो इन तीनों का ही आयोग होगा । इन्वेस्टीगेशन जियाराम जी करेंगे और वह दूसरे दोनों ऐडमिनिस्ट्रेटिव साइड देखेंगे । इस वक्त नान-आफिशियल्स को इसमें शामिल करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो यह आयोग होगा वह मिनिस्टरों के खिलाफ जो शिकायतें होंगी उनके बारे में भी जांच करेगा और क्या वह यह मुनासिब समझती हैं कि जब तक कोई नान-आफिशियल्स या इस असेम्बली का सदस्य उसमें न हो, तब तक वह सही तरीके से उसकी जांच कर पायेगा और न्याय हो सकेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

यह आयोग मिनिस्टरों की जांच नहीं करेगा । यह केवल गवर्नमेंट्स सर्वेंट्स के वास्ते है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो करप्शन की शिकायतें विधान सभा के माननीय सदस्य करते हैं क्या उनकी भी इस कमीशन द्वारा जांच की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

अगर गवर्नमेंट उस सर्वेंट्स से सम्बन्ध रखती है तो इसके पास जरूर जायगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या माननीया मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इस आयोग को जो सीधे शिकायती-पत्र प्राप्त होंगे उनकी भी जांच करने का अधिकार होगा अथवा जो सरकार शिकायती-पत्र प्राप्त करके आदेश देगी उन पर जांच करने का अधिकार रहेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

अभी इतनी सारी बातें बारीकी से तय नहीं हो पायी हैं । फार्मेटिव स्टेज में है । उसके रूल्स रेगुलेशंस अभी सब बनेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीया मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि यह जो आयोग बैठेगा यह ऐज कोर्ट बैठेगा और कोर्ट की तमाम फैसिलोटीज उसे मुहैया की जायंगी या व्यक्तिगत तौर से अलहदा कोई ढंग अख्तियार किया जायगा जिससे कि वह इस तरह की शिकायतों की जांच करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

यह सारे रूल्स इसके बनेंगे तभी इसका नक्शा सामने आयेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से वह आधार-भूत सिद्धान्त इस कमेटी को दिए गए हैं जिनक आधार पर यह कमेटी या कमीशन वर्किंग चालू करेगा और कौन-कौन-सी बातें ऐसी है जो माननीया मुख्य मंत्री जी के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न साफ नहीं हुआ ।

श्री कल्पनाथसिंह---

दो पार्ट है इसके । एक पार्ट यह है कि ऐसी कौन-कौन-सी बातें इस विजिलेन्स कमीशन के सुपुर्द की गई हैं जो तय हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वेस्टीगेशन दोनों के सिलसिले में और दूसरा पार्ट यह है कि कौन-कौन-सी बातें ऐसी हैं कि जो अभी माननीया मुख्य मंत्री के विचाराधीन हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

अभी तो इतने डीटेल में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी और देना मुनासिब भी नहीं है क्योंकि फार्मेटिव स्टेज पर चीज आज है । जब सब रूल्स वगैरह बन जायेंगे तो मैं सारी बातें बता दूंगी।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

माननीया मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि श्री जियाराम डी० आई० जी० के स्टेटस के ऊपर के स्टेटस का अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी जांच कौन करेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

उसकी जांच भी कमीशन कर सकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीया मुख्य मंत्री जी यह स्पष्ट तरीके से ऐलान करेंगी कि यह जो विजिलेन्स कमीशन स्थापित हुआ है तो जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें हों उनकी जांच हो और उनको सजा देने का अधिकार हो, क्योंकि हाई कोर्ट के स्तर के, जिला जजी के लोग इसमें सदस्य होंगे, तो क्या इस तरह का विचार रख रही हैं कि इसके लिये इस तरह का कोई विधेयक लाया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस वक्त तक तो विधेयक के बारे में कोई विचार नहीं किया है ।

तारांकित प्रश्न

सगड़ी तहसील में तकावी की माफी

*१---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा भवन की घोषणा दिनांक १७ अगस्त, १९५५ के सन्दर्भ में दैवी आपदा (नेचुरल कलेमिटी), के कारण आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के किन-किन ग्रामों की तकावी माफ की गई है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

सन् १९५५ में आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के जिन ग्रामों में तकावी माफ हुई की उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९२-४९४ पर ।)

*२---श्री उमाशंकर---

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त दैवी आपदा किसी खास (एरिया) क्षेत्र में थी अथवा छिटफुट ग्रामों में ? यदि किसी क्षेत्र में थी, तो उस क्षेत्र या क्षेत्रों का एक नजरी नक्शा क्या वे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

दैवी आपदा का प्रभाव खास क्षेत्रों में भी और छिटफुट ग्रामों में भी था। प्रभावित क्षेत्रों और ग्रामों का मानचित्र सदस्य महोदय कृपया कार्यालय में आकर देख लें ।

श्री उमाशंकर—

जिन ग्रामों की तकावी माफ हुई है तो उन लोगों की एक सूची कि किसकी-कितनी माफ हुई है वह विकास खंड के ग्राफिस में रखेंगे, क्योंकि मुझे सूचना है कि बहुत-सा रुपया इसमें वसूल कर के कर्मचारियों ने अपनी जेब में रख लिया है और फर्जी रसीद भी दे रखी है ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

जो सूचना हमने दी है उसके देखने से पता चलता है कि उसमें रकम भी दी हुई है ।

श्री उमाशंकर—

सूची तो मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विकास खंड में भी रख दी जाय जिससे पता चल सके कि कितनी तकावी माफ हुई है ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

७३,५३९ रुपया ७ आना, १० पाई तो माफ हो गये हैं अब तक के, लेकिन जो सूची है वह १९५ ग्रामों की है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जब तकावी या लगान की छूट होती है तो किस एजेंसी द्वारा किसानों को सूचना दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माल विभाग द्वारा ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार इस बात का इन्तजाम करेगी कि जितनी तकावी छूट हो उसकी नोटिस व्यक्तिगत पर्चे से दी जाय और जो ब्लाक हो वहां भी प्रतिलिपि रख दी जाय ताकि गांव समाज के प्रधान देख सकें और लोगों को बता सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील को डिफाइन करना हमारे लिये असंभव है । तहसील में जाकर पता लगाया जा सकता है, वहां पर देख लें ।

श्री कमलासिंह यादव—

तहसील पर ही लटका दें ताकि जानकारी हो जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दरियाफ्त करें, लटकाने की कौन-सी बात है ?

श्री कमलासिंह यादव—

पैसे लिये जाते हैं बताने के और अमीन मनमाने ढंग से काम करते हैं तो कम से कम कलेक्शन विभाग के सामने वह पर्चा लटका दिया जाय ताकि लोग समझ सकें कि किसकी छूट है, किसकी नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे ऐसी सूचना नहीं है कि पैसा लिया जाता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस बात को देखते हुये कि सरकार की नीति विकेन्द्रीयकरण की है, क्या सरकार उसको ध्यान में रखते हुये सूची को ब्लाकों में रखवाने की कृपा करेगी जिससे कि लोगों को सुविधा हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

इसका मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आज से ८–१० साल पहले यह कायदा था कि जो छूट दी जाती थी बाढ़ आदि के कारण तो किसानों को पर्चियां बांट दी जाती थीं। तो क्या उस प्रथा को सरकार फिर से चालू करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

मैंरी राय में जो अमीन होता है वह बता देता है कि किसको कितनी छूट मिली है ।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

तहसीलों में जो रेकार्ड रखवाया जाता है वहां पर लोगों को आकर मालूम करने में बहुत दिक्कत पड़ती है ...

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न, माननीय मन्त्री जी, यह है कि काश्तकारों को तहसील में आकर मालूम करने में बड़ी असुविधा होती है और उनको सूची वहां पर देखने को नहीं मिलती, तो उनकी सुविधा के लिये क्या आप ब्लाकों में सूची रखवाने की कृपा करेंगे, या और कोई तरीका इसके लिये अख्तियार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं इन्सट्रक्शन्स ईशू कर दूंगा फिर से इसके लिये कि वे बतायें लोगों को ।

बरेली जिला परिषद् को शिक्षा अनुदान

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली जिला परिषद् को गत ५ वर्षों में शिक्षा के लिये कितना अनुदान दिया गया, उसमें परिषद् को कितनी बचत हुई और उसका क्या उपयोग किया गया ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश) —

आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ४९५ पर।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया सन् १९५८ से १९६२-६३ तक दिया गया है इसमें टीचर्स के ग्रेड, इन्क्रीमेंट्स तथा प्राविडेंड फंड का रुपया भी है और वह कितना है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

इसकी इस वक्त जानकारी नहीं है, लेकिन ५ रुपया प्रतिमास का जो भत्ता दिया गया था, वह इसमें नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

मेरी इस सूचना को सही मान कर कि वहां पर टीचर्स को सन् १९५८-५९ से कोई इन्क्रीमेंट नहीं मिला है और जो प्राविडेंट फंड का रुपया काटा जाता था वह भी नहीं काटा गया है और उस रुपये को बचा कर दूसरे भवनों के निर्माण में खर्च कर दिया गया है, क्या सरकार तुरन्त कोई आदेश देगी कि उनके इन्क्रीमेंट तथा प्राविडेंट फंड आदि का रुपया सब दे दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश —

इस बात की जांच कराने के बाद जो आवश्यक होगा, उसके लिये आदेश दे दिये जायेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनावर्तक अनुदान में बची हुई जो ७२,६०० रुपये की रकम ब्लाकों को हस्तान्तरित की गयी है वह किन नियमों के मातहत को गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अधिकांश तो यह अनुदान भवन निर्माण या अध्यापकों के आवास-गृह निर्माण के लिये ही है।

और अब जिला परिषद् तथा क्षेत्र समितियों के अधिनियम के अन्तर्गत ब्लाकों को भी यह कर दिया गया है, अतः जो धन भवन निर्माण हेतु बचा हुआ था उसको हस्तान्तरित कर दिया गया है।

सिधौली तहसील में खसरों में दुरुस्ती इन्दराज

*४—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर) —

क्या सरकार को ज्ञात है कि मार्च-अप्रैल, १९६३ में सुपरवाइजर कानूनगो परगना दक्षिणीकोणरी तहसील सिधौली (सीतापुर) ने चार हजार व्यक्तियों के कब्जों की (भूमि पर कब्जा होने की) जांच की है ? यदि हां, तो उसमें कितने हजार कब्जों को दुरुस्त किये जाने की रिपोर्ट किस तारीख में किस उच्च अधिकारी को भेजी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जनवरी से मार्च, १९६३ तक लगभग ४,००० कब्जों की जांच की गई। अप्रैल मास में यह कार्य नहीं हुआ। इन सभी मामलों में सुपरवाइजर कानूनगो ने काबिजदारों के नाम सम्बन्धित खसरा अभिलेखों में स्वयं इन्दराज कर दिये।

१३५८ कब्जों के सम्बन्ध में काबिजदारों के नाम खतौनी के वर्ग ४ और ९ में कृषि-काल के आधार पर सुपरवाइजर कानूनगो ने स्वयं दर्ज करा दिये।

शेष कब्जेदारों के सम्बन्ध में सुपरवाइजर कानूनगो द्वारा अग्रिम कार्यवाही इसलिये नहीं की गई क्योंकि सम्बन्धित क्षेत्र में भूचित्र पुनरीक्षण (Map Correction) का कार्य आरम्भ होने के कारण, इस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई। सब अशुद्धियां इस पुनरीक्षण (Map Correction) में उचित रूप में से ठीक हो जायेंगी।

देवरिया तहसील से हरिजनों को बसाने के लिये प्रार्थना

*५—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) —

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भेंड़ी तहसील व जिला देवरिया के बाढ़ पीड़ित हरिजनों ने दिनांक १३ अक्तूबर, १९६२ को रजिस्ट्री द्वारा मुख्य मन्त्री के पास प्रार्थना-पत्र भेज कर जिला गोरखपुर तहसील महराजगंज की तराई में बसने के लिये भूमि प्राप्ति की याचना की थी? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामकुमार शास्त्री —

जी हां। ग्राम भेंड़ी तहसील व जिला देवरिया के बाढ़-पीड़ित हरिजनों ने अपने १२ अक्तूबर, १९६२ के प्रार्थना-पत्र में इस सम्बन्ध में निवेदन किया था। आवश्यक जांच की गई और यह पाया गया कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में नटवा जंगल के आस पास कोई ऐसी बंजर भूमि उपलब्ध नहीं है, जहां पर उक्त हरिजन परिवारों को बसाया जा सके।

श्री मंगलदेव—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि प्रदेश में उनके बसाने लायक या खेती करने लायक जहां जमीन हो वहां पर शीघ्रातिशीघ्र उनको बसाने की कृपा की जायगी, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर में?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

उनके बसाने के लिये जमीन एक्वायर की जा रही है, उसे कर लेंगे तो देखेंगे। सूबे भर में कहां-कहां पता लगायें?

श्री कल्पनार्थसिंह —

गोरखपुर की महाराजगंज तहसील में जहां पर जमीन बतायी जाती है, वहां के कौन-कौन से जंगलों के आस-पास की जमीन की जांच करायी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जिसके बारे में दरख्वास्त दी गयी थी, उसकी जांच करायी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) —

क्या माननीय माल मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इन बाढ़-पीड़ित हरिजनों को बसाने के लिये कब तक वे जमीन दे सकेंगे, दो साल तो उनको हो गये? क्या इसकी कोई गारन्टी वे देंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

गारन्टी तो नहीं लेकिन अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायगा।

श्री मंगलदेव —

आपकी उपनिवेशन योजना पीलीभीत और लखीमपुर में चल रही है, वहां लाखों एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है, क्वार्टर भी बने हुये हैं, क्या माननीय मन्त्री जी उसमें से इन हरिजनों को कोई गुंजाइश नहीं कर सकते?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आपने सवाल उठाया है अब हम देख लेंगे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते।

उन्नाव जिला परिषद् के अध्यापक

*६—श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव) तथा श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

उन्नाव जिला परिषद् के भंग हो जाने के पश्चात् कितने अध्यापक एवं अध्यापिकायें परिषद् की सेवाओं से पृथक किये गये और कितने स्कूल तोड़े गये ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने अध्यापकों को कितने माह का वेतन देना बाकी है और उसके भुगतान के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश —

उन्नाव जिला परिषद् के भंग होने पर १९८२ अध्यापक तथा २२२ अध्यापिकायें सेवा से पृथक की गयी थीं, और कुल १८० स्कूल तोड़े गये थे।

सेवा से पृथक किये गये अध्यापकों का सितम्बर, १९६२ से मई, १९६३ तक का वेतन बकाया हो गया था। परिषद् द्वारा ऋण ले कर तथा अन्य प्रकार से ८ लाख रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है और उन अध्यापकों को जिन्होंने वास्तव में कार्य किया था, पूर्ण जाँच के पश्चात् वेतन दिया जा रहा है।

उन्नाव जिला परिषद् को अतिरिक्त अध्यापक

*७—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ और १९६३-६४ में अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव के अन्तर्गत छात्रों की वृद्धि के अनुपात से अतिरिक्त अध्यापक बढ़ाने की स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी जबकि अन्य जिलों को यह सुविधा प्रदान की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अतिरिक्त अध्यापकों के वितरण का आधार सब जिला परिषदों के लिये एक ही रक्खा गया है। १९६१-६२ में उन्नाव जिला परिषद् को, ४८ १९६३–६४ में ६७ अतिरिक्त अध्यापक दिये गये हैं। किन्तु १९६२–६३ में परिषद् को अतिरिक्त अध्यापक नहीं दिये जा सके क्योंकि उस वर्ष परिषद् के शिक्षा सम्बन्धी मामलों में बहुत अनियमितताये थीं, जिनके कारण वास्तविक स्थिति और परिषद् की आवश्यकताओं की जानकारी नहीं हो सकती थी।

*८—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या यह सच है कि १९६३ में उन्नाव जिले की अन्तरिम परिषद् के मातहत प्राइमरी स्कूलों के छात्रों की संख्या १ लाख ११ हजार ५५४ है ? यदि हां, तो ४० छात्र पर एक अध्यापक के अनुपात से उन्नाव जिले में २,७७९ अध्यापकों के बजाय १९६३–६४ के बजट के अनुसार केवल १,९०८ अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था क्यों की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

दिनांक ३१ मार्च, १९६३ को जिला परिषद्, उन्नाव के प्राथमिक स्कूलों की छात्र संख्या १,११,५४४ थी। पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की व्यवस्था धनाभाव के कारण, परिषद् के १९६३–६४ के आय-व्ययक में नहीं की जा सकी थी। अगस्त, १९६३ से जिला परिषद् उन्नाव को १७ अतिरिक्त अध्यापक तथा दिसम्बर, १९६३ से ५० अतिरिक्त अध्यापक दिये गये हैं। साथ ही सितम्बर, १९६३ से दो पाली योजना (Double shift system) लागू की गयी है।

सूचना मिली है कि इन उपायों से परिषद् के अन्तर्गत अध्यापकों की कमी की समस्या का समाधान हो गया है।

रजवाड़ी-सैदपुर सड़क निर्माण

*६—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में रजवाड़ी-डवरूगढ़ रोड बनाने के लिये एक नक्शा तैयार किया गया था, जिसके बदलने के लिये कहा गया तो सरकार ने यह आश्वासन दिया कि वह प्लान बदला नहीं जा सकता, परन्तु अब विशेष दबाव के कारण प्लान बदला जा रहा है, नियमों के विरुद्ध पेड़, कुयें, मकानों से होकर सड़क बनाई जा रही है, तो यह परिवर्तन किसके आदेश से और क्यों किया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

माननीय सदस्य का आशय रजवाड़ी-सैदपुर मार्ग से प्रतीत होता है। यह सही है कि सरकार ने कहा था कि इस सड़क का नक्शा जो तैयार किया गया था वह बदला नहीं जा सकता है। यह सड़क राष्ट्रीय मार्ग है और इसके मील २२ से २४ में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन मोड़ को ठीक करने तथा रेलवे क्रासिंग में सुधार हेतु केन्द्रीय सरकार के कन्सल्टिंग इन्जीनियर के आदेशानुसार किये गये हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि जो पहले रेलवे क्रासिंग बना था उसके करीब दो फर्लांग की दूरी पर यह दूसरा बनाया जा रहा है और उसके लिये नयी सड़क बनायी जा रही है। यह तब्दीली इसलिये की गयी थी कि वह पहले कस्बे के बीच में से जाता था। लेकिन अब जो नया मोड़ लिया जा रहा है वह एक गांव के बीच में से लिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बहुत से मकान, कुयें और पेड़ वगैरह आ रहे हैं। तो क्या सरकार इस असुविधा को देखते हुये, जैसे पहले खेतों के बीच में सड़क जा रही थी उसी प्रकार से ले जाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, सड़क के एलाइनमेंट में कुछ सुधार हुआ है और यह केन्द्र के जो कन्सल्टिंग इंजीनियर थे उनके आदेश से किया गया है। अगर कोई ऐसी बात माननीय सदस्य बतायेंगे जिससे वहां के रहने वाले या काश्तकारों को असुविधा होती हो तो उसको कम करने के लिये हमेशा हम तैयार हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

इस सम्बन्ध में जो मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है वह बाजार वेल्यू से बहुत कम दिया जा रहा है, तो क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में आदेश देंगे कि मार्केट वेल्यू के हिसाब से मुआवजा दिया जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुआवजा देने के जो नियम हैं उनके अन्तर्गत अधिक से अधिक हमदर्दी हमारी किसानों के साथ होगी।

हाजी रमजान खां जूनियर हाई स्कूल, पुरवा के अध्यापकों की योग्यता पर एतराज

*१०—श्री रियासत हुसैन —

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा ६ से ८ तक कक्षाओं को जनरल साइन्स, आर्ट तथा संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों की कम से कम योग्यता क्या होनी चाहिये ?

श्री कैलाश प्रकाश—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९६ पर)।

*११—श्री रियासत हुसैन—

यदि हां, तो क्या मन्त्री जी डी० आई० ओ० एस०, उन्नाव को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कूल के क्वालीफाइड अध्यापकों पर एतराज न किया जावे, जब कि उन्हीं योग्यता के अध्यापक अन्य हाई स्कूलों में हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश —

प्रश्न संख्या १० के उत्तर में उल्लिखित न्यूनतम योग्यताधारी अध्यापकों की नियुक्तियों पर आपत्ति नहीं की जाती है।

श्री रियासत हुसैन —

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि हाजी रमजान खां जूनियर हाई स्कूल, पुरवा, उन्नाव के टीचर्स के मुताल्लिक जरूरी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी एतराज किया गया है ? तो क्या वह आदेश देंगे कि एतराज न किया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि जो योग्यता निर्धारित है उस योग्यता के यदि टीचर्स होते हैं तो उस पर एतराज नहीं किया जाता, परन्तु यदि वह किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बतायेंगे तो कार्यवाही की जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो जिस विशेष स्कूल में एतराज किया गया उस का नाम बता रहा हूं। तो क्या मन्त्री जी उस स्कूल के बारे में फिर से जांच करा के पुन : विचार करेंगे ? उस स्कूल का नाम है हाजी रमजान खां जूनियर हाई स्कूल, पुरवा, उन्नाव।

श्री कैलाशप्रकाश—

योग्यता तो व्यक्ति की होती है स्कूल की नहीं, इसमें तो शिक्षकों की निर्धारित योग्यता की बात है, मैंने निवेदन किया यदि वह किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में बतायेंगे कि उस की योग्यता है और एतराज किया गया है तो उस के केस पर विचार किया जायगा।

व्यास इन्टर कालेज, कालपी के मैनेजर, श्री श्री प्रकाश जैतली के विरुद्ध शिकायत

*१२—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार को मालूम है कि कालपी, जिला जालौन, व्यास इण्टर कालेज के मैनेजर श्री श्रीप्रकाश जैतली के आचरण के खिलाफ हाई कोर्ट ने यह रिमार्क दिया है कि इन्हें किसी भी

शिक्षा संस्था का प्रधान नहीं बनाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध शिकायतें अब भी मौजूद हैं और इस कालेज की व्यवस्था अब भी ठीक नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में स्कूल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश---

माननीय हाई कोर्ट द्वारा किसी रिमार्क की सूचना विभाग को नहीं है ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री शिवसम्पति शर्मा---

सरकार को जानकारी है कि माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द के काल में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई दरख्वास्त दी गई थी कि उनको माफ कर दिया जाय ? और मेरा कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ हुआ है और उस पर कार्यवाही हुई है और जवाब सही नहीं आया है । इसलिये कृपा करके आप इस प्रश्न को आगे के लिये स्थगित कर दें ।

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, मेरी जानकारी में यह तो है कि विभाग की ओर से श्री जैतली के खिलाफ एक आदेश हुआ था और उस के बाद उस आदेश को विभाग से निरस्त किया गया था । लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं है कि हाई कोर्ट का कोई फैसला हुआ था; माननीय सदस्य की जानकारी अगर है तो उसकी सूचना वह मुझे दे दें ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, सैदपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच

*१३---श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला के अन्तर्गत राजकीय दीक्षा विद्यालय, सैदरपुर, के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश ---

जी हां । उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी, इस मामले में जांच कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री रघुवीर---

क्या शिक्षा मन्त्री जी शिक्षा उपनिदेशक की जांच खत्म होने के बाद उनकी रिपोर्ट फिर से सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश ---

जो रिपोर्ट आयेगी उसको तो सम्भवत : सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता न होगी लेकिन इतना मैं बता दूं कि उन प्रधानाचार्य को निलम्बित करने के आदेश जा रहे हैं और उसके बाद ही यह पूछतांछ की जायगी ।

श्री रघुवीर—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ यह प्रार्थना-पत्र दिया है, उनके क्या नाम हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या चार्ज लगाये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिन सज्जनों के द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके कुछ के नाम ये हैं : श्री सूर्य पांडे, श्री कृपाशंकर श्रीवास्तव, श्री इन्द्रजीत सिंह, श्री श्याम नाथ चौरसिया, श्री भूपेश प्रकाश गुप्त, और कुछ टीचर्स श्री० म० प्रसाद, श्री श्याम चरण और श्री बृज मंगल राय। शिकायतें खिलाफ जो हैं वे भ्रष्टाचार, रिश्वत लेकर एच० टी० सी० की परीक्षा में परीक्षार्थियों को सामूहिक रूप से नकल कराने की हैं और कुछ विद्यालय का सामान अपने निजी लाभ के लिये इस्तेमाल करने की हैं।

बस्ती एवं बहराइच जिलों में ट्रान्स राप्ती एरिया के लिये व्यवस्थापित कार्य

*१४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन), श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रांस राप्ती एरिया में बस्ती जिले के यातायात के लिये १,००,००,००० तथा ५०,००,००० रुपये के बीच सरकार खर्च करने जा रही है? यदि हां, तो ट्रांस राप्ती एरिया के जिला बहराइच में उक्त विषय पर सरकार कितना खर्च करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत —

जी हां। बहराइच जिले में ६८, ५४ लाख रुपये की अनुमानित लागत के कार्यों की व्यवस्था है।

*१५—श्री विजयसिंह, श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार मैनपावर स्कीम और दूसरी स्कीमों का खर्च अलग-अलग बताने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत —

बस्ती तथा बहराइच जिलों में ट्रांस राप्ती एरिया में व्यवस्थापित कार्यों पर व्यय का विवरण:

जिला बस्ती :

	लाख रु०
(१) स्पिल ओवर स्कीम	११.०६६
(२) तराई क्षेत्र विकास योजना	९७.२०
(३) मैनपावर स्कीम	१.१०

जिला बहराइच—

(१) स्पिल ओवर स्कीम ..	३.३४
(२) तराई क्षेत्र विकास योजना	६५.२०

श्री विजयसिंह—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ११ लाख रुपया बस्ती जिले में और ३.३४ लाख बहराइच जिले में व्यय हुआ है यह बटवारा किस आधार पर किया गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

स्पिल गोवर में बटवारे का कोई प्रश्न नहीं उठता। स्पिल ओवर में यह होता है कि जो काम शुरू कर देते हैं वह अगर अधूरा रहता है तो उसके बाद जो रुपये की आवश्यकता होती है वह अगले वर्ष में ले लेते हैं। इसलिये बटवारे का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती, बहराइच और गोंडा जिलों के पिछड़े इलाके के यातायात के विकास के लिए एक स्कीम बनायी गयी है ? और उसमें कितनी मुख्य सड़कें हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत —

बस्ती और बहराइच जिलों के बारे में अगर पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूं परन्तु गोंडा जिले के बारे में मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं है, क्योंकि इस जिले के बारे में सवाल में कोई जिक्र नहीं था।

श्री मुन्नूसिंह —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैनपावर स्कीम जो बहराइच में भी लागू है उसके लिये एलाटमेंट ट्रांस राप्ती एरिया में क्यों नहीं किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैन पावर स्कीम प्लानिंग डिपार्टमेंट के आधीन है और वे, जो वहां की परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार एलाटमेंट करते हैं।

श्री मुन्नू सिंह—

श्रीमन्, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वही राप्ती जो गोरखपुर व देवरिया में तूफान पैदा कर देती है वह बहराइच में पानी बाहर नहीं फेंकती जो वहां पर मैन पावर लागू नहीं की गयी है। पहली बार मुझे इस सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री ने आश्वासन भी दिया था परन्तु फिर भी कुछ नहीं हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैन पावर स्कीम में जो धन है और जो सड़कें हैं उनकी व्यवस्था प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। हमको तो जो आदेश दिया जाता है उसी सड़क को हम बनवा देते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

तराई क्षेत्र विकास योजना पर जो ९७.२० लाख रुपये खर्च होने जा रहे हैं तो इस योजना में कौन-कौन से जिले शामिल हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तराई क्षेत्र में तो तराई के जिले हैं, खास कर पूर्व के जिले हैं, वे इसमें शामिल हैं।

घटियाघाट-विचपुरिया घाट सड़क

*१६—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा व रामगंगा के बीच जो घटियाघाट से विजपुरिया घाट तक पक्की सड़क है और जिस पर इस समय की आई बाढ़ में बहुत सी जगह कटकर गड्ढे हो गये हैं, उसे ठीक कराने में कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

लगभग १०,००० रुपये।

*१७—श्री महरार्मासिह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को मालूम है कि शाहजहांपुर और फतेहगढ़ के बीच यातायात के लिये यही एक पक्की सड़क है ? यदि हां, तो इस सड़क को ठीक कराने की तुरन्त व्यवस्था करेंगे ताकि फतेहगढ़ से शाहजहांपुर बरेली के लिये रोडवेज चलने में कठिनाई न पड़े ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। सड़क के कटे हुये स्थानों पर मरम्मत का काम प्रारम्भ हो चुका है। यातायात की सुविधा हेतु उक्त स्थानों पर डाइवरशन बना दिये गये हैं जिससे यातायात में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री महरार्मासिह—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इस सड़क के कट जाने के इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या कारण हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

एक तो पानी के बहाव से सड़क डूब जाने के कारण सड़क कट गयी।

श्री महरार्मासिह—

इसी साल नवीन पुलिया बनाई गयी और उसके टूट जाने में क्या यह सत्य है कि उसमें सीमेंट कम लगाया गया और गलत मसाला लगाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यदि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो माननीय सदस्य मेरी सहायता करेंगे मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

यह जो रोड है बाढ़ के समय वाटर लेबिल से नीचे रह जाती है जिससे हर दूसरे या तीसरे साल यह कट जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह एक कारण है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह सड़क दो नदियों को पार करती है गंगा और रामगंगा को तो क्या जनता की, मांग आई है कि इस सड़क पर रोडवेज को चलाने के लिये इन नदियों पर पुल बनाने की निहायत आवश्यकता है, और सरकार पुल बनाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ख्वाहिश हमारी भी है कि पुल बन जाय। जैसे ही पैसा मिल जायगा हम जरूर इस पर विचार करेंगे।

श्री दयाराम शाक्य—

यह सड़क नीचे पर है और इसके कारण ही पुलिया और सड़क कट जाती है, तो क्या सरकार इस पूरी सड़क को ऊंचा बनाने की कोशिश करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जरूर इस पर विचार करेंगे और सम्भव होगा तो जरूर इसे ऊंचा करेंगे।

बीसलपुर तहसील में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*१८—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बाढ़ के कारण जिला पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील बीसलपुर के ग्राम मुडिया कुन्डरी, कबूलपुर, सेरगंज, उचरिया, बीरमपुर, महुआ हीरापुर दुही, पटनिया कितनापुर, कधरापुर, रढ़ैला, शाहबाजपुर, इत्यादि ग्रामों में कई सौ एकड़ भूमि फसल तथा जन-धन की हानि हुई है इस सम्बन्ध में क्या कोई प्रार्थना-पत्र सहायतार्थ माह अगस्त में दिया गया? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

पीलीभीत जिले की तहसील बीसलपुर के कुल ६९ ग्रामों में जिनमें प्रश्न में उल्लिखित ग्राम भी सम्मिलित हैं, इस वर्ष बाढ़ के कारण क्षति पहुंची, और इस सम्बन्ध में माह अगस्त में केवल एक प्रार्थना-पत्र ग्राम चौंसर हरदो पट्टी के निवासियों का प्राप्त हुआ था। प्रभावित ग्रामों में जांच के पश्चात् मालगुजारी, सिंचाई एवं तकावी के मतालबों की वसूली रोक दी गई थी।

*१९--श्री दुर्गाप्रसाद---

क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों की समुचित जांच कराके उनको पूर्णरूपेण बसाने की तथा जिनकी भूमि नदी में कट गयी तथा या जिनकी फसल नष्ट हो गयी, उनको लगान इत्यादि स माफ करने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो क्या और कब तक?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां, उचित व्यवस्था की जा रही है। नदी के कटाव से केवल ग्राम शाहवाजपुर रड़ैता हीरापुर द्योही, महुआ, शेखापुर एवं मुडियां कुंडरी प्रभावित हुये थे। रड़ैता, महुआ शाहवाजपुर, तथा हीरापुर द्योही के पीडितों को बसाने के लिये चकबन्दी के समय भूमि निश्चित की जा चुकी है। शेखापुर एवं मुंडिया कुंडरी के पीड़ितों के लिये भी नयी भूमि चुन ली गयी है और उस भूमि की प्राप्ति की कार्यवाही पूरी होने पर पीड़ितों को भूमि वितरण की जावेगी। बाढ़ से फसलों की हुई हानि के फलस्वरूप नियमों के अन्तर्गत यथासमय प्रस्ताव आने पर मालगुजारी में छूट दी जावेगी। कटाव से प्रभावित भूमि की मालगुजारी में भी सहायता देने हेतु नियमों के अन्तर्गत रबी परताल के पश्चात् ही विचार किया जावेगा।

*२०--श्री दुर्गाप्रसाद---

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त ग्रामों में तकाबी सहायता प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम वार कितनी दी गयी और उनकी शेष समस्याओं को हल करने को कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उपरोक्त कथित ६९ प्रभावित ग्रामों में से ११ गांवों में १५,००० रु० की तकाबी वितरण की गयी जिसकी ग्रामवार †सूची संलग्न है। तकाबी वितरण तथा मालगुजारी में छूट एवं पुनः बसाने की योजना के अतिरिक्त पीड़ितों को गृह निर्माण सहायता भी दी गई। इसके अतिरिक्त और कोई योजना आवश्यक प्रतीत नहीं होती।

---

†छापी नहीं गई।

गांधी इंटर कालेज, मारूफपुर में हिन्दी प्रवक्ता की अवैध नियुक्ति

*२१--श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गान्धी कालेज, मारूफपुर, पो० रामपुर, जिला आजमगढ़ में २३ सितम्बर, १९६२ को हिन्दी प्रवक्ता की नियुक्ति हुई थी जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने नामंजूर कर दिया था ? यदि हां, तो क्या नामंजूरशुदा अध्यापक को पूरे वर्ष का वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां। सत्र के मध्य में कोई योग्य अध्यापक न मिलने के कारण उन्हें १४-४-६३ तक अस्थायी रूप से रखना पड़ा और वेतन दिया गया।

*२२--श्री मदनपालसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कूल की प्रबन्ध समिति ने पुनः ७ जुलाई , १९६३ को अपनी बैठक में नामंजूर शुदा उसी अध्यापक को नियुक्त कर लिया है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ? क्या किसी अध्यापक ने ८ सितम्बर, १९६३ को जि० वि० निरीक्षक को उक्त नियुक्ति को अवैध करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

शिक्षा निदेशक ने प्रबन्धक को लिखा है कि वे इस अध्यापक को तुरन्त पृथक कर दें।

श्री मदनपालसिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि यह जो आदेश प्रबन्धक को भेजे गये हैं उसकी क्या तारीख है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जो नियुक्ति २३ सितम्बर, ६२ को हुई है उस नियुक्ति में उस दिन के चुनाव में और कितने उम्मीदवार शामिल हुए थे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

पूरा व्योरा इसमें उसका प्राप्त नहीं है। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि वह अनक्वालिफाइड थे इसलिये उनका एप्रूवल जिला विद्यालय निरीक्षक ने नहीं किया। माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि नियुक्तियों का कार्य प्राइवेट संस्थाओं में वहां की मैनेजिंग कमेटी द्वारा होता है। उसके पश्चात् वह जिला विद्यालय निरीक्षक के पास एप्रूवल के लिये जाती है। वह उनको देख कर उनका एप्रूवल करते हैं या नहीं करते हैं। उन्होंने एप्रूवल नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन् यह उत्तर भ्रमात्मक है। मेरा प्रश्न यह था कि योग्य व्यक्ति रहते हुये उस अध्यापक को रखा गया, उत्तर यह दिया गया है कि कोई अध्यापक न मिलने के कारण इनकी नियुक्ति की गयी है। हमको यह जानकारी है कि योग्य व्यक्ति चुनाव में शामिल थे फिर भी इनको रखा गया और जब योग्य उम्मीदवारों ने चिट्ठी दी तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनकी नियुक्ति नामंजूर कर दी। फिर भी साल भर मैनेजिंग कमेटी ने अयोग्य व्यक्ति को रख कर क्यों पैसा खर्च किया, इसकी सफाई की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

वे तो सफाई यह दे रहे हैं कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में नियुक्ति प्रबन्धकों द्वारा होती है। वे कहते हैं कि उन्होंने नियुक्ति की और उसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आयी..

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं भी यही कह रहा हूं कि जरा सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि वह कसूर तो प्रबन्धक समिति का है...

श्री रामसुन्दर पांडेय ---

माननीय मन्त्री जी जानबूझ कर ऐसा जवाब दे रहे हैं, यह मैं कैसे कहूं, आक्षेप मैं करना नहीं चाहता। चुनाव का यह तरीका इस वक्त है कि मैनेंजिग कमेटी चुनाव करती है....

श्री अध्यक्ष---

मैनेंजिग कमेटी एक चुनाव समिति मुकर्रर करती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय ---

प्रपत्र में जितने उम्मीदवार आते हैं सब के बारे में प्राथमिकता दे कर जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भेजा जाता है और वह उसमें से किसी को मंजूर करता है और किसी को नामंजूर करता है। तो जिसको प्राथमिकता दे कर भेजा उसे उसने नामंजूर कर दिया। अब नामंजूर करने के बावजूद भी मैनेंजिग कमेटी ने उसी को साल भर अध्यापक रखा जबकि चुनाव में उससे योग्य व्यक्ति शामिल थे। तो योग्य उम्मीदवारों के रहते हुये भी मैनेंजिग कमेटी ने जिला विद्यालय निरीक्षक की अस्वीकृति के बाद उस अयोग्य व्यक्ति को क्यों रखा ?

श्री अध्यक्ष---

आप सवाल यह कीजिये कि योग्य व्यक्तियों के रहते हुये ऐसे अध्यापक को रखा तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रामसुन्दर पांडेय ---

जी हां।

श्री कैलाशप्रकाश ---

श्रीमन्, पूरी सूची, जिन्होंने प्रपत्र दिये थे, उनकी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यह मैं आभारी हूं कि आपने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। मैनेंजिग कमेटी एक समिति नियुक्त करती है। वह तमाम प्रपत्र दे कर किसी को नियुक्ति करती है और आदेश यह है कि वह समस्त कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भेज दे। कभी कभी ऐसा होता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के पास यह समिति पूरे कागजात नहीं भेजती है, इसलिये जिला विद्यालय निरीक्षक उनको लिखते हैं और उसमें कुछ समय लग जाता है। जब उनके पास तमाम कागजात पहुंच जाते हैं तब वे इस बात को देखते हैं कि यह नियुक्ति सही हुई या नहीं। यहां स्पष्ट है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस नियुक्ति को ठीक नहीं माना और उन्होंने नियुक्ति रद्द कर दी। किन्तु एक बात भी अपनी जगह स्पष्ट है कि यदि कहीं किसी प्रबन्ध समिति से थोड़ी सी गलती हो जाती है तो उसके प्रति चाहे जो भी व्यवहार किया जाय लेकिन विद्यार्थियों का भी खयाल रखना पड़ता है। यदि इस कार्यवाही में कुछ देर लग जाती है और नवम्बर, दिसम्बर तक यह बात पहुंच जाती है तो यह उचित समझा जाता है, विद्यार्थियों के हित को दृष्टि में रखते हुये, कि उन्हीं मास्टर को चलने दिया जाय वरना फिर से एडवरटाइजमेंट करने, एप्लीकेशंस मंगाने और नियुक्ति करने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिये विशेष बात यह है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई के हित को दृष्टि में रखा जाय।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस अध्यापक की नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने नामंजूर किया है, उसके बाद भी उसको भुगतान किया गया है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा ?

श्री अध्यक्ष---

आप जवाब नहीं समझे।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, इस प्रकार की धांधली तमाम विद्यालयों में हो रही हे और जिला विद्यालय, निरीक्षक की नामंजूरी के बाद भी ऐसे अध्यापकों को रखा गया है। इसको दृष्टि में रखते हुये, मन्त्री क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बताया कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं और लड़कों की पढ़ाई का भी ख्याल रखना पड़ता है।

मेरठ-गाजियाबाद सड़क पर पुलियों का निर्माण

*२३---श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ और गाजियाबाद के बीच सड़क की कितनी पुलियों का नवनिर्माण किया गया है ? इनमें से कितनी पुलियां ऐसी हैं जो ऐसी जगहों पर पुन: बनायी गयी हैं जिनके नीचे से पानी निकलने की कोई सम्भावना नहीं है ? इन पर क्या खर्च हुआ है ? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि १९५६ की बाढ़ में उक्त सड़क गुलधर व मोती के पास पानी के बहाव की वजह से टूट गई थी और अब की बारिश में भी वही टूट गई है ? क्या सरकार सड़क के इस हिस्से को ऊंचा करने और उस जगह पर पुलिया बनाने का विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मेरठ और गाजियाबाद के बीच कुल ३३ पुलियों का नव निर्माण किया जा रहा है। ऐसी कोई पुलिया नहीं बनाई जा रही है जिसके नीचे से पानी निकलने की सम्भावना न हो। पुलियों के निर्माण पर नवम्बर, १९६३ तक १,३४,०२० रु० व्यय हो चुके हैं। उक्त सड़क १९६३ की वर्षा में गुलधर व मोरटा ग्रामों के बीच ५ फर्लांग की लम्बाई में डूब गई थी एवं खराब हो गई थी। सड़क के इस भाग को ऊंचा करने का आयोजन कर दिया गया है।

श्री तेजसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ३३ पुलियों के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी और आदेश देते समय क्या यह देख लिया गया कि हर एक पुलिया की उस जगह पर जरूरत है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सब की जरूरत के ऊपर विचार करने के बाद ही आदेश दिये गये थे।

श्री तेजसिंह---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गाजियाबाद के निकट मेरठ चुंगी पर जो पुलिया बनाई जा रही है, उसके पश्चिम की तरफ एक भट्ठा लगा हुआ है और पूरब की तरफ मकान बन रहा है और सामने उसके दीवार है तो क्या मंत्री जी खयाल कर सकते हैं कि वहां पानी निकालने की जरूरत होगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

श्रीमन्, इतना तो मुझे भौगोलिक ज्ञान नहीं है कि कहां भट्ठा है और कहां दुकान है ? मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने बता दी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुये कि यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और जगह जगह पर टूट जाने के कारण यातायात ठप्प हो गया था, जहां सड़क ऊंची हो रही है, उसे अच्छी तरह से ठेकेदार द्वारा दबवायेंगे जिससे सड़क टूटे नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जहां ऊंची करने की आवश्यकता होगी, ऊंची की जायगी और जहां पानी निकालने की आवश्यकता होगी, वहां पुलिया बनाई जायगी। इस पर काफी खर्च होने की सम्भावना है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, अभी मैं वहां होकर आया हूं और मैंने देखा है कि ...

श्री अध्यक्ष--

आपने यह कहा है कि मिट्टी को अच्छी तरह से फैलाया जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

वहां पर जो काम हो रहा है उसकी देखरेख अच्छी नहीं हो रही है। इसीलिए सड़क इधर उधर ऊंची हो जाती है।

श्री अध्यक्ष--

उसी के आधार पर उन्होंने कहा।

श्री तेजसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि इन ३३ पुलियों का नवनिर्माण एकदम करवाने की क्या वजह थी, टूट गयीं थीं या क्या कारण था ? जब आदेश दिये गये तब यह नहीं देखा गया कि इसकी जरूरत है या नहीं। जैसे मैंने अभी एक पुलिया का उदाहरण दिया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनकी जरूरत समझ कर यह किया गया है। यह आप बताएं कि यह बात थी जिसकी वजह से वहां पुलियों की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री तेजसिंह--

एक पुलिया की बाबत बताया कि एक तरफ भट्ठे के गड्ढे हैं, दूसरी तरफ दीवार है। एक दूसरी पुलिया भवापुर माइनर पर है वह २० साल से नहर वालों ने काट लिया है, उसमें पानी नहीं है लेकिन उस पुलिया को भी निर्माण किया जा रहा है। मुरारनगर पुलिया के दोनों तरफ मकान बने हैं लेकिन उसका भी निर्माण किया जा रहा है। मेरा खयाल है कि एकदम से आर्डर हो गया कि सब पुलियों को ऊंचा कर दिया जाय..

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में आप को कुछ सूचना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मैं निवेदन कर दूं कि पुलियों का नव-निर्माण करने के लिए लाजमी नहीं है कि पुलिया टूट जाय। अगर सड़क के दोनों तरफ पानी ज्यादा इकट्ठा होने लगता है और इस वजह से सड़क कटने लगती है तो छोटी पुलियों को बड़ा बनाना लाजमी हो जाता है। इन सब बातों को देखते हुए नयी पुलियों का निर्माण मंजूर हुआ है लेकिन माननीय सदस्य को कोई विशेष सुझाव देना हो तो वह मुझे सहर्ष दें। मैं अच्छी तरह से विचार करने के बाद जो सुझाव से फायदा मिल सकेगा, उठाने की कोशिश करूंगा।

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के अध्यापकों का प्राविडेन्ट फंड

*२४---श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या यह सत्य है कि संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को खुले हुये पांच वर्ष हो गये किन्तु अभी तक अनेक अध्यापकों का प्राविडेंट फण्ड नहीं कट रहा है? यदि ऐसा है, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश---

प्राविडेन्ट फंड में राजकीय कोष से दिये जाने वाले अंशदान का अनुमान लगा कर शासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही थी। शासकीय स्वीकृति के बिना पूर्व वर्षों में अध्यापकों के वेतन से कटौती भी नहीं की गई। किन्तु इस वर्ष सभी अध्यापकों का प्राविडेंट फंड नियमानुसार काटना प्रारम्भ कर दिया गया है और पिछले वर्षों का बकाया अंशदान भी किस्तों में काटा जा रहा है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भी बकाया अंशदान अध्यापकों का शेष है वह किस्तों के रूप में कितने वर्षों में उनको दे देंगे?

श्री कैलाशप्रकाश---

जो किस्तों का मैंने जिक्र किया है वह अध्यापकों की ओर से एक अंशदान दिया जाता है जैसा कि मैंने उत्तर में निवेदन किया, अध्यापकों का पिछले वर्षों में अंशदान नहीं काटा गया। अब एकमुश्त काटा जाता तो उन पर बहुत बोझ पड़ जाता, उनका अंशदान किस्तों में काटा जायगा। जो विश्वविद्यालय की तरफ से दिया जाता है वह तो दिया ही जायगा।

घोसी में निर्माण-कार्यों के लिये प्रार्थना

*२५---श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास दिनांक २३ अगस्त, १९६३ का लिखा हुआ श्री रामसुन्दर पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गयी है कि घोसी, जिला आजमगढ़ में विभागीय निरीक्षण भवन तथा सड़क को कस्बे में भी बनवा दिया जाय? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी है? क्या कस्बे के निवासियों तथा अधिकारियों से भी राय ली गयी है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी हां, इसके सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से एक रिपोर्ट मांगी गई थी जो शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री बांकेलाल---

वह रिपोर्ट कब तक मंगा लेंगे, उसकी तिथि कोई निश्चित है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जल्दी आ जायगी। नहीं आयेगी तो रिमाइंडर देकर फिर जल्दी मंगाएंगे।

महापालिका कानपुर में इन्टर कालेजों के अध्यापकों की पदोन्नति

*२६--श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका के कुछ सभासदों का २८ फरवरी, १९६३ का एक पत्र महापालिका कानपुर द्वारा संचालित बालक-बालिकाओं के इंटर कालेजों के अध्यापकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या मांग की गयी है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां। वह पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें यह मांग की गई है कि महापालिका कानपुर के इन्टर कालेजों के अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति (जो केवल १४ मई, सन् १९६३ तक है) को आगे न बढ़ाकर पदोन्नति के आधार पर नियुक्ति करने की आज्ञा दी जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह आज्ञा पहले दी जा चुकी थी कि अध्यापकों का खुला चुनाव नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित करके किया जाय। शासन द्वारा दी गई यह आज्ञा ही उचित मानी गई और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो पुराने अध्यापक अनुभवी हैं उनको बाहर वाले नये जो आते हैं उनके मुकाबले में कुछ प्रिफरेंस देने की कोशिश करेंगे, जैसा कि महापालिका के सदस्यों की मांग भी थी?

श्री कैलाशप्रकाश--

महापालिका के सदस्यों की मांग जैसा कि मैं समझ पाया हूं वह तो यह थी कि उनको पदोन्नति किया जाय यानी एल० टी० ग्रेड के ऊपर उनको लेक्चरर ग्रेड में कर दिया जाय, किन्तु जो नियुक्तियां होती हैं और जो अब तक का नियम है वह यह है कि प्रार्थना-पत्र मांगे जायं विज्ञापन देकर के और उसमें जो सब से अच्छे क्वालीफाइड हों उनको रखा जाय। यह बात अपनी जगह है कि इस तरीके का भी संकेत है कि यदि वहां जो काम कर रहे हैं उनकी क्वालीफिकेशंस ऐसी हों कि जो दूसर प्रार्थियों के समकक्ष ही हों तो प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिये।

काशमीरीपुर ग्राम में चकबन्दी

*२७--श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ग्राम काशमीरीपुर के चकबन्दी कार्यकर्ताओं ने प्रधानों के चुनाव के बाद नयी चकबन्दी कमेटी नहीं बनायी? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

प्रधानों के चुनाव के बाद ग्राम में नई चकबन्दी समिति नहीं बनाई गई। ग्राम में चकबन्दी क्रिया पूरी हो चुकी थी और अन्तिम अभिलेख भी बन चुके थे, अतः नयी समिति बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

*२८--श्री दीपनारायणसिंह--

क्या सरकार उपरोक्त ग्राम के बारे में यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ आबादी के नम्बरान को पर्ती तथा पर्ती नम्बरान को आबादी में दिखलाया है तथा कुछ नम्बर जो मौके

पर कब्रिस्तान है उन्हें तथा श्रमदान से बने रास्ते को भी चकों में एलाट कर दिया है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

आबादी के नम्बरान पर्ती नहीं लिखे गये हैं। हां, पर्ती के नम्बरान ग्राम के लोगों की राय से, आबादी के लिये अवश्य निर्दिष्ट किये गये हैं। कब्रिस्तान या श्रमदान मार्ग का कोई नम्बर चकों में शामिल नहीं किया गया है। हां, एक खेत का कुछ भाग जिसमें कब्र है, गलती से चक में एलाट कर दिया गया था। इस गलती को ठीक करने की कार्यवाही की जा रही है।

*२९---श्री दीपनारायणसिंह---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्राम के चक कटते समय प्रधान ने जिलाधीश तथा चकबन्दी अधिकारियों को रजिस्ट्री द्वारा समय-समय पर स्वयं भेंट करके उपरोक्त बातों की सूचना दी है तथा २३ मई, १९६३ के प्रार्थना-पत्र की जांच मौके पर करायी है ? अगर हां, तो मौके पर पायी गयी गलतियों को ठीक कराने के बारे में विभाग ने क्या किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

चक बनते समय प्रधान ने चकों के विषय में कोई शिकायत न तो स्वयं भेंट करके और न रजिस्ट्री द्वारा जिलाधीश या चकबन्दी अधिकारियों से की। बाद में ऐसी शिकायतें की थीं तथा २३ मई, १९६३ को एक प्रार्थना-पत्र भी दिया था। इन शिकायतों की जांच हो चुकी है। कब्र वाले खेत का जो भाग भूल से चक में एलाट कर दिया गया था उसे चक के बाहर कर दिया जावेगा। बाकी किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

मथुरा में जमुना पुल पर कर

*३०---श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नव-निर्मित मथुरा के जमुना के पुल पर जो अभी हिसाब की जांच की गयी है उसमें टैक्स की भारी चोरी, अनियमितता व भ्रष्टाचार मिला है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं।

*३१---श्री राधेश्याम शर्मा---

यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल पर लगे टैक्स की वर्तमान रीति को संशोधन करने को सोच रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं।

*३२---श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस नव-निर्मित पुल की टैक्स की वर्तमान दरें क्या-क्या हैं तथा किन-किन पर टैक्स नहीं लगता और किन-किन पर लगता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस पुल पर जिन व्यक्तियों, गाड़ियों तथा पशुओं पर टैक्स लगता है, उनकी† सूची तथा दरें सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी हुई हैं।

---

†छापी नहीं गई।

श्री सिरदार के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में जिलाधीश, सीतापुर के खिलाफ शिकायत

*३३---श्री शीतलप्रसाद आदि---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ को डिप्टी कमिश्नर, सीतापुर को कोई दरख्वास्त कुछ लोगों ने दी है कि ए०सी० ओ० चकबन्दी नं० १३ उनसे रिश्वत मांग रहा है और आज शाम ७ बजे उस ए० सी० ओ० को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाय ? यदि हां, तो उस दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही की गयी ? (अ) कार्यवाही किस दिनांक को की गयी व आफिसर जो इस काम पर लगाया गया था वह मौके पर कब पहुंचा ? (ब) निश्चित समय पर किसी अफसर के मौके पर न पहुंचने की क्या वजह हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

कथित दिनांक को श्री सिरदार नामक व्यक्ति का एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, सीतापुर को प्राप्त हुआ था। जिलाधीश ने उस प्रार्थना-पत्र को उसी दिन जिला पुलिस अधीक्षक के पास सतर्कता से जांच करने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा। जिला उप-पुलिस अधीक्षक ने जिन्हें यह काम सौंपा गया था, सम्बन्धित ए० सी० ओ० को पकड़ने की कार्यवाही करने के पहिले श्री सिरदार एवं एक अन्य व्यक्ति का बयान लेना आवश्यक समझा, जिसके कारण वे घटनास्थल पर निर्धारित दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ के बदले २६ सितम्बर, १९६३ को पहुंचे।

*३४---श्री शीतलप्रसाद आदि---

क्या सरकार यह दरख्वास्त और इन्क्वायरी आफिसर की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

सम्बन्धित दरख्वास्त की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। इन्क्वायरी आफिसर की रिपोर्ट मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४९७ पर)

श्री कल्पनाथसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जब प्रार्थी ने यह प्रार्थना की थी कि ए० सी० ओ० ने ४० रुपया उनसे मांगा है और जो नोट हैं देने वाले, उन पर वह हस्ताक्षर कर दें और उस जगह देने वाले अधिकारी को पकड़ने की व्यवस्था करें तो ऐसा कौन-सा कारण जिलाधीश ने समझा कि जिसकी वजह से ऐसा न करके उन्होंने इसकी जांच के बाद कार्यवाही करने के लिये मामला सौंप दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह बात तो जिलाधीश ही बता सकते हैं। दूसरे के दिमाग की बात मैं क्या बतला सकता हूं ?

श्री कल्पनाथसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बुजुर्गवार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिये प्रश्न किया गया था....

श्री अध्यक्ष---

आप उनसे कह दीजिये कि कृपा करके इसकी जांच करा कर बतलायें।

श्री कल्पनार्थासिह--

यही मैं कह रहा हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच करा लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हम जरूर जिलाधीश से पूछ लेंगे कि क्यों ऐसा किया।

श्री अध्यक्ष--

इनका कहना है कि एक डेफिनिट इंफार्मेशन आयी कि मुझ से रिश्वत मांगी जा रही है और इस रुपये पर हस्ताक्षर कर दीजिये और उनको पकड़ने की व्यवस्था कीजिये, लेकिन उन्होंने यह न करके, कहा कि हम जांच करायेंगे। तो आप के कहने का मतलब यह है कि जो एक रंगे हाथ आदमी पकड़ा जा सकता था उसमें उन्होंने बाधा डाली यह कह करके कि पहले हम इंक्वायरी कर लें। तो वह यह चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उनको कुछ शक हो गया था इसलिये उन्होंने ऐसा किया। इसमें बड़े-बड़े जाल हैं। पटवारी ने जाल बनाया है। ए० सी० ओ० तो इनोसेंट है। कल्पनार्थासिह जी जो चाहते हैं वह हम करा लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो जांच करायी है उसके बाद वह किस नतीजे पर पहुंचे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जांच से यह पता चला है कि यह जो सिरदार दरख्वास्त देने वाले थे उन्होंने पटवारी से मिल कर के बाग लिखवा लिया था जब कि ए० सी० ओ० ने वहां बाग नहीं पाया और उसने काट दिया। डी० वाई० एस० पी० मौके पर गये तो डालें गड़ी हुई थीं आम की। उसको उखाड़ा तो जड़ें थीं ही नहीं और पिछले पांच साल के कागजात में बाग कहीं पर भी नहीं था। लेखपाल ने अब दर्ज कर दिया है। मैंने आर्डर दिया है कलेक्टर को कि लेखपाल को सस्पेंड करके आगे इंक्वायरी करायी जाय।

सांसियागढ़ी में गृह-निर्माणार्थ सहायता

*३५--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को मालूम है कि जिला बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद के पास जो सांसियागढ़ी माह सितम्बर, १९६३ की तारीख १३, १४, १५ में भयंकर वर्षा के कारण वहां सब मकान गिर गये हैं? यदि हां, तो क्या पक्के मकान बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है और कब तक पूरी की जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सांसियागढ़ी, सिकन्दराबाद कस्बे का छोटा-सा मजरा है जिसमें सांसिया जाति के लोगों की केवल २७ झोपड़ियां हैं। उक्त तिथियों में भयंकर वर्षा के कारण सब झोपड़ियां गिर गईं। इस मजरे में ३६० रुपये मकान निर्माण सहायता हेतु बांट दिये गये हैं। पक्के मकान बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः योजना पूर्ण होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*३६--श्री ऊदल--

[२रे बुधवार के लिये प्रश्न ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फतेहपुर जिले से एच० टी० सी० के लिये चुनाव

*३७—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि प्रदेशीय शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना पर फतेहपुर जिले के लिये उपशिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ने इस वर्ष एच० टी० सी० ट्रेनिंग के निमित्त कुछ इस प्रकार के नाम भेजे हैं, जिन्हें एच० टी सी० ट्रेनिंग के लिये बनी जिला कमेटी ने अपनी लिस्ट में नहीं भेजा था ? यदि हां, तो किन विशेष परिस्थितियोंवश और किन अधिकारों से ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह सही है कि उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ने एच० टी० सी० ट्रेनिंग के लिये ४ नाम उस सूची के बाहर के छांटे जो सूची जिला कमेटी ने बनाई थी।

उप शिक्षा निदेशक को शिक्षा निदेशक के आदेश थे कि वह १० अभ्यर्थी छात्रवृत्ति रहित दाखिल कर सकता है। उन ४ अभ्यर्थियों में जो सूची के बाहर थे ? १ पिछड़ी जाति का है, २ विज्ञान से पास हैं और १ गणित में विशेषता प्राप्त है। इसी योग्यता के आधार पर उन्होंने उन्हें चुनना मुनासिब समझा।

†सूची सदन की मेज पर रखी है।

*३८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री जिला कमेटी द्वारा नामजद किये गये लोगों के नाम शिक्षा योग्यता सहित और उप शिक्षा निदेशक द्वारा उन नामजद लोगों के नाम शिक्षा योग्यता सहित जिन्हें एच० टी० सी० ट्रेनिंग के चुनाव के लिये बनी जिला कमेटी ने अपनी सूची में नहीं भेजा था, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

†सूचियां सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

*३९—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चुनाव एच० टी० सी० कमेटी ने जो लिस्ट भेजी थी वह किस दिनांक को तथा उप शिक्षा निदेशक न अपने अधिकार से नामजद लोगों को किस दिनांक को किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिला नामांकन कमेटी की लिस्ट १५ जुलाई, १९६३ को उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय को भेजी। उप शिक्षा निदेशक ने अपनी छात्रवृत्ति रहित निर्वाचित अभ्यर्थियों की †सूची २० अगस्त, १९६३ को भेजी थी।

*४०—श्री सुखदेवप्रसाद तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

[२० दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न ६० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बलरामपुर तहसील में सूखा

*४१—श्री सुखदेव प्रसाद तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार प्रदेश में बाढ़ और सूखा के निवारण हेतु सही रूप से जांच कराकर उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री रामकुमार शास्त्री---

जी हां ।

इस विषय में विभिन्न दीर्घकालीन योजनायें राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा तैयार की जा रही हैं । उनके कार्यान्वित होने में अभी काफी समय लगेगा ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र के बारे में यह प्रश्न है वहां पर कोई भी अधिकारी जाता नहीं है और गलत रिपोर्ट उसके बारे में भेज देते हैं । तो यह सूखा पड़ने की इन्क्वायरी कराई गई वह किसके द्वारा कराई गई और उसका आधार क्या है जिसके आधार पर उनको सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मेरे पास नाम नहीं है लेकिन हमारा खयाल है कि माल के अधिकारियों ने इन्क्वायरी की होगी ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई आदेश इस तरह का यहां से जिलों में गया है जिसमें यह कहा गया हो कि ६ आने सूखा पड़ने की बात दिखाई जाय, अगर नहीं तो वहां पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको सूखा पड़ने की वजह से सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ऐसा कोई आदेश यहां से नहीं गया है और न जायगा, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं ।

श्री झारखण्डेराय---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की शिकायत किसी विधायक के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त हुई है कि वहां के लेखपाल ने और अन्य अधिकारियों ने अपनी दिक्कत से बचने के लिये जितना नुकसान हुआ है उससे कम की रिपोर्ट भेजी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली है । अगर आप चाहते हैं तो फिर उनसे कहेंगे कि ऐसी बात न करें और जो वाकई नुकसान हुआ है उसका तखमीना बनाकर भेजें ।

श्री लखीसिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो लेखपाल की रिपोर्ट है यह बिलकुल गलत साबित हुई है; गर्की और बाढ़ में तो इस बारे में सही रिपोर्ट मंगाने की कृपा करेंगे जिससे वे सही नुकसान भेंजे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ऐसा ही किया जायगा जैसा कि आप चाहते हैं ।

श्री तेंजभानसिंह विधायक द्वारा प्रतापगढ़ कलेक्टरी में अनशन

*४२---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ के किसी विधायक ने जिले की कचहरियों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध २२ अगस्त, १९६३ से २ सितम्बर, १९६३ तक कलेक्टर के इजलास के सामने अनशन किया था ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार निवारण के लिये कौन-सा कदम उठाया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर पहले से ही आदेश जारी किये जाते रहे हैं जिनके अनुसार भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर उन पर वैभागिक जांच की जाती है तथा आरोप प्रमाणित होने पर उचित दण्ड दिया जाता है।

*४३—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या उस विधायक ने अनशन के पूर्व कोई पत्र जिलाधीश प्रतापगढ़ और सरकार को लिखा था ? यदि हां, तो क्या उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे और बतायेंगे कि पत्र की मांगों एवं सुझावों की पूर्ति की दिशा में कौन-सा कदम सरकार उठा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, उक्त विधायक ने एक पत्र जिलाधीश प्रतापगढ़ को अनशन के पूर्व दिनांक २० अगस्त, १९६३ को तथा अनशन प्रारम्भ करने के उपरान्त सरकार को दिनांक २६ अगस्त, १९६३ को लिखा था जो राजस्व विभाग में ३ सितम्बर, १९६३ को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्रों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत हैं। पत्र में उल्लिखित भागों एवं सुझावों के विषय में की गई कार्यवाही का क्रमानुसार विवरण संलग्न सूची† में दिया गया है।

कानपुर जिले में सेंगुर नदी का पुल व सड़कें

*४४—श्री नित्यानन्द पाण्डेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २७ सितम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के संदर्भ में पुल की डिजाइन कब तक बनकर तैयार हो पायेगी और प्रस्तावित निर्माण कार्य पुनः कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पुल का डिजाइन बनकर तैयार हो गया है और संशोधित आगणन भी तैयार हो गया है। उसके स्वीकृत हो जाने के पश्चात निर्माण-कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायगा।

*४५—श्री नित्यानन्द पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत झींझक से रसूलाबाद जाने वाला मार्ग, जो बीच-बीच में पक्का करने से छोड़ दिया गया है, वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कुछ भाग में कार्य हाई कोर्ट के Stay order के कारण रुका हुआ है। कुछ भाग में ठेकेदार ने आपत्ति पैदा कर दी है जो arbit .tion के बिचाराधीन है। मील ७ और १० में जो पुलों की अप्रोच सड़कों का कार्य है वह अगली वर्षा में पूर्ण हो जायगा।

श्री नित्यानन्द पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि वहां असल में डिजाइन का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा इंजीनियर और ठेकेदार के लेन-देन का है जिसकी वजह से ३ साल से पुल रुका हुआ है और उसमें कोई काम नहीं हुआ है ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री जगनप्रसाद रावत--

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

किरावली-खैरगढ़ सड़क

*४६--श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)---

क्या आगरा जिले की किरावली खैरगढ़ (वाया कागा) रोड को मिलाने वाली कच्ची सड़क को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्का किया जायेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस सड़क के कागारोड खैरगढ़ भाग को पक्का करने का कार्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है और आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायगा ।

*४७---श्रीमती चम्पावती---

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर अब तक आगरा जिले की किरावली तहसील में कितनी मील लम्बी नई पक्की सड़कें बनाई गईं तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने मील लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक किरावली तहसील में किसी नई पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है । हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मार्गों की योजना के अन्तर्गत ५ मील ४।। फर्लांग लम्बी सड़क का निर्माण इस तहसील में स्वीकृत किया है ।

कानपुर जिले में लेखपालों का भत्ता

*४८---श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि लैन्ड रेकार्ड मैनुअल की धारा २०-२३ (३-क) के अधीन ३ दिन से अधिक तहसील की उपस्थिति में लेखपालों को दैनिक भत्ता देना चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दैनिक भत्ता न देने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

लैण्ड रेकार्ड मैनुअल का पैरा २० समाप्त कर दिया गया है । उक्त मैनुअल के पैरा २३ का दैनिक भत्ते से संबंध नहीं है ।

लेखपाल-सेवा-नियमावली, १९५८ के नियम २३ (३) (क) के अनुसार लेखपालों को तहसील के मुख्यावासों पर भी सरकारी कार्य के संबंध में ठहरने के तीसरे दिन से ही ७५ नये पैसे प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है। उपरोक्त मैनुअल की धारा २४३ (क) (१) के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो लेखपालों के दैनिक भत्ते के सिलसिले में लिखित रूप से दिये गये सभी दावों (claims) को एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं। कानपुर जिले में ऐसा कोई दैनिक भत्ता देने को शेष नहीं है जिसके बारे में किसी लेखपाल ने लिखित दावा (claim) प्रस्तुत किया हो।

छाता तहसील में सड़कें

*४९---श्री लखीसिंह---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता तहसील में छाता से सहार व कोसी-शेरगढ़ सड़क के निर्माण हेतु अब तक क्या-क्या पी० डब्लू० डी० की योजनायें हैं ? क्या यह सत्य है कि यह सड़क सन् १९६१ में बनने के लिये स्वीकृत हो चुकी थी ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री जगनप्रसाद रावत---

इन सड़कों के निर्माण की पी० डब्लू० डी० की इस समय कोई योजना नहीं है। यह सड़कें सन् १९६१ में बनने के लिये स्वीकृत नहीं हुई थीं।

उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा

*५०---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा की अनिश्चितता के कारण बलिया (उत्तर प्रदेश) और आरा (बिहार) जिले में कई ऐसे गांव हैं जिन्हें दोहरे शासन का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं और कौन-कौन?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सीमा अनिश्चित नहीं है। वर्तमान सीमा गंगा तथा घाघरा की गहरी धारा है। स्थायी अपरिवर्तनशील सीमा स्थित करने का प्रश्न मध्यस्थ के बिचाराधीन है। जब कोई गांव धारा की एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है तो वह एक प्रदेश के शासन से दूसरे प्रदेश के शासन में चला जाता है। गांव की संख्या तथा नाम तभी दिये जा सकते हैं जब प्रश्नकर्त्ता उस समय को स्पष्ट करे जिसके विषय में वह सूचना चाहते हैं।

*५१-५२---श्री शिवनाथसिंह---

[१७ फरवरी, १९६४ के लिये प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विश्वविद्यालयों को अनुदान

*५३---श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को कितने-कितने के अनुदान दिये गये तथा यह अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९८-४९९ पर)

*५४---श्री पातीराम अहरवार---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन विश्वविद्यालयों में हरिजन विद्यार्थियों को प्रवेश संबंधी संरक्षण व सुविधायें प्रदान करने के बारे में राज्य सरकार के कोई आदेश हैं? यदि हां, तो ऐसे आदेशों को सदन की मेज पर प्रस्तुत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी नहीं।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता। विश्वविद्यालय संबंधित अधिनियमों के अधीन स्वायत्त शासी संस्थायें हैं और उनमें विद्यार्थियों के प्रवेश आदि से संबंधित मामलों में शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता।

*५५-५६---श्री लखीसिंह---

[२१ फरवरी, १९६४ के लिये प्रश्न ९६-९७ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

पूर्वी जिलों में बाढ़ कैम्पों के लिये खरीदा गया अनाज

*५७–श्री चन्द्रबलीसिंह —

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर जिलों में इस वर्ष विभिन्न बाढ़ कैम्पों पर जो गल्ले जौ, चना आदि वितरित हुये थे वे सभी एक दूकान से एक भाव से खरीदे गये थे ? यदि हां, तो किसकी दूकान से खरीदा गया ? यदि नहीं, तो हर कैम्प पर गल्ला किस अधिकारी ने खरीदा और किस भाव से किस व्यक्ति से खरीदा, पूरा विवरण दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

कथित ४ जिलों में सें केवल आजमगढ़ में विभिन्न बाढ़ कैम्पों में जो २०० मन चना वितरित किया गया वह आजमगढ़ की फर्म जमुना राय से १८ रु० प्रति मन के भाव से जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा खरीदा गया। शेष तीन जिलों के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न† विवरण-पत्र में है।

उमरपुर नीवां ग्राम से चकबन्दी विषयक शिकायती पत्र

*५८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के ग्राम उमरपुर नीवां, परगना चायल के नागरिकों का कोई स्मृति-पत्र चकबन्दी के सम्बन्ध में चकबन्दी संचालक महोदय को सितम्बर, १९६३ के द्वितीय सप्ताह में मिला है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जी हां। ऐसा एक पत्र चकबन्दी संचालक को मिला था।

*५९—श्री नाथूराम शिक्षक —

यदि हां, तो वह शिकायती-पत्र क्या है तथा उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

इस शिकायती पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। खास तौर से इसमें गलत पैमाइश, पक्षपात, आम रास्ता न छोड़ने इत्यादि की शिकायतें थीं। जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गयीं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९८–४९९ पर)

तराई भावर के पटवारी

*६०—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़) —

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई भावर, जिला नैनीताल, के पटवारियों को लेखपाल की संज्ञा अब तक क्यों नहीं दी गई जिसके कारण लेखपाल की हैसियत से जो सुविधायें मिलनी चाहिये उससे वे अब तक वंचित हैं और लेखपालों के वेतन में हुई ५ रुपये मासिक बढ़ोत्तरी भी उन्हें नहीं मिलती ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

तराई भावर के पटवारियों तथा लेखपालों के सेवा नियम पृथक-पृथक हैं, अतएव पटवारियों को लेखपालों की संज्ञा नहीं दी गई। जहां तक ५ रुपये मासिक वेतन बढ़ोत्तरी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

---

†छापी नहीं गई।

किछा तहसील में झीलों का नीलाम

*६१--श्री इन्द्रासनसिंह --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बरी, तहसील किछा, नैनीताल, की झील खाम की होने के कारण उक्त झील को तहसीलवार किछा ने सन् १९६२-६३ के लिये १,००० रुपये (एक हजार रुपये) में श्री जयदयाल ठेकेदार किछा को नीलाम किया और उसी के ग्राम फीरोजपुर (टेढ़ा नाला) तहसील किछा (नैनीताल) की झील को, जो वन विभाग के अधिकार में है और जिसे वन अधिकारी ने सन् १९६२ व १९६३ के लिये २,७०० रुपये (दो हजार सात सौ रुपये) में नीलाम किया था, तहसीलदार किछा ने वन विभाग का न मानकर स्वयं दोबारा दिसम्बर, १९६२ में ५,००० रुपये (पांच हजार रुपये) में नीलाम कर दिया और श्री खलील अहमद ठेकेदार के भाई श्री भोले से बेची नामा लिखवा दिया? यदि हां, तो उक्त ५,००० रुपये सरकारी खजाने में जमा हुए या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन --

ग्राम बरी, तहसील किछा, नैनीताल, की झील जो खाम की है तहसीलदार किछा द्वारा सन् १९६२-६३ के लिये १,००० रुपये में श्री जयदयाल ठेकेदार को नीलाम की गई। ग्राम फिरोजपुर, तहसील किछा, की झील जो वन विभाग द्वारा २,७०० रुपये में नीलाम की गई, तहसीलदार किछा द्वारा दोबारा नीलाम नहीं की गयी अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*६२--श्री इन्द्रासनसिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजपुर झील (टेढ़ा नाला) तहसील किछा, नैनीताल, को तहसीलदार किछा द्वारा अनधिकृत रूप से नीलाम करने के सम्बन्ध में वन अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल ने कोई पत्र डी० सी० नैनीताल को दिसम्बर, सन् १९६२ में लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वन विभाग से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

रामनगर परगने में मछलियों का नीलाम

*६३--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम लोहरी पसई, परगना रामनगर, जिला बाराबंकी, के अन्तर्गत नाला नोरहिइया की मछली फसली सन् १३६८, १३६९ व १३७० में कितने रुपये की प्रत्येक फसली में नीलाम हुई थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१३६८ फसली में १०० रु० में एवं १३६९ फसली में १०४ रु० में नीलाम हुई। १३७० फसली में इस नाले तथा पड़ोस के अन्य तालों का नीलाम सम्मिलित रूप से ६२५ रु० में हुआ।

*६४--श्री गिरजाप्रसाद--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त फसली में किस फसली का रुपया सरकारी खजाने में नहीं जमा हुआ? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१३७० फसली का रुपया गांव फण्ड में नहीं जमा हुआ। सम्मिलित धनराशि में इस नाले का हिस्सा नियत नहीं हो सका है।

फतेहपुर जिले में पुनर्वास अनुदान

*६५---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

२ नवम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ४९, ५०, ५१ के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब मध्यस्थों के स्थानीय समाचार पत्रों, पंचायत पत्रिका और लेखपालों तथा अमीनों द्वारा प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि ६ नवम्बर, १९६१ की सूचना पहले से दे दी गयी थी तो फिर जिला फतेहपुर की तीनों तहसीलों के ४,२४७ मध्यस्थों ने अपना पुनर्वास पाने के लिये समय के अन्दर प्रार्थना-पत्र न देकर अब प्रार्थना-पत्र देने हेतु समय की मांग किस आधार पर कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

जी नहीं। ऐसी कोई मांग नहीं की गई। केवल एक मध्यवर्ती ने निर्धारित तिथि के पश्चात् पुनर्वास अनुदान पाने के लिये समय की मांग इस आधार पर की थी कि उनके बरासत के मुकदमें का निर्णय जो ६ नवम्बर, १९६१ के पूर्व से चल रहा था, उक्त तिथि के बाद में हुआ।

*६६-६८---सर्वश्री विष्णुप्रतापसिंह, बब्बनसिंह, शीतलप्रसाद, ईश्वरशरण तथा सुरेन्द्र विक्रम ---

[स्थगित किये गये।]

*६९-७०---श्री हलीमुद्दीन---

[२१ फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

खैरना-बेतालघाट मार्ग

*७१---श्री देवीदत्त छिमवाल (जिला नैनीताल) ---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खैरना-गर्जिया मोटर रोड कितनी बन चुकी है और कब तक वह पूरी हो जायगी ?

श्री जगतप्रसाद रावत ---

खैरना से बेतालघाट तक का भाग बन चुका है। शेष मार्ग को बनाने की अभी कोई योजना नहीं है।

खुर्जा तहसील में वर्षा और बाढ़ से क्षति

*७२---श्री जसराम सिंह---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खुर्जा तहसील में वर्षा बाढ़ से इस वर्ष कितने गांव प्रभावित हुये और कितनी हानि हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

तहसील खुर्जा में इस वर्ष वर्षा तथा बाढ़ से १७९ ग्राम प्रभावित हुये हैं। इससे फसलों को अनुमानित ४५,४७,१९८ रु० की और मकानों को अनुमानित ३६,८३,५२० रु० की हानि हुई है।

*७३---श्री हरीशकुमार गंगवार---

[२१ फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

तहसीलदार भोगांव की अदालत में मुकदमें

*७४---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) ---

क्या यह सच है कि मैनपुरी जिले के भोगांव तहसील के हाकिम परगना के यहां माल के बहुत से मुकदमें में छः मास से अधिक हुये बहस हो चुकी है, परन्तु फैसला अभी तक नहीं दिया

गया है ? यदि हां, तो फैसलों के देने में देरी का क्या कारण है और ऐसे फैसलों की संख्या कितनी है और यह मुकदमें कब से विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जी नहीं। प्रश्न के अन्य भाग नहीं उठते।

अतारांकित प्रश्न

जमींदारी उन्मूलन कार्यालय बिजनौर के लिपिक

१—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर के जमींदारी उन्मूलन के कार्यालय के लिपिक जो परीक्षा लेकर रक्खे गये थे (१९५२–५३) और जिन्हें कार्य करते हुये लगभग ८ से ११ वर्ष हो गये, संख्या में कितने हैं ? उनमें से कितने स्थायी किये गये और कितने अभी तक अस्थायी हैं ? क्या यह सही है कि इन अस्थायी लिपिकों की पुन : परीक्षा ली जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला बिजनौर के जमींदारी उन्मूलन कार्यालय में कुल ११ लिपिक हैं जिन्हें कार्य करते हुये ८ से ११ वर्ष हो गये हैं और इनकी नियुक्ति बिना किसी लिखित परीक्षा के हुई थी। यह सभी अभी अस्थायी हैं। इनमें से केवल ७ लिपिकों की लिखित परीक्षा लिये जाने के आदेश दिये गये क्योंकि उनकी नियुक्ति केवल मौखिक साक्षात्कार (interview) के आधार पर हुई थी। शेष ४ लिपिकों में से २ लिपिक खाद्य तथा रसद विभाग के छटनी किये हुये कर्मचारी होने के कारण परीक्षा से मुक्त है। एक लिपिक १९५९ की निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है और उसकी अब पुनः लिखित परीक्षा आवश्यक नहीं समझी गई। शेष एक लिपिक को वांछित शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं है, अतएव उसके स्थायीकरण तथा लिखित परीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता।

नैनीताल जिले में भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र

२—श्री खुशीराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश नैनीताल के पास कितने प्रार्थना-पत्र ३१ अगस्त, १९६३ तक बाबत चाहते भूमि मय भूमिहीन प्रमाण-पत्रों के पहुंच चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३,५६८ प्रार्थना-पत्र।

३—श्री खुशीराम—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इतने प्रार्थना-पत्रों में से कितनों में विचार होकर भूमि दी गयी है और बाकी प्रार्थना-पत्रों में कब तक विचार होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् १९६२ में ७४ व्यक्तियों को भूमि दी जा चुकी है। सन् १९६३ में एलाटमेंट कमेटी ने १,३३१ और व्यक्तियों को भूमि दिये जाने के लिये स्वीकृति दी है, जिनको भूमि की वास्तविक उपलब्धि की सूचना प्राप्त होने पर क्रमानुसार भूमि दी जा रही है।

बांकी प्रार्थना-पत्रों पर तभी विचार किया जायगा जब १९६३ में स्वीकृत प्रार्थियों को भूमि दी जा चुकेगी।

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी कर्मचारी

४---श्री शिवनाथसिंह ---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत १ अप्रैल सन् १९६३ से १० जुलाई, १९६३ तक किन-किन चकबन्दी कर्मचारियों के कब-कब स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये और कब उन्होंने चार्ज छोड़ा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५०० पर।)

ग्राम डेरवा के कटाव-पीड़ितों को सहायता

५---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान डेरवा, परगना चिलूपार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर, ने उनको कटाव-पीड़ितों के बारे में हाल में लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम डेरवा के कटाव-पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है।

६---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या राजस्व मन्त्री को बाढ़ से गिरे घरों के बारे में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक १९ अक्तूबर, १९६२ और २३ अक्तूबर, १९६२ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पत्र पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

प्रश्नकर्त्ता के १८ अक्तूबर, १९६२ ई० और २३ अक्तूबर, १९६२ ई० के दो पत्र शासन को प्राप्त हुये थे। उनके साथ भेजे गये प्रार्थना-पत्र जिलाधीश गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गये हैं।

मेंटिनेन्स विभाग, लखनऊ में अस्थायी कर्मचारी

७---श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी) ---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १८ अक्तूबर, १९६३ के प्रश्न संख्या ४८ में जो यह बताया गया है कि अस्थायी कर्मचारी मेन्टेनेंस में १८६ हैं तो इन कर्मचारियों की सर्विस कितने-कितने साल की है और वे कहां-कहां पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत ---

(क) इन १८६ कर्मचारियों की सर्विस २ साल से १० साल तक की है।

(ख) यह कर्मचारी अनुरक्षण कार्यालय, विधान भवन, राजभवन, मन्त्रियों एवं उप-मन्त्रियों के निवास स्थान, महानगर, दिलकुशा एवं गौतमपल्ली आदि स्थानों में सरकारी मकानों पर काम करते हैं ?

८---श्री बृजेश्वरसहाय ---

१८ अक्तूबर, १९६३ के प्रश्न ४९ के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ३७ कर्मचारियों को नोटिस दिया गया था उनकी सर्विस कितनी-कितनी थी और उनको नोटिस किस कारण से दिया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

(क) १ साल से ५ साल तक की।

(ख) नोटिस वर्तमान संकटकालीन पारिस्थिति में अनुदान में कटौती होने के कारण दी गयी थी।

लखनऊ में सरकारी इमारतों का रखरखाव

९---श्री वृजेश्वरसहाय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में सरकारी इमारतें कहां-कहां पर हैं और उनके मेन्टिनेंस के लिये पी० डब्लू० डी० की ओर से किस-किस इमारत में कितने-कितने कर्मचारी मेन्टिनेंस विभाग की ओर से हैं और उनकी नौकरी कितने-कितने समय से है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

९---(क) लखनऊ शहर में सरकारी इमारतें शहर भर में हैं, जैसे विधान भवन, रायल होटल, विधायक निवास नं० ३ आदि, दारुलशफा, राज भवन, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय आदि, सरोजिनी नायडू मार्ग, गौतम पल्ली, माल एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, काली दास मार्ग, बशीरतगंज, महानगर, ऐशबाग, दिलकुशा आदि में निवास स्थान, गोदाम कार्यालय आदि।

(ख) हर इमारत के लिये कर्मचारी अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं। कुछ इमारतों के एक समूह के लिये ही कर्मचारी रखना संभव होता है, जिनकी संख्या कार्य के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। संख्या लगभग २५० रहती है। इनकी नौकरी १ साल से ३२ साल तक की है।

बरेली जिले में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

१०---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली जिले में बाढ़ से किन-किन ग्रामों को कितनी-कितनी किस-किस प्रकार की हानि हुई और सरकार ने क्या-क्या सहायता दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इस वर्ष बाढ़ तथा पानी के जमाव (Waterlogging) से जिला बरेली में २९६ ग्राम प्रभावित हुए हैं। प्रभावित ग्रामों की सूची तथा उनमें से प्रत्येक में हुई हानि और दी गई सहायता का ब्यौरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

तहसीलदार, फरीदपुर, के विरुद्ध आरोपों की जांच

११---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में तहसील फरीदपुर के तहसीलदार महोदय के विरुद्ध जबरदस्ती चन्दा वसूल करने, दुर्व्यवहार करने तथा मारपीट करने आदि की जांच हाकिम परगना फरीदपुर के यहां चल रही है ? यदि हां, तो अब तक निर्णय न दिये जाने के कारण क्या हैं और शिकायत की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

प्रश्न में दी हुई मुख्य बातों के अतिरिक्त लगान की वसूली करने में सख्ती करने की भी शिकायत की गई थी। जांच में कोई प्रमाण नहीं दिया गया। हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने भी इन आरोपों की पुष्टि नहीं की। आरोप निराधार पाये गये।

राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, जौनपुर

१२—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ने पुराने राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, जौनपुर को फिर से चालू करने के लिये विभाग को कोई सिफारिश की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

बलरामपुर तहसील में सूखा

१३—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार को पता है कि बलरामपुर तहसील, जिला गोंडा में खरीफ की फसल वर्षा समय से न होने और सूखा के कारण अगहनी धान की फसल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो सरकार सहायतार्थ एवं संरक्षात्मक दृष्टिकोण से उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। तहसील बलरामपुर के कुछ क्षेत्रों में सूखे से फसलों को क्षति पहुंची है। पीड़ितों की सहायतार्थ उचित व्यवस्था की गई है।

१४—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार तराई क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य एवं जीवन-यापन हेतु उद्यम खोलकर दीनों के रोजी, रोटी का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त पीड़ित क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक सड़क पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

फर्रुखाबाद जिले में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

१५—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में गंगा व रामगंगा की बाढ़ से इस वर्ष कितने ग्राम प्रभावित हुए हैं और बूढ़ी गंगा से कितने तथा काली नदी से कितने ग्रामों में बाढ़ से नुकसान हुआ है ? क्या सरकार यह सूची सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गंगा व रामगंगा की बाढ़ से क्रमशः २४५ तथा ६६ ग्राम प्रभावित हुए हैं। बूढ़ी गंगा से ४९ तथा काली नदी से १२५ ग्रामों में बाढ़ से नुकसान हुआ है।

सूची काफी बड़ी है। उसे कार्यालय में देखा जा सकता है ।

१६—श्री महरामसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ में किन-किन ग्रामों का किन-किन अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने दौरा किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

परगनाधीश, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों तथा कानूनगोयान ने बाढ़-पीड़ित ग्रामों का दौरा किया। लेखपालगण भी अपने-अपने क्षेत्रों में बाढ़ के समय उपस्थित रहे।

जिन-जिन अधिकारियों ने जिन-जिन ग्रामों का निरीक्षण किया उसकी सूची बहुत बड़ी है। उसे कार्यालय में देखा जा सकता है।

१७—श्री महरामसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के दिनों में किन-किन बाढ़-पीड़ित ग्रामों में कितने व्यक्तियों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बाढ़-पीड़ितों में २,०१६ रु० नकद तथा ८४८ रु० की दैनिक आवश्यक वस्तुयें बांटी गईं। ३५,००० रु० आपत्ति कालीन तकावी के रूप में वितरण किया गया।

जिन ग्रामों में तथा जितने व्यक्तियों को यह धन वितरित किया गया उनकी सूची संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५०१–५०३ पर)

भिटौली क्षेत्र में सड़क की आवश्यकता

१८—श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बाराबंकी जिले के क्षेत्र भिटौली में जो इलाका सैलाबी है, कोई सड़क नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में कोई सड़क बनवाने का विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई सड़क नहीं है और न ही इस समय वहां कोई सड़क बनाने की योजना है।

फतेहपुर जिले में चकबन्दी अभियोग संबंधी फाइलें खोजाना

१९—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में किन-किन चकबन्दी के मुकदमों की फाइलें ए० सी० ओ० व सी० ओ० की इजलासों से शुरू से अब तक गायब हो गईं और उक्त फाइलों के खो जाने या गायब हो जाने के फलस्वरूप विवादग्रस्त पक्षों द्वारा दाखिल किये गये मूल कागजों (दस्तावेजों) व प्रमाणित प्रतिलिपियों के अभावों की पूर्ति व उनसे हुई न्यायक्षति की पूर्ति की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त जिले में ए० सी० ओ० और सी० ओ० की इजलासों में अब तक ५७ फाइलें खो गई हैं। जिनकी सूची† सदन की मेज पर रख दी गई है।

उक्त फाइलों से मूल कागज (दस्तावेज) व प्रमाणित प्रतिलिपि खो जाने की कोई शिकायत फरीकैन ने नहीं की और न वापसी की कोई दरख्वास्त ही दी। अधिकांश मामले विवादग्रस्त नहीं थे। इस प्रकार न्याय क्षति एवं उसकी पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

२०—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में चकबन्दी के कितने मुकदमे Arbitration Tribunal (जज महोदय), के यहां अभी तक विचाराधीन व अनिर्णित हैं ? इनके शीघ्र ही निर्णीत किये जाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

---

†छापी नहीं गईं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सिविल जज (जज महोदय) का इजलास हाई कोर्ट के अधीन है। जज महोदय से शासन विचाराधीन मुकदमों के बारे में पूछतांछ नहीं कर सकता। विचाराधीन मुकदमों के शीघ्र निर्णय किये जाने के लिये शासन द्वारा आदेश नहीं दिये जा सकते। फरीकैन इस संबंध में स्वयं ही आवश्यक निवेदन कर सकते हैं।

कटेहर क्षेत्र में कटाव

२१---श्री रघुनाथसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी में कटेहर विधान सभा, क्षेत्र के सराय मुहाना तातेंपुर, सिहवार, रामचन्दीपुर, रामपुरे, गोबरहा, मोकलपुर, मुरीदपुर, गौरा-कला, चन्द्रावती ढखवा, कैथी डुडवा, लक्ष्मीसेनपुर, टेकुरी सरैया, भगवानपुर, ऊधोरामपुर, बाबतपुर, और रजला गांवों की कितनी भूमि और कितने मकान विगत ६०, ६१, ६२ की बर-सात में गंगा और गोमती की धारा में टूट कर समाप्त हो गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

विगत वर्ष १९६०-६१ व ६२ की बरसात में गंगा व गोमती की धारा से हुए कटाव के कारण प्रश्न में उल्लिखित किसी भी ग्राम में कोई मकान नहीं टूटा। इन ग्रामों में से केवल ५ ग्रामों में ही कुछ क्षेत्रफल कटा था जिसका विवरण संलग्न सूची 'क' में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५०६-५०७ पर)।

२२---श्री रघुनाथसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ के कटाव के कारण उत्पन्न अभाव की पूर्ति सरकारी सहायता द्वारा किस रूप में किस अंश तक की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कटाव प्रभावित ग्रामों की मालगुजारी में नियमानुसार छूट दी गई जिसका विवरण संलग्न सूची 'ख' में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५०६-५०७ पर)

कौड़ीराम गोदाम से सीमेंट की चोरी

२३---श्री कल्पनाथसिंह ---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर जिले के कौड़ी राम गोदाम से टेम्पोरेरी डिवीजन की कुछ सीमेन्ट चोरी गई है और उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो क्या इस घटना की पूरी जानकारी का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५०८ पर)

सीऊरा ग्राम के बाढ़-पीड़ितों को सहायता

२४---श्री रघुवीर---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कासिमाबाद (गाजीपुर) विकास क्षेत्र के सीऊरा गांव के ग्रामीणों ने हाल में बाढ़ के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां। ऐसे दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। स्थिति की जांच के पश्चात् अत्यन्त निर्धन पीड़ितों को १२० रु० की अहेतुक सहायता वितरित की गई और खरीफ १३७१ फसली की १२३८ रु० की मालगुजारी की वसूली भी स्थगित कर दी गई। जिलाधीश ने उक्त फसल की मालगुजारी में छूट का प्रस्ताव भी भेजा है जिस पर नियमानुसार आवश्यक कार्य-वाही की जा रही है।

आजमगढ जिले में शिक्षा संस्थायें

२५---श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने सरकारी तथा गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---

आजमगढ़ जनपद में कुल ३ सरकारी एवं १४२ गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल तथा एक सरकारी एवं ५७ गैर-सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं।

२६---श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी एच० टी० सी० ट्रेनिंग संस्थायें हैं ? क्या इनकी जिलेवार सूची सदन की पीठिका पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---

इस समय प्रदेश में १२५ सरकारी तथा ६ गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त एच० टी० सी० ट्रेनिंग संस्थायें हैं। इनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५०९-५१० पर)

२७---श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं को एच० टी० सी० ट्रेनिंग कक्षायें चलाने की अनुमति किन शर्तों पर दी जाती है ? क्या आजमगढ़ में किसी संस्था को उक्त प्रकार की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कैलाशप्रकाश---

गैर सरकारी संस्थाओं को एच० टी० सी० की मान्यता देने के लिये यह आवश्यक है कि उनके पास आर्थिक साधन, भवन छात्रावास, पुस्तकालय, साज एवं सज्जा उपलब्ध हों एवं प्रबन्ध अच्छा हो।

आजमगढ़ में किसी गैर-सरकारी संस्था को एच० टी० सी० कक्षा खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

लेखपालों की नियुक्ति

२८---श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पटवारी आन्दोलन में त्याग-पत्र दिये हुए पटवारियों की जब लेखपालों के रूप में पुनर्नियुक्ति हुई तब क्या उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई मेरिट लिस्ट बनाई गई थी ? यदि हां, तो जिन नये लेखपालों की नियुक्ति की गई है वह नियुक्तियां उसी सूची के अनुसार हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां, मेरिट लिस्ट बनाई गई थी और उसके अनुसार नियुक्तियां जिले के स्तर पर संबंधित अधिकारियों ने की हैं। सरकार की निगाह में अगर इस संबंध में कोई त्रुटि आयी है, तो उचित आदेश दिये गये हैं।

२९---श्री लोकपाल सिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी उसमें क्या उन पटवारियों को भी शामिल किया गया था जो कि मुस्तकिल नहीं थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां।

गोरखपुर जिले में कलेक्शन विभाग के कर्मचारियों की मुअत्तली

३०---श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में कलेक्शन विभाग के कितने कर्मचारी किन-किन आरोपों में सन् १९५४ से अब तक (सितम्बर, १९६३) मुअत्तल किये गये ? उन कर्मचारियों में से कितने लोग कितने दिनों की मुअत्तली के बाद पुनः काम पर रखे गये और कितने लोग नौकरी से हटा दिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

गोरखपुर जिले के कलेक्शन विभाग में १९५४ से सितम्बर, १९६३ तक १९ कर्मचारी निम्न आरोपों पर मुअत्तल किये गये---

मुअत्तल कर्मचारियों की संख्या	आरोप जिनके कारण मुअत्तल हुए
११	निश्चित दिनांक पर गैर-हाजिरी का आरोप।
४	गबन का आरोप।
१	देर में रुपया जमा करने का आरोप।
१	कम वसूली का आरोप
१	गलत नक्शा भेजने का आरोप।
१	तकावी की दरख्वास्त पर गलत तस्दीक का आरोप।

इनमें से ४ कर्मचारियों को हटा दिया गया व शेष को वैभागिक कार्यवाही के बाद पुनः काम पर रखा गया। मुअत्तली की अवधि का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५११ पर)

३१---श्री दुर्योधन---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कर्मचारियों के मुअत्तली के समय उनके स्थानों पर नये कर्मचारियों की नियुक्ति भी हुई थी या नहीं ? यदि हां, तो उन नये कर्मचारियों को कुल कितना वेतन दिया गया और उसकी धनराशि क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां, नयी नियुक्तियों तथा दी गई वेतन की धनराशि का विवरण सूची में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५११ पर)

३२--श्री दुर्योधन--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में कितने कर्मचारी एक ही स्थान पर पांच व दस वर्षों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं ? उनको उनके स्थान से तबादला न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

कोई भी नहीं।

नगरपालिका देवरिया में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

३३--श्री कृष्णा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५० से अब तक नगरपालिका देवरिया में सरकारी भवन निर्माण हेतु कितनी भूमि ली गई है तथा किन-किन व्यक्तियों को और इस भूमि का मुआवजा किस दर से दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

नगरपालिका के अन्तर्गत कुल १८६.३१ एकड़ भूमि १,८५० खातेदारों से निम्नलिखित दर के मुआवजे पर ली गई :--

दर	खातेदार
नियमानुसार सामान्य दर से	३१७
१,२०० रु० प्रति एकड़	११०
१,४०० रु० ,, ,, ...	१२८
१,५०० रु० ,, ,, ...	७००
१,७०० रु० ,, ,, ...	५९५
योग ..	१,८५०

३४--श्री कृष्णा--

क्या यह सही है कि जिन किसानों की भूमि ली गई है वह किसान बिला रोजगार तथा भूखे मर रहे हैं ? सरकार इसकी जांच करा कर इन दुखित किसानों को कहीं भूमि देगी या रोजी-रोटी के लिये नौकरी देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस प्रकार की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

बाराबंकी जिले में कुर्क अमीनों की सूची

३५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के कुर्कअमीन की दिनांक १४ सितम्बर, १९६० की सूची में अंकित ५० व १३० नम्बर के व्यक्ति को १२ दिसम्बर, १९६० की फाइनल सूची में अंकित किया गया है ? यदि नहीं, तो इनकी जगहों पर किसे रखा गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सितम्बर १४, १९६० की घुमाई गई अन्तरिम सूची में, ५०वें नम्बर पर अंकित, श्री जगन्नाथ प्रसाद निगम नौकरी से अवकाश ग्रहण कर चुके थे अतएव १२-१२-६० की अन्तिम सूची में उनके नाम अंकन करने का प्रश्न नहीं उठता। इनकी जगह पर नफीसुल हसन को रक्खा गया।

जहां तक १३० वें नम्बर पर अंकित, श्री चन्द्रशेखर सिंह के नाम का सम्बन्ध है, वह केवल अस्थायी रूप से उस समय तक के लिये रखे गये थे जब तक पूरे वर्ष का इन्तजाम न हो। १३-९-६० को श्री जुगलकिशोर ओझा की नियुक्ति पूरे वर्ष के लिये की गयी थी। अतएव १२-१२-६० की अन्तिम सूची में श्री चन्द्रशेखरसिंह का नाम हटा कर श्री जुगलकिशोर ओझा का नाम रखा गया था।

३६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि १२ दिसम्बर, १९६० की फाइनल सूची के १२८, १२९, १३० नम्बरों पर अंकित नाम बाद में जोड़े गये हैं जिनके नाम १४ सितम्बर, १९६० को तहसीलदारों को भेजी गई सूची में अंकित नहीं थे? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जहां तक १२-१२-६० की फाइनल सूची में अन्य व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने की बात है, उसका विवरण इस प्रकार है :--

नं० १२८ श्री जुगलकिशोर ओझा--इनकी नियुक्ति श्री चन्द्रशेखर सिंह के स्थान पर, जिनका नाम अन्तरिम सूची में था पूरे वर्ष के हेतु की गई थी।

नं० १२९--श्री नफीसुल हसन--इनकी नियुक्ति १४-९-६० को, श्री जगन्नाथ प्रसाद निगम के स्थान पर, जो रिटायर हो गये थे, की गई थी।

नं० १३०--श्री हमीदुल्ला बेग--इनकी नियुक्ति श्री वारिश अली के स्थान पर जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं, २४-९-६० को की गई थी।

३७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि १४ सितम्बर की उक्त सूची के क्रमांक ५०, ५२, ५३, ८५, ९०, ९७, ९८, ९९, १००, १०१ पर अंकित नामों को तथा १२ दिसम्बर, १९६० की फाइनल सूची के २, ५१, ८३, ८७, ८९, ९०, ८५, ८६, ८८, १०० आदि स्थानों पर ले जाकर जूनियर को सीनियर और सीनियर को जूनियर किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। १२-१२-६० की फाइनल सूची में जिन लोगों का नाम ऊपर नीचे हुआ उसका कारण यह है कि अन्तरिम सूची के सम्बन्ध में कुछ अमीनों ने आपत्ति की थी। उनके आपत्ति के निर्णय पर तथा अन्तरिम सूची के जांच करने के पश्चात् दिनांक १२-१२-६० की अन्तिम सूची बनाई गई थी। अन्तिम सूची में जिस अमीन का नाम जिस संख्या पर अंकित होना निश्चित पाया गया उसका नाम वहां अंकित किया गया।

बस्ती जिले में निर्माण कार्य

३८--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सितम्बर, १९६३ तक कितनी सड़कों तथा कितने पुल का निर्माण हुआ और इनमें कुल कितना रुपया व्यय हुआ तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कितने-कितने पुल तथा कितनी-कितनी सड़कों के लिये कितना-कितना रुपया व्यय करने का अनुमान है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस जिले में द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सितम्बर, १९६३ तक १९३ मील ७ फर्लांग सड़क तथा दो पुलों का निर्माण हुआ और व्यय क्रमशः १,००,०८,१५५ रु० तथा ८,१०,६३६ रु० हुआ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सड़कों तथा पुलों का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५१२–५१३ पर)

३९—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि रामजानकी रोड और आभा से दुबलिया, कैप्टेनगंज होती हुई विक्रम जोत से सोनहा पर तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कुल कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है और कब तक कार्य पूरा हो जायगा तथा इनमें से कौन-कौन मैनपावर यूटीलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत रखी गई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

रामजानकी मार्ग के एक भाग के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आभा से दुबलिया कैप्टेनगंज होती हुई विक्रमजोत से सोनहा सड़क किसी स्कीम के अन्तर्गत नहीं ली गई है। यह सड़कें मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत नहीं रखी गई हैं।

बलरामपुर तहसील में लेखपालों की बहाली

४०—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत हाई कोर्ट के जी० ओ० दिनांक २७ जनवरी, १९५७ के अनुसार हाकिम तहसील बलरामपुर ने १२ लेखपालों को बहाल किया था ? यदि हां, तो उनमें किसी एक व्यक्ति को सर्विस न देकर उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक जी० ओ० हाई कोर्ट का नहीं बल्कि राज्य सरकार का था। इसके अनुसार उन्हीं लेखपालों को बहाल किया जाना था जिनको कि परीक्षण (Probation) पर नियुक्त किया गया था। तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा में इस प्रकार के केवल ११ ही लेखपाल थे जिनको बहाल किया गया। यह कहना गलत है कि बहाल करने में उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन किया गया।

४१—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त व्यक्ति अधिक आयु होने (Over age) के कारण नहीं लिया गया जब कि नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सर्विस कर चुका था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता।

४२—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार उक्त व्यक्ति अर्थात् श्री आदित्य प्रसाद पूर्व लेखपाल सरकहवा, तहसील बलरामपुर (गोंडा) को उक्त जी० ओ० के अनुसार पुनः जांच करा कर पूर्ण वेतन के साथ पुनः बहाल करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री आदित्य प्रसाद परीक्षणकालीन लेखपाल नहीं थे। अतः उपर्युक्त आदेश के अनुसार वह बहाल नहीं हो सकते थे। अतः पुनः जांच कराने अथवा बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता।

घाघरा पर अयोध्या एवं दोहरीघाट पुलों का निर्माण

४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या एवं दोहरीघाट स्थानों में घाघरा नदी पर पुल बनाने की प्रगति क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अयोध्या में घाघरा नदी पर पुल निर्माण की प्रगति ४२ प्रतिशत है। ३१ अक्तूबर, १९६३ तक इस पर ४८,६८,३६६ रु० व्यय हो चुका है।

दोहरीघाट में घाघरा नदी पर पुल का १६५ लाख रु० का आगणन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा गया है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

आजमगढ़ जिले में निर्माण-कार्य

४४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में चालू वित्तीय वर्ष में कौन-कौन सरकारी भवन कितने-कितने रुपये में बनाये जा रहे हैं और उनकी अलग-अलग प्रगति क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आवश्यक सूचना† माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

४५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊभाव, थाना खैरा तुर्तीपार, जिला बलिया को आजमगढ़ से जोड़ने वाली सड़क मधुवन-वाया-दुवारी परसिया को विभाग के अन्दर लेकर पक्की कराने का विचार है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

फरेंदा तहसील में पवह नाले पर पुल निर्माण

४६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पुल फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में नाला पवह पर शिकारगढ़ मौजा बरडांड़ में फरेंदा, उस्का बाजार रोड पर बन रहा था उसका कुल कितने का प्राक्कलन है तथा यह पुल कब तक बन कर तैयार हो जायगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह पुल ३.९६ लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत हुआ है। इसका प्राक्कलन ५.६१ लाख रुपये का बना है यह अभी विचाराधीन है। प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद लगभग २ वर्ष इस पुल के निर्माण में लगेंगे।

४७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जो जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखेंगे कि कुल कितने दाम का पत्थर तथा गिट्टी उस पुल पर गत ५ वर्षों से पड़ी है तथा उसका क्या उपयोग हो रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है और न कोई गिट्टी या पत्थर उसके निर्माण के लिये इस पुल पर संचय किया गया है। इसलिये किसी प्रकार के व्यय का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

फूलपुर बाजार में सड़क निर्माण

४८—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में फूलपुर बाजार में सड़क की दोनों पटरियों पर ईंटों के खड़ंजे बिछाने के सम्बन्ध में पत्र सं या ४१९२-सी/२३ पी० डब्ल्यू० ए—७-सी

---

†छापी नहीं गई।

(२४)–१९६२, सहायक सचिव, श्री ज्वाला प्रसाद का प्रश्नकर्ता के नाम २९ नवम्बर, १९६२ का मिला था कि २२ अगस्त, १९६२ के मेरे पत्र पर जो माननीय निर्माण मंत्री का लिखा था उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो विचार हो गया या नहीं? यदि हो गया, तो क्या?

श्री जगनप्रसाद रावत---

फूलपुर बाजार में सड़क की दोनों पटरियों पर ईंटों के खड़ंजे बिछाने का कार्य सरकार न स्वीकृत कर लिया है। अब इसके आगणन पर विचार किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

फरेंदा तहसील में सड़कें

४९---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील जो नैपाल सरहद के निकट पड़ती है वहां कोई योजना सड़कों आदि के लिए बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी हां।

५०---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जांच कराकर एक रपट कोल्हुई, बृजमनगंज, धानी बाजार से बृजमनगंज तथा फरेंदा से सोना बन्दी लोटन की सड़क जो सरहद पर पड़ती है, के निर्माण के लिए एक प्राक्कलन तैयार करा कर सदन की मेज पर रखेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत---

यह सड़कें किसी स्वीकृत योजना में इस समय सम्मिलित नहीं हैं। इसलिये इनका विस्तृत सर्वेक्षण करना तथा प्राक्कलन तैयार करना अभी आवश्यक नहीं है।

श्री नेहरू माध्यमिक विद्यालय, रोही के प्रधानाचार्य की बर्खास्तगी

५१---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या यह सत्य है कि श्री नेहरू माध्यमिक विद्यालय रोही, जिला वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री सुखनन्दन शर्मा जो कि विद्यालय के प्रबन्धकों द्वारा अपने पद से निकाल दिये गये थे,उनकी अपील पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्र-संख्या आई–४३४–१–१५, दिनांक २८ अप्रैल, १९६३ में मैनेजर को यह आदेश दिया कि उक्त प्रधानाचार्य को नौकरी से निकालना अनियमित तथा अवैधानिक है?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां।

५२---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या यह सत्य है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने उक्त आदेश के बाद भी श्री शर्मा को अभी अपने पद पर काम करने नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश---

दोनो पक्षों का झगड़ा सुलह द्वारा १७–१२–६३ को तय हो गया जिसके अनुसार श्री शर्मा को बकाया १,४०० रुपयों का भुगतान संस्थाधिकारियों ने कर दिया है और उनकी सेवा दोनों की सहमति से समाप्त हो गई है।

५३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे कि जिला विद्यालय निरीक्षक का उक्त आदेश लागू किया जा सके?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर क्षेत्र में ओवरसियर

५४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर प्राविन्शियल डिवीजन में कितने ओवरसियर हैं और उनमें किन-किन के जिम्मे कौन-कौन से कार्य दिनांक १५ अक्तूबर, १९६३ तक सौंपे गये थे? क्या उन ओवरसियरों में कुछ के जिम्मे उक्त दिनांक तक कुछ भी काम नहीं था? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गोरखपुर प्राविन्शियल डिवीजन में १५ अक्तूबर, १९६३ ई० को १९ अधिदर्शक (ओवरसियर) कार्य कर रहे थे उनके जिम्मे जो कार्य थे वे संलग्न तालिका में उनके नाम के सामने अंकित हैं। कथित दिनांक में कोई अधिदर्शक ऐसा नहीं था जिसके जिम्मे कुछ भी कार्य न रहा हो।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ५१७–५१८ पर)

५५—श्री चन्द्रबलीसिंह —

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त डिवीजन के लिये ४ और ओवरसियरों की मांग की गयी है। यदि हां, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत —

जी हां। गोरखपुर प्राविन्शियल डिवीजन का कार्यभार ४९.५२ लाख रुपये का था। २ लाख रुपये प्रति अधिदर्शक (ओवरसियर) के निश्चित कार्य-भार के अनुसार यहां कम से कम २४ अधिदर्शकों (ओवरसियरों) की आवश्यकता थी। चूंकि इस डिवीजन में १९ अधिदर्शक (ओवरसियर) पहले से ही कार्य कर रहे थे, इसलिये ५ अधिदर्शकों की और मांग की गई और वह पूरी भी कर दी गई?

खुर्जा-जेवर मार्ग उंचा करना

५६—श्री जसरामसिंह —

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जिला बुलन्दशहर में खुर्जा-जेवर सड़के ६वें और सातवें मील में १ मील २ फर्लांग सड़क को ऊंचा करने का विचार करेंगे जिससे करों नदीं का बरसाती पानी जो उपरोक्त सड़क पर ४ फुट पानी भरा रहता है न चढ़ सके?

श्री जगनप्रसाद रावत —

खुर्जा जेवर मार्ग के प्रश्नगत भाग को ऊंचा करने का कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और वह कार्य प्रगति पर है। यह कार्य अगली वर्षा काल में पूर्व ही समाप्त हो जायगा।

५७—श्री जसरामसिंह —

क्या यह सच है कि इस वर्ष १९६३ की विशाल भयंकर बाढ़ में कई स्थानों पर नदी की धारा से सड़क कट गई है ?

श्री जगन प्रसादरावत —

जी हां।

५८—श्री जसरामसिंह —

क्या जहां उपरोक्त सड़क कट चुकी है, वहाँ कई दर वाला पुल बनाने की कृपा करेंगे कि जिससे हर वर्ष जो पानी सड़क पर आ जाता है न आये और हर वर्ष जो यहां के गांवों में संकट उत्पन्न हो जाता है वह दूर हो जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत —

आवश्यक स्थानों पर पुलिया एवं नाले बनाये जाने का प्राविधान कर दिया गया है।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना आयी है श्री हरीशकुमार गंगवार की, वह मैंने स्वीकार नहीं की है। उनका कहना है कि कुछ निरपराध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वे निरपराध हैं तो अदालत से मामला तय हो सकता है। यहां नहीं हो सकता। यह लोक महत्व का प्रश्न भी नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) —

पुलिस धांधलेबाजी करके गिरफ्तारी कर रही है। हजारों आदमी वहां धरना दे रहे हैं। यह लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर एक वक्तव्य दिलवा दीजिये। एक आदमी का प्रश्न होता तो मैं नहीं कहता।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। यह कहना कि निरपराध पकड़े जा रहे हैं। आपकी दरख्वास्त यह है कि मजहमत बेजा, अनलाफुल इन्टरफियरेंस इन दि डिस्चार्ज आफ पब्लिक ड्यूटीज में वह गिरफ्तार हुये, और आप कहते हैं कि वह निरपराध हैं। तो यह अदालत तय करेगी, हम तो तय कर नहीं सकते और उसके अतिरिक्त आप कोई और बात कह नहीं रहे हैं। वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गये हैं जो कहते हैं कि निरपराधियों को छोड़ो तो इसका मतलब यह हुआ कि अदालत फैसला न कर के वहां पर जो लोग इक्कट्ठा हुये हैं वह फैसला करें कि यह निरपराध हैं। तो यह नहीं हो सकता। मैंने इसे अस्वीकार किया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो कोई न कोई धारा तो लगाती ही है। बगैर किसी धारा के तो गिरफ्तार कर नहीं लेती, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि इस तरीके से, कई लोगों को जो निपराध हैं....

श्री अध्यक्ष—

हर एक गिरफ्तारी लोक महत्व की नहीं होती।

इंटरमीडिएट परीक्षा, १९६४ के कार्य-क्रम में छात्राओं के लिये तीन विषयों को एक विषय के रूप में रखने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश) --

सर्वश्री सुखदेवप्रसाद तथा रक्षपालसिंह, सदस्य विधान सभा, ने विधान सभा की नियमावली नियम ५२ के अन्तर्गत इस बात की सूचना दी है कि यू० पी० बोर्ड की इन्टरमीडियेट परीक्षा, १९६४ के लिये गृह विज्ञान, मनो विज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र पृथक विषय घोषित किये गये थे। परिणाम स्वरूप छात्राओं ने ऐच्छिक रूप में तीनों विषय ग्रहण किये। अनेक विद्यालयों में इसी के अनुसार पढ़ाई होती रही। परन्तु १९६४ की बोर्ड की परीक्षा के कार्यक्रम में उपर्युक्त तीनों विषयों को एक ही रूप (ग्रुप) में रखा गया है और तीनों की परीक्षा एक ही समय रखी गयी है। इसके अनुसार सैकड़ों छात्राओं के सामने संकट पैदा हो गया है। परीक्षा निकट आ जाने के कारण छात्राओं के सामने दो वर्ष नष्ट होने का संकट उपस्थित है। ऐसी स्थिति में बोर्ड तथा सरकार के प्रति असंतोष तथा अविश्वास की भावना जनता में व्याप्त है।

२--माननीय सदस्यों ने जो उपर्युक्त उल्लेख किया है वह सही नहीं है। इसकी पूर्ण सूचना १९६२ के शिक्षा सत्र के आरम्भ होने के पहले दे दी गयी थी और बाकी अन्य विषयों में नये वर्गीकरण की सूचना बार-बार दी गयी थी। समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्याओं को प्रथम बार २१ मई, १९६२ फिर जून ११, १९६२ को और अन्तिम बार ४ सितम्बर, १९६२ को पत्र भेज कर दी गयी। इस बीच राजकीय गजट में भी १९ मई, १९६२ तथा २२ सितम्बर, १९६२ को विनियम में परिवर्तन की विज्ञप्तियां भी निकाल दी गईं। १९६४ की परीक्षा की विवरण पत्रिका में भी नये वर्गीकरण को शामिल किया गया। इसके फलस्वरूप १/२ प्रतिशत छात्रों को छोड़कर, जिसमें अधिकांश व्यक्तिगत (प्राइवेट) परीक्षार्थी थे, सभी ने मान्य विषयों का चयन किया। जिन प्रधानाचार्यों ने पुराने ही वर्गीकरण को अपने विद्यालयों में कुछ छात्र या छात्राओं को पढ़ाया, उन्होंने ऐसी भूल की जो नहीं होनी चाहिये थी।

३--विषयों का नया वर्गीकरण इस समस्या को हल करने के लिये किया गया कि परिषद् की परीक्षायें बहुत अधिक समय तक चलती रहती थीं और उससे छात्र तथा छात्राओं और संस्थाओं पर अकारण बोझ पड़ता था।

४--इस मांग का समर्थन शासन द्वारा निर्मित माध्यमिक शिक्षा समिति ने भी किया था और इसके लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् को लिखा गया था। छात्रों के हित में यह कदम उठाया गया है और अब परीक्षाकाल काफी कम हो गया है।

५--जब कभी भी वर्गीकरण के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से किसी ने जांच की तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि नवीन वर्गीकरण लागू है।

६--जब परिषद् के कार्यालय में परीक्षा प्रवेश फार्म आये और जैसे-जैसे जांच होती गयी और गलती पायी गयी तो उसकी सूचना प्रधानाचार्य या व्यक्तिगत परीक्षार्थी को तुरन्त भेजी गयी। उनमें से अधिकांश ने नवीन वर्गीकरण के अनुसार अपने विषयों में परिवर्तन कर लिया और संगत विषय लेने की सूचना परिषद् को भेज दी।

७--अभी हाल में ऐसी कुछ प्रधानाचार्याओं ने अपनी भूल मानते हुये माध्यमिक शिक्षा परिषद् से यह प्रार्थना की कि उन छात्राओं के लिये जिनके पास असंगत विषय हैं, कुछ विशेष छूट ऐसी दी जाय कि उनका साल खराब न हो। इस पर विचार करते हुये अब यह निर्णय लिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है कि असंगत विषय लेने वाले छात्र या छात्राओं के लिये कुछ विशेष छूट प्रदान की जाय। यह छूट निम्नलिखित २ प्रकार के परीक्षार्थियों को प्राप्त होगी :

(१) जिन्होंने विषयों के चयन को संगत बनाने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् को विषय परिवर्तन की सूचना भेज दी है, तथा

(२) उन्हें भी जिन्होंने अभी तक असंगत विषय के परिवर्तन की सूचना परिषद् को नहीं भेजी है।

यह सुविधायें इस प्रकार हैं :

(अ) यदि परिक्षार्थी ने असंगत विषय में परिवर्तन कर संगत विषय का चयन कर लिया है तथा अपने परिवर्तन पर दृढ़ है तो वह —

(१) या तो मार्च / अप्रैल, १९६४ की मुख्य परीक्षा में सभी विषयों में सम्मिलित हो सकता है।

या

(२) परिवर्तित विषय के अतिरिक्त, अन्य विषयों में मार्च–अप्रैल, १९६४ की मुख्य परीक्षा में, तथा परिवर्तित विषय में जुलाई/अगस्त, १९६४ की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

(अ) यदि कोई परीक्षार्थी असंगत विषय को चयन किये रहना चाहता है, तो उसे २ भागों में परीक्षा देनी होगी। मार्च/अप्रैल, १९६४ की मुख्य परीक्षा में एक असंगत विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों में, तथा एक असंगत विषय में जुलाई-अगस्त, १९६४ की पूरक परीक्षा में।

परीक्षार्थी द्वारा पूरक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों में जोड़ कर परीक्षाफल निर्धारित किया जायगा।

८—यह सुविधा बहुत ही विशेष परिस्थिति में दी गयी है, जिसमें परीक्षा के मुख्य प्रबन्ध को कायम रखते हुये, ऐसी गलती करने वाले परीक्षार्थियों का साल बच जाय।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने जो एक गम्भीर विषय था उसके निराकरण हेतु कुछ उपाय रखे हैं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह गलती तो वास्तव में प्रधानाध्यापिकाओं के गलत इन्टरप्रिटेशन के कारण हुई है जिसके कारण एक नया बर्डेन कुछ छात्राओं पर ऐसा पड़ने वाला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनको वह गलती समय पर नहीं बतायी गयी। क्या ऐसा संभव नहीं है कि मन्त्री जी जो डेट्स हैं उनमें ऐसा अन्तर कर दें और उनको इन विषयों की परीक्षायें दे लेने दें इसी मार्च/अप्रैल में। क्योंकि लोकल, क्षेत्रीय कुछ विद्यार्थियों की समस्या है तो फिर से उन पर बर्डेन न पड़े इसलिये स्कीम में परिवर्तन कर दें और फिर कमेटी से उसे स्वीकार करा लें, ऐसी कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश —

मैं माननीय सदस्य की मंशा समझ नहीं पाया हूं या मैं समझा नहीं पाया हूं। प्रश्न यह हुआ कि कुछ गलत सबजेक्ट्स ले लिये और उन विद्यार्थियों को मालूम नहीं हुआ, प्रधान आचार्यों ने उनसे कहा नहीं। जिस वक्त बोर्ड में पता लगा तो उनको सूचना दे दी कि ये जो आपने ऐच्छिक विषय लिये हैं वह सही नहीं हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने उनको बदल दिया जिससे वह इस स्कीम के अन्तर्गत आ जायं। बहुत सों ने नहीं बदला है। नियमानुसार तो उनकी कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिये थी, किन्तु यह सुविधा जो मैंने अभी स्पष्ट की है वह यह है कि जिन विद्यार्थियों

[श्री कैलाशप्रकाश]

ने पढ़े हैं विषय और बाद में बदले, यह जानते हुये कि कुछ अशुद्धि हो गयी है तो उनके लिये यह च्वाइस है। चाहे तो वह १९६३-६४ की मार्च/अप्रैल की परीक्षा में इम्तहान दे दें अगर पूरी तैयारी हो गयी है और अगर जो विषय बाद में तबदील किया है उसे तबदील ही रखना चाहते हैं तो ३ महीने का समय और दे दिया गया कि जुलाई में इम्तहान दे दें और दोनों इम्तहानों के नम्बर जुड़ जायेंगे। जैसी परीक्षा इस वक्त होती वैसी ही तब होती। तो उसको यह सुविधा प्राप्त हो गयी और ३ महीने का समय और मिल गया।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह सेटिस्फाइड हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) —

पूरा तो करा दीजिये, वह और कुछ कहना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपकी समझ में नहीं आया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अगर आपकी समझ में आ गया तो औरों की समझ में भी आना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इनकी समझ में नहीं आया, समझा दीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश —

विद्यार्थियों की, जैसा मैं कह चुका हूं, दो श्रेणी थीं। एक तो जिन्होंने विषय परिवर्तन कर लिया है वह सन् १९६३-६४ की परीक्षा में बैठ जायं और चाहे जो विषय तबदील किया है उसकी परीक्षा सप्लीमेंटरी में दे दें। अब वह विद्यार्थी रहे जिन्होंने कि विषय में परिवर्तन किया ही नहीं है और अभी तक वही पढ़ते रहे। उनको यह छट है कि वह १९६३-६४ में अब उन्हीं विषयों में इम्तहान दे दें जो उन्होंने पढ़े हैं और जो विषय एक असंगत हो गया उसकी परीक्षा जुलाई, १९६४ में देंगे, दोनों के नवम्बर जुड़ जायेंगे। उनको यह सुविधा हो जायगी कि उनको पढ़ने का और समय मिल सकेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो एक विषय असंगत है उसकी पूरक परीक्षा दे दें, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने पूरा अध्ययन कर लिया है उनको मार्च-अप्रैल की परीक्षा में ही बैठने की सुविधा देने में उन्हें क्या आपत्ति है ?

श्री कैलाशप्रकाश —

परीक्षा की जो स्कीम बनती है, सम्बन्धित माननीय सदस्य जानते हैं कि लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं और उसका प्रबन्ध पहले ही होता चला आता है। नियम के अनुसार वह स्कीम बनी और इसलिये वह रहेगी। जिन्होंने अनियमित कार्य किया है उनके लिये एक छूट दे दी गयी कि वह आगे भी इम्तहान में बैठ जायेंगे। यानी अनियमित कार्य करने वालों के कारण सारा क्रम बदल दिया जाय, यह तो मैं नहीं चाहता।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय मन्त्री जी की बात सुन लीजिये। उन्होंने कहा है कि यह सूचना प्रधानाचार्यों को दे दी गयी है कि उन्होंने अनियमित रूप से काम किया। अब छात्राओं का एक साल बचाने के लिये यह सुविधा दे दी गयी है कि उनको एक पूरक परीक्षा में बैठने को मिले।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय ---

मन्त्री जी ऐसा कर दें कि परीक्षा के आखिर में एक दो दिन इस विषय की परीक्षा के लिये रख दें, इससे विद्यार्थियों का समय भी बच जायेगा और मन्त्री जी की इच्छा भी सहायता करने की पूरी हो जायेगी।

श्री कैलाशप्रकाश ---

जो स्कीम बन गयी है उसके तो प्रश्न-पत्र आदि भी सब छप कर तैयार हो गये हैं अब उस सब्जेक्ट्स के पेपर्स जिसमें कि आल्टरनेटिव उनको नहीं दिया गया, उसी दिन खुलेंगे जिस दिन परीक्षा है। अब आगे उस विषय का अगर इम्तिहान लिया जाता है तो उसके लिये उसी विषय के दूसरे प्रश्न-पत्र बनवाने पड़ेंगे और अगर उसके दोबारा पर्चे बनते हैं तो सारी मंशा ही इसकी समाप्त हो जायेगी। इसलिये इस वक्त यह सम्भव नहीं है कि परीक्षा के अन्त में उनकी परीक्षा ली जाय। थोड़े से विद्यार्थियों की सुविधा के लिये लाखों को असुविधा पहुंचाना तो माननीय सदस्य भी पसन्द नहीं करेंगे।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

पूरक परीक्षा का रिजल्ट बड़ी देर में निकलता है और उसके कारण एडमीशन आदि में भी बड़ी दिक्कत पड़ती है, तो क्या माननीय मंन्त्री जी इस पर विचार करेंगे और इसके लिये कोई सहूलियत देंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जो लड़के फेल होते हैं और सप्लीमेंटरी परीक्षा में बैठते हैं उनके भी तो एडमीशन्स होते ही हैं। अब जो सुविधायें ऐसे विद्यार्थियों को उपलब्ध होती हैं, वह इनको भी प्राप्त होंगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

इसमें बालक-बालिकाओं का कोई कसूर नहीं था, कसूर तो प्रधानाचार्यों का था या उनके मैनेजमेंट का था। तो क्या माननीय मन्त्री जी उनको कोई ऐसी वार्निंग या दन्ड देंगे जिससे भविष्य में ऐसी गलती न होने पाये ?

श्री अध्यक्ष---

उनको दन्ड देने से छात्रों का कोई लाभ नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३†

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना मार्च, १९५८ में हुई थी और मई, १९५८ में इसके अनुसार कार्य किया गया था। सरकार के द्वारा एक बोर्ड नामिनेट किया गया और उसने सर्वप्रथम प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर १२ वेयर हाउसेज की स्थापना की और इसका कार्य जनवरी, १९६१ से प्रारम्भ हुआ। जब ऐक्ट इसका उत्तर प्रदेश के अन्दर पास किया गया तो उस वक्त मंशा यह थी कि इस ऐक्ट को उत्तर प्रदेश के अन्दर लागू किया जाय और इसके अनुसार नियम बना कर इसका कार्य सफलतापूर्वक संचालन किया जाय। तीसरी

---

†१६ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

पंचवर्षीय योजना में इस बात की व्यवस्था है कि हमारे प्रदेश में ५० वेयर हाउसेज कायम किये जायं जिससे कृषि के उत्पादन को उनमें रखा जा सके और उसका नियन्त्रण तथा देख रेख ठीक ढंग से किया जा सके, इसलिये इसे कायम किया गया। लेकिन हमारे एडवोकेट जनरल ने तथा गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने यह देखा कि इस अधिनियम के मुताबिक तथा संविधान के मुताबिक इसको अमल में लाने में कुछ कठिनाइयां होंगी। इसलिये उन्होंने कुछ संशोधन प्रस्तावित किये और उनके आधार पर यह संशोधन विधेयक परिषद् के सामने लाया गया और परिषद् ने जिस प्रकार इसको पारित किया है उसको इस सदन के सामने लाया गया है।

इसका प्रमुख लक्ष्य पहले जैसा कि प्रिएम्बिल में दिया गया है शुरू में तो केवल सुपरवीजन और कन्ट्रोल था लेकिन अब उसका मंशा अब यह है कि सुपरवीजन और कन्ट्रोल के अतिरिक्त हम हाइजिनिक तथा साइंटिफिक आधार पर भी हम अपने स्टोरेज की व्यवस्था कर सकें, इसलिये इसमें संशोधन किया गया है। जिस प्रकार की परिभाषा पुराने ऐक्ट में थी वह दोषपूर्ण मालूम हुई जैसे उसमें वेयर हाउसिंग तथा गोडाउन की परिभाषा को फिर से संशोधित किया गया है जिससे किसी प्रकार की गुंजाइश न रहे। इसके अतिरिक्त जब कोई माल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में रखा जाता था तब बैंक्स उसको नीगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेंट दे कर रुपया लेने देते और डिपाजिटर की हैसियत से उसे इन्शोरेंस कराना पड़ता जिसके लिये उसे प्रीमियम अदा करना पड़ता था। वह धनराशि करीब करीब ४०–५० हजार हो जाती थी। इस ऐक्ट के द्वारा हमने यह रखा है कि डिपाजिटर को कारपोरेशन या तो इन्डेमनिफाई करेगा या उनको इन्श्योरेंस करना होगा किसी जनरल इन्श्योरेंश के जरिये से। अगर हम इन्डेमनिफाई करते हैं तो प्रीमियम की रकम जो अदा करनी पड़ती है वह कमी हो जायगी। इसमें अब तक ऐसा था कि जो डिपाजिटर माल जमा करता था उसमें पार्शियल रिसीट देने की व्यवस्था नहीं थी। किसी आदमी ने जितना माल जमा किया और उसका एक हिस्सा निकाल लिया तो किसी प्रकार की गलती न हो और गड़बड़ी न हो सके उसके लिये पार्शियल रिसीट की व्यवस्था कर दी है जो पहले नहीं थी। इसके अतिरिक्त लाइसेंसिंग को हमने आसान किया है। उसकी अपील की व्यवस्था इसके द्वारा हमने की है। सस्पेंशन या रिजेक्शन जो आर्बीट्रेरी ढंग से किया जाता था उसको इसमें से निकाल दिया गया है ताकि लाइसेंस देने के अधिकार का दुरुपयोग न हो सके। पहले किसी व्यक्ति को वेयर हाउसिंग का लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं था लेकिन इस विधेयक के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वेयर हाउसिंग का काम करने वाले को लाइसेंस लेना लाजिमी होगा। यह इसलिये किया गया कि कृषकों के माल को ठीक ढंग से रखने की व्यवस्था हो सके।

वेयर हाउसिंग हमारे प्रदेश में बहुत आवश्यक है। अब तक जो वेयर हाउसेज हमारे प्रान्त में थे उनमें दो ही शेयर होल्डर थे गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट आफ इंडिया। इसलिये आज का वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक सीमित क्षेत्र में कार्य कर रहा था, अब हम चाहते हैं कि उसके क्षेत्र को बढ़ाया जाय। मौजूदा पंच वर्षीय योजना में हमने वेयर हाउसेज के लिये एक टारगेट रख दिया है। ३३ वेयर हाउसेज बढ़ने थे जिनमें से ७ वेयर हाउसेज बढ़े हैं। ४०० वेयर हाउसेज बन चुके हैं, ५० दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने थे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

इन वेयर हाउसेज में कौन डिपाजिट कर सकता है ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, हमारी ख्वाहिश तो यह है कि कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज और किसान लोग अपना माल उसमें रख सकें। लेकिन मौजूदा जो कैपेसिटी है उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब तक जो उपयोग हुआ है वह बहुत कम हुआ है। ६०–६१ में २.०१, ६१–६२

में ४.६८, ६२-६३ में १.७१ प्रतिशत हुआ है और कोआपरेटिव सोसाइटीज में क्रमशः २.४९, २.५९ और .९६ हुआ है । बाकी व्यक्तिगत लोगों का माल जमा किया गया ।

श्री बलवानसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि यू० पी० में इतनी गल्ले की कमी है उसको देखते हुये प्राइवेट लोगों को यह सहूलियत दी जाय जिससे अन्न की कमी भी पूरी हो सके और जो दाम बढ़ जाते हैं उनको भी रोका जा सके ।

श्री बनारसीदास—

अभी तक हमें सब जगह गोदामों के लिये भवन नहीं मिले हैं बहुत सी मंडियों में हमने किराये के गोडाउन्स रख रखे हैं। अभी तक जो हमारी कैपेसिटी है उसी का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ६३ प्रतिशत हुआ है । किसानों द्वारा कम उपयोग होने के कारण यह है कि उनको इसका ज्ञान नहीं है । हालांकि वहां पर माल जमा करने के बाद स्टेट बैंक और शिड्यूल बैंक से रुपया ले सकते हैं। तो एक तो कारण किसानों की इस बारे में अज्ञानता है और दूसरा कारण है कि बैंक डिपाजिट पर ७५, ७० फीसदी रुपया देते हैं तो काश्तकार और मार्केटिंग सोसाइटीज २५ प्रतिशत का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हैं । हमारा आदेश तो यह है कि मार्केटिंग सोसाइटीज और कल्टीवेटर्स अपना माल रख सकें । अगर फिर भी जगह खाली हो तो व्यापारियों का माल भी रखा जा सकता है । इसमें कंसीडरेशन यह है कि कारपोरेशन के पास जो स्पेस है उसका पूरा पूरा उपयोग हो सके और उसका वर्किंग बिजनेस लाइन्स पर हो । इस संबंध में अभी तक जो कार्य हुआ है उसमें एक दो साल को छोड़ कर कुछ न कुछ लाभ ही हुआ है । यह जो विधेयक सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है—पहले ऐक्ट की भाषा को इस प्रकार से शुद्ध किया गया है कि किसी को उसमें किसी प्रकार के संदेह और अर्थ लगाने की गुंजाइश न रहे और उसका प्रयोग हम सब जगह कर सकें। वेयर हाउसिंग के बारे में साइंटिफिक ढंग से लोगों को शिक्षित कर सकें और वैज्ञानिक तरीके पर इन्सेंटीसाइड और सफाई का काम हो सके । जो माल सूख जाता है, क्लाइमेटिक कडीशन्स के हिसाब से जो श्रिंकेज होता है उसको किसानों से ज्यादा न ले लिया जाय इसके लिये भी हम नियंत्रण रख रहे हैं । इसके साथ ही साथ हम उसके हाइजिनिक रख रखाव और विकास की व्यवस्था भी कर रहे हैं ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्रीमन्, जो विधेयक इस सदन से १९५८ में पास हुआ था यदि हम उसके प्रीएंबिल को देखें और इसके प्रीएंबिल से मुकाबला करें तो हमें मालूम होगा कि उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें परिवर्तन करना बड़ी भूल हो गयी है । सन् १९५८ के अधिनियम में यह दिया हुआ है कि "यह इष्टकर हैं कि उत्तर प्रदेश में गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय. . ." इसके अतिरिक्त उसमें जो १०-१२ नियम हैं उनको भी परिवर्तित किया जा रहा है । लेकिन पुराना जो विधेयक का उसका मुख्य उद्देश्य गोदामों को प्रोत्साहित करना था जिसमें इस विधेयक में निकाल दिया गया है और रखा गया है —"गोदामों में माल को वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर ढंग से जमा करने को प्रोत्साहित किया जाय" । इसका भी मतलब तो वही है लेकिन उन शब्दों को निकाल देने से मूल उद्देश्य को छोड़ दिया गया है । आशा है मंत्री जी इसको सुधार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

लेंगे। इसलिये मैं जो संशोधन दे रहा हूं उसमें मैंने यह जोड़ दिया कि "गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय।" मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। आज भी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि किराये के मकान लेकर गोदामों को चलाया जा रहा है, इसलिये कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गोदाम हों। हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में तथा कोआपरेटिव को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि गांवों और शहरों में अधिक से अधिक गोदाम बन सकें और जिससे किसानों की उपज को ठीक तरह से रखा जा सके और उससे वे लोग फायदा भी उठा सकें।

अब जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है जब हम इसके उद्देश्य और कारणों को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि "गोदाम के समुचित पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये इस राज्य में उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८ बनाया गया था। अब तक, उक्त अधिनियम की केवल धारा १ प्रचलित की गयी है क्योंकि अभिप्राय यह था कि इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के पश्चात् ही अधिनियम के मुख्य उपबन्ध प्रचलित किये जायें। नियमों का प्रारूप तैयार करते समय अधिनियम में कुछ त्रुटियां मालूम हुईं। भारत सरकार तथा सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने भी वर्तमान अधिनियम में कतिपय परिवर्तन करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, जब मूल अधिनियम पारित किया गया था तो अभिप्राय यह था कि गोदाम परिचालक का लाइसेंस लेना वैकल्पिक किया जाय। अब यह अनुभव किया गया है कि वैकल्पिक लाइसेंस से कृषि सम्बन्धी माल को वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य कर ढंग से जमा करने का प्रयोजन पूरा न होगा। अतएव, इस विधेयक के अधीन यह प्रस्ताव किया जाता है कि मूल अधिनियम में उचित संशोधन करके गोदाम परिचालकों का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जाय। अतएव यह इष्टकर है कि उन त्रुटियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि गोदाम योजना का कार्य सुचारु रूप तथा समुचित से हो, वर्तमान गोदाम अधिनियम को संशोधित किया जाय। संशोधन, कतिपय परिभाषाओं के सम्बन्ध में भी हैं जिन्हें स्पष्ट किया गया है। जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस जारी और रद्द किये जायेंगे उन्हें और स्पष्ट कर दिया गया है। गोदामों में जमा माल के बीमे से सम्बद्ध खंड को इस उद्देश्य से परिष्कृत कर दिया गया है कि इस मद पर परिहार्य व्यय को कम किया जा सके।" मैं मंत्री जी के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि आपने इस में यह कहा है कि यह अधिनियम पहले ५८ में बनाया गया था और ५९ में यह मालूम हुआ कि इस में यह त्रुटियां रह गई हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सन् ५८ में यह विधेयक पास हुआ था तो उसी समय नियम क्यों नहीं बनवाये गये, अगर बनाये गये होते तो ५ साल बाद जो यह नींद खुली है वह पहले ही खुल जाती और किसानों को पहले ही लाभ पहुंच सकता था। उनको वैज्ञानिक ढंग से गल्ले के रखने का लाभ नहीं मिल रहा है। इसका खास कारण यह है कि जो भी कानून सदन में आता है उसको पास करने की इतनी जल्दी सरकार को रहती है कि १ घंटे में जल्दी से बिल पास हो जाय चाहे दूसरे ही दिन उस पर संशोधन विधेयक लाना पड़े। इस तरह से किसानों की हानि होती है और सरकार का पैसा बरबाद होता है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने अधिकारियों को जरा टाइटेन करें जिन की गलती से यह विधेयक उस वक्त अपूर्ण रहा और आज इतनी देर के बाद अब यह सदन में लाया गया है।

साथ ही मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वही कारण नहीं हैं, कारण इस नये विधेयक को लाने का यह है कि सन् ६२ में केन्द्रीय सरकार का नया वेयरिंग हाउसिंग का कानून बना और यहां जब उसको पढ़ा गया तो इस सरकार की नींद खुली। उस से यहां के कानून में बहुत कांट्रेडिक्शन हैं। उनके नियम बिलकुल कांट्रेडिक्टरी हैं। मंत्री जी ने देखा कि जो वेयर हाउसेज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून से स्थापित किये गये हैं वे ठीक से वर्क कर रहे हैं और स्थापित किये गये हैं उनके लिये लाइसेंन्स के लिये या सीक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। और उनको लाइसेंन्स वगैरह लेने से बरी किया है। लेकिन नये विधेयक में एक बात छूट गई है जो मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपने सेक्योरिटी तो छोड़ दी लेकिन सेन्ट्रल ग वर्नमेंट के कानून के मातहत जब कोई वेयर हाउसिंग कायम हो गया और उसकी फीस भी वह

जमा कर चुका तो इस विधेयक के जरिये दोबारा फीस लेने का कोई हक नहीं है । इसलिये सेक्योरिटी से जो आप बरी कर रहे हैं, मैंने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि फीस से भी आप उसको बरी कीजिये क्योंकि जब एक कानून के अन्दर किसी वेयर हाउसिंग का स्टेबिलिशमेंट हो गया। सेक्योरिटी और लाइसेंन्स फीस दे दी तो आपके कानून को उसको ऐग्जेम्प्ट करना चाहिये। लेकिन इस विधेयक के अन्दर सिर्फ सेक्योरिटी से बरी किया गया है, लाइसेंस फीस से नहीं । इसको जरा मंत्री जी ध्यान में रखें ।

धारा ५ के अन्त में दिया हुआ है कि लाइसेंन्स के लिये "प्रत्येक प्रार्थना पत्र, नियत प्रपत्र, नियत शुल्क और प्रतिभूत के साथ, लाइसेंस प्राधिकारी को दिया जायगा: प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रार्थी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९६२ अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला वेयरहाउसिंग कारपोरेशन हो तो कोई प्रतिभूति अपेक्षित न होगी।" तो प्रतिभूत के साथ-साथ यह होगा कि प्रतिभूति या शुल्क अपेक्षित न होगी । तो जो वेयर हाउसिंग सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्तर्गत हैं वह इससे बरी हो जायेंगे और दोबारा लाइसेंन्स फीस नहीं देनी होगी । जहां तक 'माल' शब्द की परिभाषा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कानून में दी गई है क्लाज (२) में वह इस प्रकार है :

(*a*) "Agricultural produce" means any of the following classes of commodities, namely :

(i) foodstuffs, including edible oil seeds : (ii) cattle fodder, including oil-cakes and other concentrates ; (iii) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed ; (iv) raw jute, and (v) vegetable oils ;

हमारा जो १९५८ का विधेयक बना था उसमें यह दिया गया था कि "माल" का तात्पर्य ऐसी वस्तु या वस्तुओं से है जो नियत की जायं। तो एक दिक्कत हमारे सामने है और वह यह है कि जो भी आदमी कृषि द्वारा चीजें पैदा करते हैं, किसी किस्म का गल्ला गोदाम में रखना चाहते हैं तो बिना लाइसेंस के नहीं रखे सकते हैं । तो जहां तक मंडियों का ताल्लुक है या मंडियों से सम्बन्ध रखते हैं या सरकार की मंडियां कायम हैं तब तो ठीक है लेकिन अगर इसका प्रसार सारे प्रदेश में हो तो एक कठिनाई हमारे सामने होगी वह यह कि हमारे देहातों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गल्ला रखते हैं, और बीज का गल्ला खास तरीके पर रखते हैं जिसको क्वार या कार्तिक में जब बुवाई शुरू होती है तो किसानों को देते हैं । तो ऐसे वेयर हाउसिंग जो गांवों में किसानों द्वारा किये जा रहे हैं इस विधेयक में उनके लिये वंचित करने का कोई तरीका नहीं है और न कोई प्रतिबन्ध ऐसा है जिससे हम समझें कि गांवों के किसान जो इस तरह से गल्ला बीज के सिलसिले में रखते हैं गांवों में वह इससे वंचित हैं कि नहीं ।

मैं चाहता हूं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि जो गांव के किसान गांव में गल्ला रखना चाहते हैं और इस तरह से रखकर कुंवार और कार्तिक के महीने में अन्य किसानों को अच्छा बीज देते हैं वे उससे वंचित होंगे या नहीं और अगर नहीं वन्चित होते हैं तो या तो उसका इंतजाम अपने सहकारी विभाग द्वारा करायेंगे, चाहे न करें, लेकिन फिर भी ऐसे लाइसेंन्स दें या जो विधेयक पास हो रहा है उसकी परिधि से अलग कर दें ताकि जो किसान अन्य लोगों को बीज के लिये देते हैं, वे उससे वंचित रहें ।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अनुसार हैं उसके अन्दर या उसकी परिधि के अन्दर सभी लोग आते हैं तो उसके सम्बन्ध में अपना डिक्लरेशन करें । यदि वे ऐसा कर दें तो बड़ा सुन्दर होगा ।

तीसरी चीज यह है, श्रीमन्, कि जहां तक प्रार्थना-पत्र का सवाल है अगर कोई आदमी प्रार्थना-पत्र देता है तो उसमें उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३, के नियम (५) के उपनियम (३) (क) में दिया हुआ है :—

[श्री कमलासिंह यादव]

"यदि लाइसेंन्स प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि---

(क) प्रस्तावित गोदाम, नियत शर्तों के अनुसार, उस वर्ग विशेष का माल जमा रखने के उपयुक्त नहीं है, जिसके लिये वह अभिप्रेत है : या

(ख) प्रार्थना-पत्र के साथ, नियत शुल्क या प्रतिभूति नहीं है और उक्त शुल्क या प्रतिभूति पन्द्रह दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर नहीं दी गयी है जिसकी अनुमति लाइसेंन्स प्राधिकारी दे, तो लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।"

तो इसके १५ दिन के बारे में मुझे यह कहना है कि या तो इसको ३० दिन कर दें या यह कर दें कि अगर कोई भी नियमों के अन्दर खामी है जिसकी वजह से रिजेक्ट करनी पड़ी तो कम से कम उस आदमी को वह प्राधिकारी नोटिस दे और अगर उस नोटिस के १५ दिन बीत जायं तब यह लाइ-सेन्स रद्द करना चाहिये या उस आदमी को लाइसेन्स न दिया जाय अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दी जाय तो ज्यादा सहूलियत होगी ।

एक सदस्य---

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जहां तक धारा ३ का सवाल है इसके खंड ५ का सवाल है उसके ३ में यह किया हुआ है कि प्रार्थना-पत्र के साथ नियत शुल्क या प्रतिभूति नहीं है तो वह आउट राइट रिजैक्ट किया जायगा १५ दिन के अन्दर, तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर प्रार्थना पत्र में कोई बात छूट गयी या यह हो सकता है कि रुपया तो जमा कर दिया है और जो रसीद वगैरह है वह मिसप्लैस हो गयी है तो इस तरीके की, मैं चाहता हूं कि किसी के सामने कोई दिक्कत न हो । किसी आदमी के प्रार्थना-पत्र में यह शुल्क या सिक्योरिटी में कोई दिक्कत हो तो एक प्रकार का मौका दें कि वह प्राधिकारी नोटिस दे कि ये खामियां उसके प्रपत्र या लाइसेन्स के सम्बन्ध में हैं और १५ दिन के अन्दर अगर वह उनको दूर नहीं करता है तो उसका लाइसेन्स रद्द कर दिया जायगा या उसका नवीकरण नहीं होगा या उसको लाइसेन्स नहीं दिया जायगा । मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे ।

तीसरी चीज जहां तक खंड ६ का सवाल है उसमें प्रस्तावित धारा ७ की उपधारा (३) में यह दिया हुआ है :

"कोई व्यक्ति जिसका लाइसेन्स के लिये या लाइसेन्स के नवीकरन के लिये प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया गया हो तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर अपने द्वारा जमा की गयी या दी गयी प्रतिभूति को, यदि कोई हो, और उस अवधि के लिये जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र हो, जमा किये गये शुल्क को भी, यदि कोई हो, वापस पाने या लौटाये जाने का हकदार होगा ।"

इसमें नवीकरण का भी मामला है । तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनका लाइ-सेन्स पर काम जारी हो और एक साल तक उन्होंने काम किया और फिर उसके नवीकरण की दर-ख्वास्त दी और काम तीन महीने तक जारी रहता है और उसके बाद उनका लाइसेन्स रद्द कर दिया जाता है । तो जिस आदमी ने तीन महीने तक वगैर लाइसेन्स के काम किया उसको अगर पूरा शुल्क वापस करेंगे तो यह उचित नहीं होगा । इसलिये जितने दिन उसने काम किया है या शुल्क का १/३ या कोई भी परसेंटेज जो आप मुनासिब समझें वह काट लें और बाकी उसको वापस कर दें । अगर किसी आदमी ने बिलकुल काम नहीं किया तो उसको पूरा वापस कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त तो प्रिन्सिपिल्स पर बहस होनी चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव---

प्रिन्सिपिल्स पर तो उस वक्त बहस होती जब यह नया आता । यह तो संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष---

सशोधन पर भी जब विचार किया जायगा तो प्रिन्सिपिल्स पर ही विचार किया जायगा । जब खंड आयेंगे, तब अलग-अलग लिये जायेंगे । अभी तो प्रिन्सिपिल्स को प्रतिपादित कीजिये और फिर कहिये कि इन प्रिन्सिपिल्स के विरुद्ध अमुक-अमुक खंड हैं इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है । इस तरह डील कीजिये तो ज्यादा ठीक होगा ।

श्री कमलासिंह यादव---

मंत्री जी शायद यह सोचते होंगे कि हमने जो संशोधन दिये हैं ये सब बेकार हैं, इसीलिये मैं चाहता था कि .....

श्री अध्यक्ष---

जब खंडशः इसके ऊपर विचार करेंगे तब तो वह ले ही लिये जायेंगे । अगर आप इस समय खंडशः विवरण देंगे तो डुप्लीकेशन हो जायगा---एक बार अभी कहियेगा और फिर दोबारा जब खंडशः विचार होगा तब फिर कहियेगा । इसलिये प्रिन्सिपिल्स को लेकर आप खंडों का उल्लेख कर दें तो ठीक ही बात होगी ।

श्री कमलासिंह यादव---

खंडशः जो मैं डील कर रहा था उसमें भी कुछ उद्देश्य छिपा हुआ है और उसी छुपे हुये उद्देश्य को बता रहा था ।

श्री अध्यक्ष---

उसे कह कर यह इलस्ट्रेशन के रूप में कह दीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव--

ठीक है । तो धारा ६ मैंने इसलिये दिया था कि मंत्री जी इसको देख भी लें । कोई भी आदमी अगर लाइसेन्स पाता है तो हम उससे यह उम्मीद करते हैं कि लाइसेन्स के जितने नियम हैं उनका पालन उसने किया है । लेकिन अगर कोई खामी उसमें रहती है तो उस वक्त प्राधिकारी को अधिकार हो जाता है कि उसका लाइसेन्स रद्द कर दे या नवीकरण के लिये दरख्वास्त दी गई है तो न करे, लेकिन साथ ही साथ यह दिक्कत आ सकती है कि आज किसी आदमी ने दरख्वास्त दी, नवीकरण के लिये और वह पहले से काम कर रहा है तो हम उसके काम को रोक नहीं सकते हैं और नवीकरण के लिये उसने दरख्वास्त दे दी है तो वह काम कर सकता है, रोका नहीं जा सकता है। लेकिन यह सवाल है कि तीन महीने काम करने के बाद अगर नवीकरण का आदेश न हो, रद्द कर दिया जाय तो क्या पोजीशन होगी । मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ऐसे समय में कि किसी आदमी ने कुछ दिनों तक रोजगार कर लिया है और उसके बाद प्राधिकारी को यह पता चला कि उसका मकान या गोदाम ऐसा नहीं है कि उसमें काम चलाया जा सके या कोई ऐसी बात आ जाय जिसकी वजह से लाइसेंस जारी न रखा जाय और रद्द कर दिया जाय तो ऐसे समय पर हमारे सामने प्रश्न उठता है कि उसको लाइसेंस फीस वापस कर देनी चाहिये , सिक्योरिटी वापस कर देनी चाहिये या उसमें कुछ कटौती होनी चाहिये । जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, वह तो उसको वापस होनी चाहिये अगर उसने कोई गड़बड़ी

[श्री कमलासिंह यादव]

नहीं की है। लाइसेंस फीस का सवाल है, अगर कुछ दिनों तक उसने काम कर लिया है तो उसी अनुपात में या एक तिहाई या २० परसेंट, जो मंत्री जी उचित समझें, अगर कटौती हो जायगी तो सरकार को कुछ आमदनी भी हो जायगी और उसके साथ अन्याय भी नहीं होगा क्योंकि कुछ दिनों तक उसने काम कर लिया है। लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया है उनको पूरी शुल्क वापस होनी चाहिये।

अब, श्रीमन्, एक दिक्कत हमारे सामने यह है कि अगर कोई आदमी अपना माल गोदाम में रखता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उसके नीचे सड़न होती है उसकी वजह से माल खराब हो जाय या मौसम की वजह से खराब हो जाय या कंस्ट्रक्शन की खराबी की वजह से खराब हो जाय तो क्या पोजीशन होगी। सवाल यह है कि दो तरह की बातें कही गई हैं। पहली यह कि अगर गोदाम संचालक की सीमा के बाहर हो या कंट्रोल के परे है तो उसके लिये प्राधिकारी जो आदेश देंगे वह बाध्य होगा और फाइनल होगा। कंट्रोल में था या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा। इसके बारे में नियमों में संशोधन होना चाहिये कि किस तरीके से कंट्रोल माना जायगा और किस तरह से नहीं माना जायगा। खन्ड ९ के स्पष्टीकरण में है कि "सूखने अथवा सिकुड़ने के कारण भार या परिमाण की हानि अथवा नमी सोख लेने के कारण परिमाण या भार की वृद्धि इस धारा के अर्थों में क्षीण होना समझा जायगा, यदि हानि या वृद्धि, ऐसी सीमाओं में अधिक हो जिन्हें लाइसेंस प्राधिकारी विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, नियत करे।"

श्रीमन्, इसके बारे में बड़ी दिक्कत होगी कि समय-समय पर अगर गजट में प्रकाशित हो तो हम मानेंगे कि गजट में जो यह चीजें प्रकाशित होती हैं वह हर आदमी को मालूम नहीं होती हालांकि कानून इस बात को बताता है, कि गजट में जो प्रकाशित हो जाता है यह माना जाता है कि हर आदमी को जानकारी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मंत्री जी को कुछ ऐसा भी करना चाहिए—वेयरहाउसिंह के लाइसेंस होल्डर्स उसको भी इस बात की नोटिस देनी चाहिए जिससे उनको जानकारी हो जाय। अगर पहले से नोटिस मिल जायगी तो इस बात की जानकारी हो जायगी कि किस परसेंट तक इसमें छूट होगी या वेट वगैरह में कमी या बढ़ोत्तरी हुई, तो उसकी भी जानकारी हो जायगी। आप सहकारिता मंत्री है। आप को फोर्स के बल पर कानून लागू नहीं करना चाहिये बल्कि हर आदमी के मन में भावना पैदा करके एनफोर्स करना चाहिये। आप गजट में प्रकाशित करें लेकिन जो आदमी इससे संबंधित हों उनको भी जानकारी करा दें। ऐसा करें कि गजट में प्रकाशित करने का जो नियम है, उसको लाइसेंस फार्म पर छपवा दें और जितने वेयर हाउसेज हैं वहां लगवा दिये जायं ताकि उसकी जानकारी हो जाय उस आदमी को भी जो वहां माल रखना चाहता है, और गोदाम परिचालक को भी सहूलियत मिलेगी। कंट्रैक्ट करने के पहले जो कंडीशंस ले डाउन हों, दोनों पार्टीज को मालूम हो। उसमें आफर और एक्सेप्टेंस होता है। कंट्रक्ट तभी कम्प्लीट होता है जब कि उसको यह मालूम हो कि इन कंडीशंस पर रखने जा रहा है। अगर उसको जानकारी न हो तो दिक्कत हो सकती है। इस झगड़े से बचने के लिये जरुरी होता है कि हर गोदाम पर ऐसे नियम जो आप गजट में प्रकाशित करें उनको भी लटकवा दें, इससे किसी तरह का विभेद पैदा नहीं होगा।

एक बात और है। लाइसेंस के बारे में या जो दिक्कतें पैदा होगी, इस अधिनियम में उसके बारे में इस विधेयक के जरिए अपील करने का मौका है, पहले विधेयक में भी था। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि अगर ९० दिन के अन्दर हम अपने शुल्क को जमा न कर सकें। खन्ड ८ में दिया हुआ है "यदि लाइसेंस समाप्त हो जाय या निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय तो गोदाम परिचालक, गोदाम रखने का कार्य बन्द कर देगा, किन्तु अपने इस व्यवसाय का उपसंहार करने के लिये उसे ऐसी अवधि स्वीकृति की जा सकेगी जो नियत की जाय। गोदाम परिचालक, लाइसेंस समाप्त होने के, या उसे निलम्बित अथवा रद्द किये जाने के, जैसी भी दशा हो, दिनांक के नब्बे दिन के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस लौटा देगा।"

अब एक दिक्कत हमारे सामने है श्रीमन्, कि लाइसेन्स रद्द हुआ, हमें अपील करने का मौका मिला और मान लीजिए कि हमने अपील कर दिया अपीलेट अधिकारी के पास और उसने स्टे आर्डर दे दिया .....

श्री अध्यक्ष—

मैं फिर आपका ध्यान नियम १३२ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह है कि जब विचार के लिये चर्चा हो तो विधेयक के सिद्धान्तों और उसके सामान्य उपबन्धों पर चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक की व्योरेवार उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई सिद्धान्त प्रतिपादित कीजिए और उसके प्रतिपादन में अगर आप किसी विशेष खन्ड का उल्लेख करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आप खन्डों को लेकर जितनी चर्चा कर रहे हैं, वह खंडशः जब विचार होगा तब ही आप कर सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन आपसे यह था कि नियम १३२ के अन्तर्गत रहते हुए केवल किसी सिद्धान्त की बात आप कहें तो वह संक्षिप्त हो जायगा। लेकिन पूरे व्यौरे के ऊपर अगर आप बहस कीजिएगा तो डूप्लीकेशन होगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तो हमें सिर्फ यह बात देखनी है कि आया यह जरूरी है कि इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय या नहीं। सारा डिस्कशन करने का तो मौका नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वही मैं अर्ज कर रहा हूं। यह जो आप कह रहे हैं माननीय मुकदीलाल जी यह बात नहीं है। यह बात तो इस विधेयक के आने पर मान ली गई। अब आप कहते हैं कि प्रवर समिति में भेजा जाय तो इसलिये कि अमुक-अमुक उलझने हैं यह-यह सिद्धान्त है कि जिनके ऊपर विचार नहीं किया गया है, उनके संबंध में उपबन्ध हो सकते हैं या इसके उपबन्ध इन सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। यही दो तीन बातें कह सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आपने जो सुझाव दिये हैं वह मुझे शिरोधार्य हैं और चाहिये तो था कि मैं शुरू से ही इनका अनुकरण करता। लेकिन मेरी दिक्कत यह हो गई कि लाइयर होने के नाते मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी भ्रम में न रहें, इसलिये उनके सामने सही-सही बात रख दूं ताकि खन्डों में भी अगर माननीय बनारसीदास जी उचित समझें तो आवश्यक संशोधन करने के लिये उसे सेलेक्ट कमेटी में ले जायं, क्योंकि यह दिक्कतें यहां आसानी से दूर नहीं होंगी और या अपने अधिकारियों से राय ले लें और जब खन्डवाइज विचार करें तो अमेंडमेन्ट अपनी तरफ से लाकर या किसी तरह से भी उसको ठीक करा दें ताकि यह दिक्कतें आगे चलकर न आयें और ऐसा न हो, कि दो चार महीने के बाद फिर संशोधन विधेयक लाना पड़े और श्रीमन्, उद्देश्य और कारण का जहां तक सवाल है या नीति का सवाल है कौन ऐसा है हिन्दुस्तान में कि जो न चाहेगा कि गोदाम वगैरह बनें और उसमें हमारा जितना भी सामान है, चाहे कृषि उत्पादन का हो या और दूसरा हो वह साइंटिफिक तरीके से रखा जाय, इसमें तो हम माननीय मंत्री जी से क्लेश कर ही नहीं सकते और हम उनको बधाई देंगे। मान लीजिये ५८ के बाद सोये सन् ६३ तक तो कम से कम ६४ में तो आपकी नींद खुली, मैं इसके लिये उनको बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये है उनको वह स्वीकार करेंगे। अभी बहुत सी बातें हमें कहने के लिये थीं लेकिन अध्यक्ष महोदय, बहुत परेशान हैं, और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिये मैं अधिक न कहकर केवल यह कहूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो मैंने

[श्री कमलासिंह यादव]

बातें कहीं हैं उनको वह ध्यान में रखें। लाइसेंस की बहुत सी दिक्कतें होती है। जब कोई आदमी लाइसेंस के लिये जाता है तो उसको बहुत सी दिक्कतें होती है और जो सामान रखना चाहते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो इन मोटी-मोटी बातों को ध्यान में रखकर इसको अगर सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये तैयार हो जायं, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो गोदाम का कानून बना था किसानों के लिये, यह एक बहुत ही अहम चीज थी। कई साल इस चीज को हो गये। करोड़ों रुपया भी खर्च हुआ। संशोधन बिल पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये उससे लगता है कि किसानों ने इन गोदामों का इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। क्योंकि जो आंकड़े किसानों के और सहकारी समितियों के उन्होंने दिये हैं उन दोनों को मिलाकर ५ फीसदी से ज्यादा नहीं बैठता। सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने कुछ गोदाम बनाये। फिर कुछ स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने बनाये। कहा जाता है कि इसके अपने गोदाम नहीं है। प्राइवेट मकानों में ही गोदाम हैं। उसके बाद यह जो मारकेटिंग सोसाइटी बनीं तो इन सब ने भी यह काम करना शुरू किया।

असल समस्या हमारे किसानों की है। उनकी जो पैदावार है उसको हम सुरक्षित रख सकें। उनको कई खतरे होते हैं। चूहे खा जाते हैं, सील आ जाती है, सड़ जाता है, कीड़े लग जाते हैं और आग वगैरा के और भी खतरे हैं तो इन सब खतरों से बचाने के लिये जो योजना बनाई गई थी वह यह कि वेयरहाउसेज डैम्प प्रूफ, रैट प्रूफ और इन्सेक्ट प्रूफ बनने चाहिये। जब ये मकान बने नहीं और किराये के मकानों से सब काम चलने लगा तो ऐसा लगता है कि शायद प्राइवेट लोगों के बहुत से मकान ऐसे थे।

इसके साथ दूसरी दिक्कत किसानों की यह है कि जब माल किसान पैदा करता है तब उसका भाव गिर जाता है। तो ऐसी तरकीब करनी चाहिये कि किसान को फौरन ही माल बेचने की आवश्यकता न पड़े। उसके माल पर जो उसको रुपये की आवश्यकता होती है वह उसको मिल जाय। स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन से वह सुविधा प्राप्त की और वे बैंक से कर्जा लेकर काम करने लगे। उस सुविधा का नफा किसानों ने उठाया और दूसरे लोगों ने भी उठाया। यहां पर अनाज से ताल्लुक रखने वाले कई व्यक्ति हैं परन्तु किसान तो हैं ही और किसान के अलावा सरकार भी है। यह भी बहुत माल खरीदती है और सरकार का सिविल सप्लाई डिपार्टमेन्ट भी है जिसके पास बहुत अनाज होता है, पर सरकार ने पूरा फायदा इन वेयर हाउसिंग से नहीं उठाया। हर साल यह रिपोर्ट आती रही कि इतना बीज सड़ गया। जब वेयर हाउसिंग मौजूद हैं और सरकार के हैं और सरकार के पास अनाज भी है और वह सड़ता भी रहता है और उसकी रिपोर्ट मंजूर भी होती रहती है। वे किसानों को मिल सके इस बात को सोचना है, लेकिन किसानों ने शायद उनका इस्तेमाल नहीं किया।

सरकार रास्ता दिखाने वाली एक संस्था भी है। अगर सरकार ने अपना माल भी उनके अन्दर रखा होता तो शायद किसान भी रख लेता। अगर आप मकान बनाये और आप उसको इस्तेमाल न करें तो किसान क्यों करने लगा। बहरहाल यह मुझे शंका लगती है इस बिल को देखने से कि यह बिल बड़ा उपयुक्त है और किसान के हित के लिये है कि गोदामों की व्यवस्था हो लेकिन यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिल के फलस्वरूप किसान, जो मौजूदा गोदाम हैं उनको इस्तेमाल करने लगेगा क्योंकि इस बिल से कुछ उसकी प्रवृत्ति उस तरफ बढ़े ऐसा मुझे नहीं लगता है। इससे यह लगता है कि चूंकि किसानों ने गोदामों को इस्तेमाल नहीं किया है और अभी शहरों में लोग हैं जो मिडिल मैन कहे जाते हैं उनका सहारा किसान लेता है। तो सरकार ने समझा कि उनको भी नियम के अन्दर लाया जाय वह भी एक परपज हो सकता है, उससे भी किसान का हित होगा अगर प्राइवेट जो आढ़तिया है उसको लाइसेंस दें गोडाउन का ताकि वह इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करे तो नुकसान रफा हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह जो गोडाउन की व्यवस्था है वह आवश्यक भी है या अनावश्यक है। खुद मेरे

दिमाग में इस मामले में सफाई नहीं है । हमें यह विचार करना चाहिये कि उसका उद्देश्य क्या है। अगर उसका उद्देश्य यह है कि गोदामों का इस्तेमाल किसान करें तो फिर उनको कोई कदम उठाना चाहिये और अगर उद्देश्य कुछ और है तो बात और ही है । ऐसा तो नहीं है कि चलते कहीं और हैं और देखते कहीं और हैं । इसमें शंका लगती है ।

जहां तक इंश्योरेंस वाली बात है मैं नहीं जानता कि गवर्नमेन्ट के जो गोडाउन्स हैं या सिविल सप्लाईज के गोडाउन्स हैं वह भी इंश्योरेंस कराते हैं या नहीं । ऐसी शंकाओं को तफसील से देखना चाहिये और उधर भी हमें कोई कदम उठाना चाहिये ।

जहां तक कर्जे वाली बात है, वेयर हाउसिंग स्कीम कर्जा खुद नहीं देती, फैसिलिटेट करती है किसानों के लिये ताकि वह उसकी बुनियाद पर कर्जा ले सके । लेकिन जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं वह कर्जा भी देती हैं । इस कर्जे वाले प्रश्न को भी हमें देखना होगा । मेरे ख्याल में जो यह वेयर हाउसिंग स्कीम है इसके दो प्रश्न और हैं । एक बात जो इससे डाइरेक्टली तो संबंधित नहीं लेकिन जिसकी चर्चा उन दिनों जो जिला बोर्ड के अध्यक्ष के यहां मिले उसमें कुछ अध्यक्षों ने कहा और जिसकी चर्चा अखबारों में आई कि यह कोआपरेटिव नहीं करप्टिव है । इसमें करप्शन की बहुत मात्रा में गुंजायश है। इस बात को बहुत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कम करने की आवश्यकता है । हमें इस बात से मुंह नहीं मोड़ना है कि जितने अच्छे कानून बन सकें उतना अच्छा है लेकिन प्रश्न यह है कि जितने कानून हमारे बने हैं उनका हम उपयोग कर लें तो अच्छा है। हर एक कानून बनाने में समय लगता है, उसमें त्रुटियां होती हैं, वह हाई कोर्ट जाते हैं, उनके खिलाफ रिट्स होती हैं तो क्या कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि हमारे बने हुए कानूनों का पूरा उपयोग अच्छी तरह से हो सके। मैं अभी देहात में गया था । मुझे ऐसा बताया गया कि जो माल वह जमा करना चाहते हैं उनके लिये कोई जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं होता न मैंने वहां पूछा तो यह बताया गया कि कोई ऐसी शिकायत नहीं है । यह अन्तर है । मैं नहीं जानता कि दोनों में कौन सी बात सही है । मैं नहीं कहता कि देहात में जो बात कहते हैं वह सही है और जो सेक्रेटेरियट वालों ने कहा वह गलत है लेकिन यह चीज जरूर देखने की है जो सहकारी समितियों के गोडाउन्स हैं वह ठीक से चलते हैं या नहीं । इसको देखने और इस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है । क्योंकि तरक्की का रास्ता यह है । जितने काम हम करते हैं अगर वह अच्छे हैं तो बढ़ेंगे । जो पेड़ बीमार नहीं है उसे बढ़ने की गुंजायश है । जिस अंकुर में बीमारी है वह पनपेगा नहीं । तो हमें देखना यह है कि जितने कानून हम ने गोदामों के संबंध में बनाये हैं उनका सही उपयोग हो सके । जो कानून हैं उनका पालन करा सकें तो ज्यादा फायदा हो सकता है ।

इस बिल पर मुझे कोई बड़ी आपत्ति नजर नहीं आती, लेकिन दो एक बातें हैं जिन पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये । एक तो जो बिल दो, चार क्लाज का हो, उसे सेलेक्ट कमेटी में चला जाना चाहिये । वह दो चार दिन में लौट कर आ जायगा । उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अगर वैसा नहीं करते तो यहां बहस में ज्यादा समय लग जायगा । फायदा यह होता है कि अगर जल्दी में कोई गलती रह गयी हो तो वह निकल जाती है । तो मैं समझता हूं कि इसका सेलेक्ट कमेटी में चला जाना ही अच्छा है । इस बिल में तो ज्यादा कंट्रोवर्सी भी नहीं है । इसका उद्देश्य भी अच्छा है । मेरा मतलब यह है कि प्रायरिटीज को ध्यान में रखें इन गोदामों के संबंध में । और मसले हैं जिनको ज्यादा प्रायरिटी दी जा सकती है। उन पर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये थी या देनी चाहिये । लेकिन थी का सवाल तो खत्म हो गया । तो मैं यही चन्द शब्द सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय मुनासिब समझें तो कोई बीच का रास्ता विचार करने के लिये निकाल लें ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस बात को पहले ही कहता हूं कि जैसे माननीय सहकारिता मंत्री जी का भाषण हुआ उससे थोड़ा कम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

अर्थ वाला भाषण मैं दूंगा क्योंकि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने मालूम होता है वेयरहाउसिंग को अच्छी तरह से समझ कर नहीं कहा ।

माननीय फूलसिंह जी ने जिस तरफ संकेत किया वह बहुत महत्व की बात है । मुझे जहां तक जानकारी है वैसे वह ज्यादा नहीं है कि १९५८ में जब यह विधेयक पास हुआ उसके बाद आज तक इसकी कारगुजारी को रिव्यू करने का भी मौका सहकारिता विभाग को नहीं मिला । यह वेयरहाउसिंग जिस उद्देश्य से बनाया गया था मैं ऐसा समझता हूं कि वह वही है जो माननीय फूलसिंह जी ने बतलाया । जो लोग अनाज अपने घर में रखकर अच्छी कीमत उसकी नहीं ले सकते वह उसे गोदामों में लाकर रख दें और जिस समय चाहें उसे वह बेंच सकें इस उद्देश्य में यह विधेयक सफल नहीं हुआ और आज यह मानना पड़ रहा है जैसा कि स्वतः माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि किसानों की उपज इनमें कम रखी गयी । उन्होंने इनका ज्यादा उपयोग किया जो किसान और कंज्यूमर के बीच के लोग हैं और जिनको हिन्दुस्तान में कुछ ज्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और जो परसेंटेज उन्होंने बतलाया वह भय पैदा करने वाला है । तो पांच सालों में इसकी जांच नहीं की गयी । एक आध मर्तबा इस हाउस में इसकी चर्चा हुई । मेरा खयाल है कि उसके बाद विभाग का ध्यान इस ओर गया और मैं ऐसा समझता हूं कि अब जो विधेयक हमारे सामने है, मैं स्वयं बिना समझे यह कह रहा हूं कि इसे सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये और कुछ लोग जो इस विषय को समझने वाले हैं, जैसे माननीय फूलसिंह जी हैं या और भी होंगे, उनकी सहायता से इस विधेयक को ऐसा बनाया जाय कि जो आगे चल कर किसानों को मदद पहुंचाने में सहायक हों ।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाऊं कि क्या सचमुच वेयरहाउसिंग का जितना काम होना चाहिये था उत्तर प्रदेश में उसमें हम आगे हैं या पीछे ? बनिस्बत और सूबों के हम पीछे हैं । अगर मेरी जानकारी सही न हो तो मुझे दुरुस्त कर दें, क्योंकि जितना रुपया हम को खर्च करना चाहिये था उतना नहीं खर्च कर पाये । तो ऐसे अच्छे-अच्छे कामों में भी खर्च न कर सकें, यह बड़ा दोष है । उसके लिये अनेक उपाय ढूंढ़े जाते हैं कि ईंट नहीं मिली, लोहा, सीमेंट नहीं मिला, लेकिन आपने दो-तीन दिन सुना होगा कि किस तरह से सीमेंट का बटवारा हुआ है । वेयरहाउसिंग के लिये तो नहीं मिला और हजार पांच सौ बोरे निजी मकानों के लिये हासिल कर लें, यह बात बहुत उचित नहीं है और बदनामी की बात है ।

इसके अतिरिक्त इस वेयरहाउसिंग का उपयोग इस वर्ष बहुत ज्यादा है । आप जानते हैं कि सरकार और हमारे बीच में अन्तर नहीं है कि गुड़ बने और उसको उचित कीमत किसानों को मिल सके । तो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को सरकार ने सलाह नहीं दी कि गुड़ रखने का भी प्रबन्ध करें । सरकार चाहती है कि यहां के खाने वालों को सस्ते दाम में गुड़ मिल सके तो अगर गुड़ होर्डर्स के पास जाता है तो आपके पास क्या तरकीब है कि अगले दो-तीन महीने बाद लोगों को उसे ४०–५० रुपये मन पर नहीं बेंचने देंगे । सरकार के पास कंट्रोल का डंडा है, उससे बड़े दोष उत्पन्न होते हैं । वैसे चीनी एक छदाम भी कंट्रोल के बिना नहीं है, लेकिन प्रातः काल जब अखबार आवे तो आप हापुड़ का मारकेट जहां लिखा रहता है तो उसमें एक ओपेन मारकेट भी है । कंट्रोल है १२३ और १२० का तो ओपेन मार्केट में १८० पर बिकती है । एक ही लाइन में लिखा रहता है। तो उस कंट्रोल को अगर अगले महीने में लगा दीजियेगा तो उससे होता क्या है, खाने वाले को तो हम मुहइया नहीं कर सकते । तो यह बड़ा उत्तम नियम होता कि १०–२० लाख मन, जबकि २५–२५ लाख टन पैदा होता है हमारे सूबे में, तो हम ने रोक रखा है कि हम बाहर नहीं जाने देंगे तो उससे ३०–३२ करोड़ रुपये का नुकसान किसान उठावेगा, यह हमारा कैलकुलेशन है ।

श्री बनारसीदास—

इसका विधेयक से कोई संबंध नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---

वेयरहाउसिंग से है । मगर चीनी से आप क्यों घबराते हैं? बहुत अच्छी चीज है, मीठी चीज है, चाय पीजियेगा, मिठाई खिलाने के लिये मैं तैयार हूं। वेयरहाउसिंग पर सदन विचार कर रहा है तो कृषि से पैदा होने वाली चीजों पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह कैसे हो सकता है कि गेंदासिंह जी बात करें और उसमें गुड़ और शक्कर न आवे? उसमें मिठास आनी चाहिये ।

श्री गेंदासिंह---

मैं तीखी बात तो कह नहीं सकता। तो दो-तीन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया । मुझे विशेष जानकारी नहीं है । एक तो इससे किसानों ने लाभ नहीं उठाया और अगर इसलिये है कि यह लाभ उठायें तो किसानों के प्रतिनिधि माननीय फूलसिंह को सेलक्ट कमेटी में रखकर विचार कर लीजिये। सिद्धांत पर हमें कोई झगड़ा नहीं है । जो बातें यहां तफसील से बतायी गयीं हैं, मैं समझता हूं कि अगर उन पर विचार हो जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जब मन्त्री जी अपना उत्तर दें, तो मेरा निवेदन है कि मेरी बातों का उत्तर देने की कृपा करें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वे यह भी बतायें कि फाइव ईयर प्लान में वेयर-हाउसिंग बनाने का क्या टार्गेट था उसमें से कितने बने और उन पर कितना खर्चा हुआ? इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं, और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ११ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) ---

यह जो वेअरहाउसिंग विधेयक है, इसके बारे में मैं चन्द अल्फाज कहना चाहता हूं। वह लिखे हुये समझे जायं, यह मेरे दिल की तमन्ना है। वेअरहाउसेज का लाभ सिर्फ ट्रेडर्स को हुआ है, किसानों को नहीं हुआ। अच्छा तो एक शेर सुन लीजिये ---

"मेरे भी कदम बहके बहके, उनकी भी नजर बहकी बहकी।"

दुनियां को मालूम है कि गरीबी आ रही है लेकिन उसका इलाज कोई नहीं करता। आजादी मिली लेकिन हम जहां के तहां हैं, गरीब लोग वैसे के वैसे ही हैं। हमारे पास कुछ भी न हो लेकिन बदनाम तो हैं हीं। मैंने शेर को बदल दिया है। उसमें कुछ संशोधन कर दिया है। मोहब्बत की जगह मैंने इल्म कर दिया है। संसार में सच्ची मुहब्बत तो किसी की है ही नहीं, हमारी बात तो दूर रही। मैं यह उम्मीद कर सकता हूं कि अगर इंसान कोआपरेशन पैदा करे तभी सच्चे माने में हिन्दुस्तान की आजादी समझी जायगी, तभी हम और आप सब एक होकर रहेंगे।

अब मैं विषय पर आता हूं और वह यह कि वेयरहाउसेज का लाभ ट्रेडर्स को हुआ है और किसानों को नहीं हुआ। मन्त्री जी यह बतायें कि यू० पी० के वेयरहाउसेज में कुल कितना गल्ला रखा गया और इस साल कितना रखा गया और उसमें से कितना किसानों का था और कितना ट्रेडर्स का था। मेरी जानकारी यह है कि किसानों ने उन में १ मन भी गल्ला नहीं रखा और पूरा गल्ला बनियों का रखा गया और उसका असर यह हुआ कि करप्शन का जन्म हुआ। सरकार कहती है कि हमारे यहां हर चीज बढ़ रही है तो करप्शन भी योजनात्मक ढंग से बढ़ रहा है क्योंकि सभी चीजों में राइज है, राइज इन क्राइम, राइज इन बर्गलरी तो राइज इन करप्शन भी है। मैं उसे आगे रोकने का तरीका क्या बताऊं, मैं समझता हूं कि सिर्फ कोआपरेशन और लव से ही

[श्री प्रेमसिंह]

वह दूर हो सकता है। इसका मैंने शेर में भी जिक्र कर दिया और अब मैं दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका देता हूं।

श्री बनारसीदास —

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर माननीय कमलासिंह, गेंदासिंह तथा फूलसिंह जी ने जो सुझाव दिये उन के लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं और माननीय प्रेमसिंह के भाषण से तो सदन में जो शिथिलता थी उस को दूर करने में सहायता मिली है। जहां तक इस वेयरहाउसिंग.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अभी तो श्रीमन् बहस जारी रहना चाहिये थी और लोग भी बोलने को थे...

श्री उपाध्यक्ष—

कोई खड़ा नहीं हुआ था, अब चलने दीजिये।

*श्री बनारसीदास—

जहां तक वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के सिद्धान्त का प्रश्न है इसका समर्थन माननीय वक्ताओं ने किया और इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है लेकिन जो इस वेयरहाउसिंग के कानून का लक्ष्य है उस के सम्बन्ध में थोड़ी भ्रान्ति मालूम होती है। जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी और फूलसिंह जी ने कहा प्रश्न यहां वेयरहाउसिंग का है, प्रश्न यह नहीं है कि कृषकों को अपना माल सीजन में रखने की सुविधा हो या नहीं और जिस वक्त चीजों के दाम तेज हो जायं उस वक्त उनको उन के माल के मुनासिब दाम मिल सकें, इसका इस संशोधन विधेयक से सम्बन्ध नहीं है। जहां तक वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का सवाल है उसका सहकारिता से कोई सम्बन्ध नहीं है जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार का जो सन् १९५६ का कानून था उसके मातहत कायम हुए जिसका कि संशोधन सन् १९६२ में हुआ। वेयरहाउससेज में दो ही हिस्सेदार हैं। गवर्नमेंट आफ इन्डिया और यू० पी० गवर्नमेंट। इन वेयरहाउसेज के बनाने का लक्ष्य केवल यह है कि वेयरहाउसिंग को यू० पी० में इन्करेज किया जाय, किसानों का गल्ला रखने या व्यापारियों को प्रोत्साहन देने का सवाल नहीं है, मुख्य लक्ष्य इन संस्थाओं के द्वारा हमारा यह है कि एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर उपायों से माल को सुरक्षित रखने के लिये व्यवस्था करें। यह मुख्य मंशा है। व्यापारियों ने कितना रखा, किसानों ने कितना रखा, कोआपरेटिव्ज ने कितना रखा इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है और न परिधि से सम्बन्ध रखता है।

माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में यदि गुड़ को रखा जा सकता तो कई करोड़ रुपया किसानों को दे सकते थे। वेयरहासिंग कारपोरेशन में राब, गुड़ सब चीजें रखी जाती हैं। लेकिन जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन है इस विधेयक के अन्दर यह लिखा है कि यह रुपया उधार देने का काम नहीं करेगा और न व्यापार करेगा, व्यापार करने के लिये यदि अपवाद दिया गया है तो १९६२ के सेन्ट्रल कानून के मातहत जो लाइसेंस्ड वेयरहाउसिंग कारपोरेशन हैं उन्हीं को किया गया है। जो व्यक्ति वेयरहाउसिंग का काम करे वह भी रुपया उधार नहीं दे सकता क्योंकि खतरा है। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दें तो जो वेयरहाउसिंग की रसीद दी जाती है उस पर बैंक के अन्दर हुन्डी की तरह से रुपया मिल सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो वह अलग चीज है जिसके लिये अलग से विचार किया जा सकता है कि किसानों को समय पर रुपया मिल सके और जिस समय चीजों का दाम तेज हो उस समय उनको मुनासिब दाम मिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके। लेकिन वेयरहाउसिंग का सिद्धांन्त यह है कि हमारे देश में वेयरहाउसिंग की असुविधा होने की वजह से, चूहों की वजह से, कीड़ा लगने की वजह से, मोयस्चर की वजह से जो ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की क्षति होती है उसको रोका जा सके। यही मंशा है। इसलिये दोनों चीजों को कनफ्यूज करना उचित नहीं होगा।

माननीय कमलासिंह जी ने कुछ शंकायें प्रकट कीं, उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिये से उन किसानों की क्या स्थिति होगी जो गांवों में अपना माल स्टोर करते हैं या बीज की शक्ल में या और आवश्यकता के लिये गांवों को दे देते हैं, अगर यह ऐक्ट लागू हो गया तो उनको कठिनाई होगी। मैं बता दूं वह कठिनाई किसानों को नहीं होने वाली है। दो चीजें अलग-अलग हैं। एक वेयरहाउस और दूसरा गोडाउन। शहरों में आज भी गोडाउन हो सकते हैं, गांवों में भी हो सकते हैं। वह वेयरहाउस की परिभाषा में नहीं आते। वेयरहाउस के अन्दर तीन चीजें हैं। पहली होल्डर जिसकी परिभाषा पुराने ऐक्ट में दी हुई है और उसके साथ-साथ "डिपाजिटर" की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है :

"depositor" means a person who tenders his goods to the warehouse man for storing in his warehouse and includes any person who is a holder in due course of the receipt issued by the warehouseman in respect of such goods and derives title thereto by a proper endorsement or transfer from the depositor or the depositor's lawful transferee."

(*k*) "the holder in due course" shall have the meaning assigned to it in the Negotiable Instruments Act, 1881.

जिस किसी डिपाजिटर ने अपना माल जमा किया उसको रसीद मिली और उसके आधार पर बैंक से रुपया ले सकता है निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेंट ऐक्ट के अधीन। गोडाउन में यह फर्क होता है कि उसमें माल रख कर रसीद के आधार पर बैंक रुपया नहीं दे सकता बल्कि माल भी प्लेज करना पड़ता है और बैंक का ताला गोडाउन में लगता है। वेयरहाउसिंग में बैंक को ताला लगाने और अपना वाचमैन रखने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के बारे में निवेदन करूं, कि वे मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं। इनमें जो माल की रसीद दी जाती है वह निगोशियेबिल होती है। उसके ऊपर रूपया मिल सकता है। उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां तक गोडाउन का सवाल है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये माननीय सदस्यों को जो आशंकायें पैदा हो गयी हैं उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

आपने एक प्रश्न यह किया और एक संशोधन भी दिया। उसमें यह है कि जो कार्पोरेशन है उनको जैसे सिक्योरिटी से मुक्त किया गया है उसी प्रकार उसको शुल्क से भी मुक्त किया जाय। पहले तो इस तरह का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। अभी तक किसी ने फी नहीं दी। कार्पोरेशन १९६२ के ऐक्ट के अनुसार मान्यता प्राप्त है इसलिये उनको सिक्योरिटी से मुक्त किया गया क्योंकि उसके पास काफी सम्पत्ति है लेकिन अगर कोई प्राइवेट काम करता है तो उससे सिक्योरिटी लेना जरूरी है और उसके बिना वह जस्टीफाई नहीं कर सकेगा। फी तो हमारी वेयर हाउसिंग और प्राइवेट लोगों को भी देना अनिवार्य है। आपने यह भी कहा था कि छोटी-छोटी त्रुटियों के आधार पर किसी का लाइसेंस अस्वीकार नहीं किया जायगा और उसमें उनको अवसर दिया जाय तो इसमें आप देखेंगे कि १५ दिन का समय दिया गया है कि वह अपनी फीस वगैरह जमा कर सके। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि उसमें लिखा है कि १५ दिन में फीस जमा कर सकेंगे और फिर उसमें यह भी सुविधा दी गयी है कि इस लाइसेंस को अस्वीकार करने से पहले उनको सुनवाई को मौका मिलेगा। सुनवाई के पश्चात् अगर लेख आदि में कोई त्रुटि होगी तो उसे दूर किया जायगा। तो इसलिये इस का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

इस ऐक्ट के अन्दर इस को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय यह बात समझ में नहीं आती। यह विधान परिषद् द्वारा पारित हो चुका है और १९६२ के ऐक्ट के मातहत कार्पोरेशन स्थापित किये जा चुके हैं तो आपका कहना उचित नहीं है कि ५८ में जब यह ऐक्ट बना तो बराबर २-३ साल तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसलिये यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ।

[श्री बनारसी दास]

कन्डीशन्स के बारे में वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट कुछ नहीं कहता। यह वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन हमारे ५६ के ऐक्ट के मातहत कायम हुए और वह कार्य कर रहे हैं, और कार्य जो कर रहे हैं उसके अनुसार प्रगति करते चले जाते हैं। उस व्यापार और तजुर्बे के अन्दर जो त्रुटियां आई हैं तो इस तरह का कानून बनाया।

अभी तक कोई लाइसेन्स का प्रश्न नहीं था। श्री गेंदा सिंह जी ने अभी यह फर्माया कि उन्हें अधिक जानकारी तो नहीं लेकिन संभवतः यहां जो कार्य हो रहा है स्टेट वेयरहाउसिंग का वह और सब स्टेटों से कम हो रहा है। लेकिन यह सूचना उनकी सही नहीं है। वास्तव में जब से देश में इस प्रकार का काम शुरू किया गया है सारे राज्य के मुकाबले में हमारी स्टेट वेयरहाउसिंग में सब से ज्यादा माल रखा गया। उसकी संख्या ९४.५८ लाख मन है जो कि और राज्यों से सब से अधिक है। तो वेयर हाउसिंग काफी पापुलर हुआ है और यह भ्रम है कि किसानों ने इसका कम इस्तेमाल किया है। इसकी जिम्मेदारी वेयर हाउसिंग पर नहीं है। इसके लिये जिम्मेवारी लोगों को प्रशिक्षित करने की है और दूसरी एजेंसीज को है जो यह बतलाते हैं कि किसान अपना माल वहां रखें।

जैसा मैंने बतलाया वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का काम किसानों को रूपया एडवांस करने का नहीं है। इस ऐक्ट में यह सुविधा दे दी है कि मार्केटिंग सोसाइटीज जिन किसानों का माल डील करती हैं वे उन किसानों को रूपया एडवांस कर सकती हैं और उनका माल वे वेयरहाउसिंग में रख सकती हैं। यह कहना कि इससे व्यापारियों को सुविधा मिलती है तो वेयर-हाउसिंग का कानून व्यापारियों के खिलाफ तो है नहीं। कोई भी क्षति होती है चूहों द्वारा, कीड़ों के द्वारा या सीलन के द्वारा तो वह राष्ट्र की क्षति है। व्यापारी वेयरहाउसिंग का लाभ उठाता है, किराया अदा करता है तो यह राष्ट्र का हित होता है।

वेयरहाउसिंग में कोई नुकसान नहीं है। सिवा पहले साल के यानी ५९ को छोड़कर प्रत्येक साल में लाभ ही हुआ और अब तक इसका लेखा-जोखा बिलकुल कार्मशियल आधार पर रहा है जिसमें लाभ ही हुआ है। जितनी हमारी स्टोरेज की कैपिसिटी है ५२ से ६५ परसेंट तक से ज्यादा इसका उपयोग नहीं होता। व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिये ही हर जगह गोडाउन लिये हैं ताकि वेयर हाउसिंग पूरी तरह से देश के अन्दर बढ़े। कमलासिंह जी ने कहा कि गजट द्वारा प्रकाशित की जाय इसकी सुविधाओं आदि को ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके वेयरहाउसिंग के बारे में। बहरहाल आज भी हमारे नियम हैं, आदेश हैं कि जहां पर वेयर हाउसेज हों, वहां पर पूरी तालिका और विवरण रखा जाय। यदि हम इसको कानून का रूप देते हैं तो वह स्वयं जानते हैं कि लिटीगेशन का अन्त नहीं होगा। जो भी व्यापारिक संस्थायें होती हैं वे लाभ और हानि पर आश्रित होती हैं, वे अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्रदान करने की कोशिश करती हैं और जब इस ऐक्ट के अन्दर हमने यह सुविधा दी कि प्राइवेट वेयरहाउसिंग भी होगा, स्टेट वेयर हाउसिंग भी होगा और उसका प्रसार बराबर होता रहेगा तो किसी प्रकार की असुविधा होने वाली नहीं है।

माननीय फूलसिंह जी ने कहा कि इस कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, वहां कमेटी में बैठ कर इस पर गौर करने का मौका मिलेगा बनिस्बत यहां पर वादविवाद करने के। तो प्रवर समिति में हमने बहुत से बिल भेजे, और दूसरे बिल जो आयेंगे उनको भेजेंगे भी, लेकिन यह बिल जो १९५८ में पेश हुआ, गवर्नमेंट आफ इन्डिया का तर्जुबा मौजूद है, कौंसिल में हम इसको पेश कर चुके हैं और इसके द्वारा जो हम वेयर हाउसिंग का काम करने वाले हैं इसको अगर हम प्रवर समिति के सुपुर्द भी कर दें तो उससे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। तो माननीय कमलासिंह जी ने जो शंकायें प्रस्तुत की हैं उनके संबंध में जो मैंने कहा, उससे वे संतुष्ट होंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकृत किया जाय और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*श्री कमलासिंह यादव—

जब तक मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण नहीं सुना था तब तक मेरा यह खयाल था कि वेयरहाउसिंग और गोदाम एक ही चीज हैं लेकिन उन्होंने डिस्टिंगुइश किया। मैं ऐसा समझता हूं भुवनेश्वर के बाद इस तरह का विधेयक लाना कांग्रेस के समाजवाद लाने के प्रयत्न को बिलकुल फेल करना है। इनकी हर स्कीम से अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब-गरीब होता जा रहा है हालांकि जितनी स्कीमें बनायी जा रही हैं वे सब किसानों और गरीबों के नाम पर बनायी जा रही हैं, मगर वे फायदा नहीं उठा पा रही हैं। मैं समझता था कि इस विधेयक के जरिये हमारे मन में जो शंकायें हैं उन्हें दूर करने का वे प्रयत्न करेंगे लेकिन गोदाम और वेयर-हाउसिंग को डिस्टिंगुइश करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बिल्कुल खिलवाड़ है।

आज वेयरहाउसिंग और गोदाम की जरूरत क्यों है? मेरा यह खयाल है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर अंग्रेजों की छोड़ी हुई बुनियाद अभी तक चली आ रही है। हमारा साल पहली अप्रैल से शुरू होता है और ३१ मार्च को अन्त होता है। इसी तरह सरकार की जितनी एकाउन्टिंग होती है उसका एकाउन्ट ३१ मार्च को बन्द हो जाता है। इसीलिये हमारे रेवेन्यू की वसूली उस वक्त होती है जब किसान की फसल खेत में खड़ी होती है। कहने के लिये हम किसान के फायदे के लिये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वह किसान जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है उसकी गाढ़ी कमाई का फायदा वे लोग उठाते हैं जो काम नहीं करते, जिनके पास सिर्फ बुद्धि है। सरकार क्या उपाय करना चाहती है उन गरीब किसानों के लिये जिनकी कमाई पर इस प्रदेश के शासन की नींव है?

हमारे सामने पाले की समस्या है, ओले की समस्या है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं लेकिन वसूली उससे तब होती है जब उस की फसल खेत में खड़ी होती है। इसलिये वह मजबूर किया जाता है इस सरकार के द्वारा कि किसी से कर्ज ले कर तकावी और मालगुजारी दे। नतीजा यह है कि कोई भी कानून इस सदन में बने और बहुत से बने भी लेकिन फायदा कुछ नहीं निकला। ज्योंहीं उसकी फसल कट कर खलिहान में आती है सब लोग डंडा लेकर वसूलने के लिये पहुंच जाते हैं। उस फसल का कोई रेट फिक्स नहीं होता। रेट तो धीरे-धीरे मार्केट में बनता है। तो उस वक्त यह जरूर होता और सरकार की ड्यूटी होती कि किसान की गाढ़ी कमाई जिसे वह खलिहान में लाया है, उसको जो कर्जा देने वाले हैं या और अन्य लोग जो शिकारी के रूप में उसके ऊपर आंख चढ़ाये हुये हैं, वे उसका शिकार न कर सकें और अपनी चीज जो उसने पैदा की है उसकी उसको अच्छी कीमत मिल सके। यह उद्देश्य सरकार का है और होना चाहिये। अगर नहीं है तो इस बात की जरूरत है कि वे इस उद्देश्य को लाने की कोशिश करें। जब वह अपनी फसल खलिहान में लाता है तो सवाल आता है कि उसको बचाने के लिये क्या करें ताकि उसको उसकी अच्छी कीमत मिल सके और समय से जब माल की कीमत बढ़े तो उसका फायदा उठा सके। इसलिये वेयर-हाउसिंग का सिस्टम बनाया गया है।

श्रीमन्, इसमें रसीद के बारे में मंत्री जी ने थोड़ा-बहुत इशारा तो जरूर किया है लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं पाय हैं। यह रसीद बहुत महत्वपूर्ण ह। पुराने विधेयक में रसीद दी जाती थी और अगर कोई अपना माल गोदाम में रखता था तो उसे पारशियल माल निकालने की भी आजादी थी और उसको नई रसीद दी जाती थी। इसमें यह किया गया है कि उसी रसीद पर लिख दिया जायगा और ठीक उसी स्थिति में उसके माल का ग्रेडेशन भी हो सकेगा। इसीलिये रसीद का सिस्टम निकाला गया है। अगर इस सिस्टम में भी वही चीज कर दें तो बड़ी सहूलियत हो जायगी। इसलिये कि निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट और नान-निगोशियेबिल इंस्ट्रूटमेंट, दो चीजें होती हैं जिसके जरिये आदमी काम करता है। किसान के पास जो भी सामान वह पैदा करता है उसको बड़ी खुशी से गोदाम में रखेगा और उसकी जो रसीद उसे मिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

जायगी वह उसकी आइडेंटिटी होगी। अगर कोई खराब माल रखना चाहेगा तो उस की इजाजत नहीं होगी और अगर किसी का माल गोदाम में खराब हो जायगा तो उसको निकालने का नोटिस दिया जायगा। अगर कोई रोजगार करने वाला आदमी फायदा उठा ले तो कोई बात नहीं है।

यह विधेयक किसानों के लिये लाया गया है। इसलिये हमें देखना होगा कि किसान का फायदा किस तरह से होगा। हम मंत्री जी की तारीफ करेंगे कि गोदाम वालों को एडवांस करने के लिये मना कर दिया है। जब वे रुपया नहीं देंगे तो किसान कहां जायगा ? एक समस्या हमारे सामने यह है कि हमारा माल गोदाम में है और वहां से एडवांस नहीं मिल रहा है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि या तो माल बेंच दें या माल निकाल लें क्योंकि हमें अपने माल की सही कीमत नहीं मिलेगी। इसलिये यह चाहिये कि जो रसीद उसको दिलायें वह ऐसी हो जिसको किसान किसी दूसरे आदमी को इंडोर्स कर सके और उसको वह ट्रांसफर हो सके। क्योंकि आइडेंटिटी उसकी है, वह अपने माल को किसी आदमी को बेंच सकता है। (व्यवधान) आप यह किताब पढ़ लीजिये---'थियोरी ऐंड प्रैक्टिस आफ कोआपरेशन इन फारेन कंट्रीज बाई रघुवंशदेव बेदी।' यह पढ़ लेंगे तो ज्यादा जानकारी हो जायगी। हम लोगों को वह बात करनी चाहिए जिससे माननीय बनारसी दास के कानों में असर करे।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---

अगर कच्ची रसीद को मान लिया तो नेगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट में कोई फर्क नहीं रह जायगा।

श्री कमलासिंह यादव---

माननीय बनारसीदास वह बना दें तो ठीक ही है, उसको नेगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट बना दीजिये ताकि काश्तकार अपना सामान रख ले और इंडोर्समेंट करके बेंच दे या गिरों रख दे। अगर यह हो सके तो किसान को फायदा होगा कि वह अपने सामान को ले जा कर रख दे और जब भाव अच्छा हो तो बच सके।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक गोडाउन का सवाल है, एक कठिनाई हमारे सामने है। अगर हम गांव के रहने वाले हैं, ५० मील की दूरी पर शहर में जायं तो बड़ी कठिनाई है। गवर्नमेंट की तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि उसमें यह है कि फर्स्ट टायर गोडाउन में यह होगा। गांवों में जो सरप्लस होता है उसके लिए चार-छः गांवों के लिए एक गोडाउन हो सकता है, जहां पर किसान अपना सरप्लस उसमें रख सकता है। माननीय बनारसीदास जी ने जो मार्केटिंग का हवाला दिया वह सेकंड टायर सिस्टम है। विलेज लेविल पर जो लार्ज साइज सोसाइटीज हैं वह अपने वेयरहाउस या गोडाउन बनाएं। दूसरी चीज यह है कि मंडी लेविल लार्ज स्केल सोसाइटीज को अधिकार है। थर्ड टायर स्टेट वेयरहाउसिंग पर होगा जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन या स्टेट कारपोरेशन हैं। फोर्थ आल इंडिया बेसिस पर, जो बहुत बड़ा मार्केट होगा जो हम लोगों के दायरे के बाहर हैं। इस तरह से फोर टायर सिस्टम हैं।

श्री बनारसीदास---

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय कमलासिंह जी को उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जो मेरे जवाब से पैदा होंगे। वह एक नया भाषण दे रहे हैं। उन्होंने मूल प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी को भेजने का किया, पहली तकरीर की। अब तो केवल उन प्वाइंट्स का जवाब देना चाहिए जो मैंने रेज किये हैं लेकिन वह जनरल तकरीर बजट को कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिए जो इससे रेलीवेंट बातें हैं वही कहिए। जो माननीय सदस्य कह रहे थे वह इसमें नहीं आता।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे अफसोस है कि जब अपनी बारी थी तो अपने आउट लुक से देखा और जब मैं उसका जवाब दे रहा हूं उन्हीं बातों का (व्यवधान) मैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं। अब उसमें यह तो जरूरी नहीं है कि जो आपने कहा है वही मैं दोहराऊं। जो मंशा मेरी समझ में आया है आप की बात का उसका जवाब मैं अवश्य दे रहा हूं। मेरे पास आपकी बातें नोटेड हैं, अगर आप कहें तो मैं आप के पास भेज दूं। और उसी के बारे में एक-एक प्वाइंट डिसकस कर रहा हूं। पहली बात जो है वह दिक्कत रीति-नीति की है, वह तो ठीक है। माननीय बनारसी दास जी उसके टच में नहीं हैं इसलिए वह बातें पहले नहीं आयीं नहीं तो मैं पहले ही कहना चाहता था, लेकिन जब आप बोले थे तो रीति-नीति की बात बतलायी, इसलिए हमें थोड़ी सी उस पर रोशनी डालने की जरूरत पड़ी, श्रीमन्।

असल में माननीय बनारसीदास जी चाहते हैं कि इस पर ज्यादा वादविवाद न हो। मैं दो-तीन बातें केवल बताना चाहता हूं। जब आप वाकई किसान का फायदा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस भी किसान को दें अगर आप किसान का भला नहीं करना चाहते हैं तब तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर वाकई उसके फायदे के लिए गोदाम बनाना चाहते हैं तो हम यह कहेंगे कि जिस तरीके पर उसको सहूलियत मिल सके उसको अधिक से अधिक देने की कोशिश आप करें। आपका जितना यह कानून है या जितनी चीजें ये हैं जिसको आप चाहते हैं कि किसान इस्तेमाल करें, तो फैसिलिटी देने के बाद आदमी उधर अट्रैक्ट होता है, अगर फैसिलिटी नहीं देंगे, बल्कि शुरू में ही ठोकर देंगे तो वह उससे दूर भागेगा और नतीजा यह होगा जैसाकि आप कह रहे हैं कि ट्रेडर उससे फायदा उठा रहा है, तो जो यहां का रहने वाला है वह उससे फायदा उठा सकता है, लेकिन मैं इस नीति को मानने वाला नहीं हूं। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं है कि वह ट्रेडर हो या किसान हो लेकिन किसान को ज्यादा फायदा देना है क्योंकि किसान की ही नींव पर यह सरकार बनी है और समाजवादी व्यवस्था की नींव भी किसान ही है इसलिए जो काम आप करें वह किसान के फायदे की दृष्टि से करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोआपरेशन अब आपके हाथ में आया है और इसलिए कोआपरेशन की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि कोआपरेटिव को आप इस तरीके से मोड़ दीजिये कि किसान को इससे वाकई फायदा हो सके, वह जहन्नुम में न चला जाय।

लार्ज साइज सोसाइटीज का मैं जिक्र कर रहा था। अगर यह गांवों में होगी, उसका गोदाम गांवों में होगा, वेयरहाउसिंग गांवों में कायम की जायगी तो किसान सोचेगा कि हां, हर तरह की सुविधा यहां पर है और फिर वह अपना सामान अपने घर में न रखकर जो कि चूता है बरसात में सीलन की वजह से कच्चे घर में उसका अनाज वगैरह सड़ जाता है, तो किसान नहीं चाहता है कि उसका अनमोल रत्न जो है वह इस तरह से बरबाद हो, इसी लिए प्रोटेक्शन उसका सबसे ज्यादा बड़ा ध्येय होता है और माननीय बनारसीदास जी उस किसान के ध्येय को पूरा करने की कोशिश करें तो उसको बहुत बड़ा प्रोत्साहन इससे मिलेगा और मैं नहीं समझता कि फिर किसान अपने सामान को अपनी उस झोपड़ी में रखकर सड़ायेगा या दीमक से चटवायेगा। वह हमेशा कोशिश करता है कि अपने सामान की रक्षा करे ताकि बोने के समय उसे अच्छा बीज मिले।

मंडीज के लेबिल की बात आपने कहीं मार्केटिंग सोसाइटीज ऐसा करती है, मैं तो चाहता हूं कि लार्ज साइज सोसाइटीज जो बनी हैं वह जो आपका फर्स्ट टायर है, उनको आप मजबत कीजिये, तभी मार्केटिंग का काम भी आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज यह है कि आज कीमतें बढ़ रही हैं। चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ है तो अगर ईमानदारी से सेवन करना है मार्केट को तो बहुत जरूरी है कि किसान के लिए ऐसे गोदाम अधिक से अधिक तादादमें बनवाने की कोशिश करें जिससे वहां आदमी अपना सामान रख सके और ज्यादा सामान रख सके, चाहे सरकार की तरफ से खरीदकर रखा जाय, चाहे कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से रखा जाय, चाहे मार्केटिंग सोसाइटीज की तरफ से रखा जाय चाहे लार्ज सोसाइटी की तरफ से खरीदकर रखा जाय, चाहे किसानों की तरफ से रखा जाय वह माल वहां पर महफूज रहे। जब देश में

[श्री कमला सिंह यादव]

कहीं पर जरूरत हो, देश के किसी कोने में जरूरत हो तो उसको फौरन वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाय। अगर कहीं पर हाई रेट हो तो वहां पर ट्रांसपोर्ट करके उससे फायदा उठाया जाय और उससे आप किसानों का फायदा कर सकते हैं। आप अगर उससे अपना फायदा उठाने की बात सोचें तो इससे देश का फायदा नहीं होगा। आप देखें कि मिलों के बारे में हमने यह कहा कि उनका नेशनलाइजेशन होना चाहिये। यह हमारा ध्येय नहीं है कि किसी को मार डाला जाय या मिल बन्द कर दी जायं। आपने गुड़ और खांडसारी के बारे में कानून बनाया। उसमें यह है कि किसानों से गन्ना खरीद कर मिलों को दें। मिल वाले उससे फायदा उठाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक आदमी फायदा न उठाये। इससे यह होगा कि वह रुपया सरकार के पास आ जायगा। ट्रांसपोर्ट का व्यापार सरकार के हाथ में है। मुझे उससे कोई ग्रज नहीं हो सकती है। मैं कहता हूं कि सरकार जितनी आमदनी बढ़ा सके उतनी बढ़ाये। वह सरकारी खजाने में जायगा और उससे प्रदेश के काम होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

जो विधेयक का मंशा है उसके ऊपर ही आपको बहस करनी चाहिये। वेयरहाउसेस बनने चाहिये और लार्ज स्केल सोसाइटी को बनाना चाहिये। यह सब बातें दूसरे समय हो सकती हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह कह रहा था कि एक गन्ना रिसर्च के मन्त्री हैं, एक डेवलपमेंट के मन्त्री हैं और तीसरे कृषि मंत्री हैं। अगर हम इन बातों पर अपने विचार न रखें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जब यह विधेयक इस सदन में आया है तो इस पर अपने विचार रखना ही चाहिये। मैं चाहता हूं कि किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे। हम लोगों का यही ध्येय होना चाहिये। इसलिये मैं कह रहा था और माननीय बनारसीदास जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर इसके अन्दर कोई गड़बड़ हो तो उसका सुधार किया जा सके। जो खामी मैंने बतलाई थी वह दूर नहीं हुई है। अगर वह नहीं चाहते हैं कि वे लोग वहां जायं तो फिर जो चाहें करें। जिम्मेदारी उनके ऊपर है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ३ महीने, १ साल के अन्दर फिर अगर कोई संशोधन इसमें आया तो यह जरा अच्छा नहीं होगा। उस समय बनारसीदास जी इन कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि सदन प्रवर समिति में भेजने के लिये इस बिल को पास करेगा।

*श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं कि मैं माननीय कमलासिंह जी को इस सदन के अन्दर अपनी बात नहीं समझा सका। मैं यह मानता हूं कि यह बिल स्टेट ट्रेडिंग से सम्बन्धित नहीं है। इस बिल का सम्बन्ध यह भी नहीं है कि किसानों की सारी प्रोड्यूस का पैसा उसको मिले और ऊंचे दाम पर जिस वक्त भाव हों तो उससे वह फायदा उठाये। इस बिल का केवल सीमित अर्थ यह है कि हमारे प्रदेश में काफी अनाज वेयरहाउसिंग की सुविधा न होने की वजह से बरबाद होता है इसको कंट्रोल किया जाय, रेगुलेट किया जाय, इसकी व्यवस्था की जाय यह इसमें व्यवस्था की गई है .....

श्री कमलासिंह यादव—

यह जो आप कहते हैं कि सुविधा दी जाय तो यह किसानों के लिये है या ट्रेडर्स के लिये ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसीदास---

पहले आपने अपना संशोधन पेश करते हुये यह कहा कि कि गांवों के अन्दर जो किसान और बहुत से व्यक्ति अपना माल रखते हैं उनको इससे मुक्ति हो। पहली बात यह कही और जब मैंने उसका उत्तर यह दिया कि गोडाउन्स और वेयरहाउसेज अलग-अलग हैं और ग्रामों में अगर कोई किसान अपना माल रखता है या दूसरों का माल रखता है और समय पर दूसरों को देता है तो उससे उसको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है और वह इसके प्राविजन्स से मुक्त होगा। दूसरी शिकायत उनकी यह थी कि वेयरहाउसिंग के कानून का सारे सूबे में इस्तेमाल किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव---

मैंने तो लार्ज स्केल सोसाइटीज की बात कही थी।

श्री बनारसीदास---

आप सुनिये तो। लार्ज स्केल सोसाइटीज के क्या फंक्शंस हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज के क्या फंक्शंस हैं, पी० सी० एफ० के क्या काम हैं, डी० सी० डी० एफ० के क्या काम हैं, यह सब यहां पर बताना मेरे लिये एक अनाधिकार चेष्टा होगी और पुनरावृत्ति का दोष भी मुझ पर लगेगा और मैं इस बिल की परिधि के बाहर भी चला जाऊंगा। जिस समय बजट आयेगा माननीय कमलासिंह जी कहेंगे तो उस पर विस्तार से उस समय चर्चा कर सकते हैं। लार्ज स्केल सोसाइटीज के द्वारा गोडाउन्स बनाने के लिये २५ हजार रुपया दिया है। उसमें २५ परसेंट ऋण भी है। सबसीडी भी है, लेकिन इस ऐक्ट में आप देखेंगे कि वेयरहाउसिंग में न तो सब्सीडी की व्यवस्था है और न ऋण देने की व्यवस्था है। इसकी तो मंशा एक कारपोरेशन का है केवल एक कामर्शियल संस्था है। वैसे हम विधेयक न लाते तो भी हम कारपोरेशन द्वारा काम करते हैं और कारपोरेशन ने अब तक ३८,०३१ रुपये का लाभ कमाया हानि आदि देने के बाद। तो यह काम तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम तो चाहते है कि जो भी वेयरहाउसेज कायम हों उन पर थोड़ा कंट्रोल रहे। लेकिन माननीय कमला सिंह जी ने एक वकील होकर भी एक भ्रान्ति उत्पन्न कर दी। हालांकि बेचनराम जी ने बीच में उनसे रोक कर कहा भी कि वेयरहाउसिंग और गोडाउन में यही अन्तर है। गोडाउन में कोई भी व्यक्ति अपना माल प्लेज कर सकता है बैंक के जरिये। बैंक का ताला लग जाता है। अब जो रसीद उसको मिलेगी वह निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट के अनुसार किसी भी बैंक को दी जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। अगर किसी किसान ने अपना माल रखा और डिपाजिटर की हैसियत से उसको रसीद मिली तो वह उस रसीद को दिखा कर किसी बैंक से पैसा ले सकता है। तो वह सुविधायें हमने इस बिल के अन्दर भी रख दीं। इसका मंशा यह है कि बजाय इसके कि बैंक्स अपने इंस्पेक्टर भेजे, अपना ताला रखे, वेयरहाउसिंग की रसीद एक ऐसा डाकूमेंट हो जिसके आधार पर बैंक उसको रुपया ऐडवान्स कर सके, यह सुविधा किसान को है। लेकिन श्रीमन्, यदि कमला सिंह जी चाहें कि कानून के द्वारा तमाम सामाजिक शिक्षा का काम किया जा सके तो मैं मानता हूं कि इस ऐक्ट के द्वारा हम कोई ऐसी मशीनरी नहीं खड़ी कर रहे हैं जो गांव गांव में किसानों के अन्दर इस बात का प्रसार करे कि वह अपना माल वेयरहाउसिंग में रखे। यह कार्य सामाजिक संस्थाओं का है, माननीय कमलासिंह जी का है, और आपके जैसे दूसरे आदमियों का है.....

श्री कमलासिंह यादव---

सूचना विभाग का है। आप तो सूचना विभाग के भी मंत्री हैं?

श्री बनारसीदास---

तो मैं कह रहा था कि हम सब का यह काम है कि हम किसानों को बतावें कि वे वेयर-हाउसेज में अपना माल रखे और बैंक की सुविधायें प्राप्त कर सकें। अब इस में भुवनेश्वर के प्रस्ताव

[श्री बनारसीदास]

का आभास नहीं रखा हमने, तो हम कहां कहते हैं कि हमने इसमें भुवनेश्वर के प्रस्ताव को इन्कारपोरेट किया है। गेहूं में भी समाजवाद दिखाई देने लगा। क्या गेहूं भी समाजवादी, कम्युनिस्टिक, जनसंघी होता है यह कम से कम मैं तो नहीं जानता। समाजवाद शब्द की आज कल इस कदर मट्टी पलीद की गयी है कि गेहूं भी समाजवादी, रोटी भी समाजवादी, गोडाउन भी समाजवादी। अच्छा समाजवाद रहा। तो गोडाउन का मंशा तो सिर्फ इतना है कि अनाज की जो क्षति होती है, सड़ जाता है, उसको रोका जाय, व्यापारी भी चाहेगा कि अनाज को इस तरह से, अनहाइजीनिक तरीके से न रखा जाय कि इंसेक्ट्स से वह नष्ट हो जाय। वह भी यह चाहता है कि राष्ट्रीय धन को हम नष्ट न होने दें। यह हमारा कर्त्तव्य है जिसको हम रोकेंगे।

श्रीमन्, एक तरफ कहा जाता है कि स्टेट काम करे। हमने कारपोरेशन बनाया और उससे लाभ भी कमाया। हम वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के लिये आप से पैसा भी नहीं मांग रहे। दो करोड़ रुपये का उसका अथराइज्ड कैपिटल है। ३१ लाख रुपया उसका पेड-अप कैपिटल है। आगे हम उसका कैपिटल रेज करेंगे। जिस प्रकार कमर्शियल इंस्टीट्यूशन्स चलते हैं उसी प्रकार मंडियों में हमने कुछ गोडाउन्स किराये पर ले लिये हैं और आगे चल कर ३८ लाख रुपया लगा कर हम ८ जगहों पर गोदाम बनाने जा रहेहैं। मैं मानता हूं कि यह स्टेट बहुत बड़ा है और हर जगह हम गोदाम नहीं बना सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि जो वर्तमान साधन हमारे पास हैं उनका हम इस्तेमाल करें। जिस चीज को हम अमल में नहीं ला सकते उसका हम निफाज नहीं करना चाहते। अभी गोदामों को, वेयरहाउसेज की जरूरत है और हम चाहेंगे कि प्रत्येक गोदाम वेयरहाउस में तब्दील कर दिया जाय, लेकिन आज उसकी चर्चा करना अव्यावहारिक है। कमलासिंह जी मुझ से सहमत होंगे कि किसान उसमें अपना माल रखे लेकिन यह उसके उद्देश्य में नहीं है कि केवल किसान ही उसमें अपना माल रखेगा। हमारे यहां तो ५० परसेंट उनकी कैपेसिटी खाली पड़ी है। अगर किसान अपना माल रखेगा तो हमें लाभ होगा, व्यापारी अपना माल रखेगा तो हमें लाभ होगा। मिर्जापुर आदि में तो हमें अपने गोदाम बंद करने पड़े इसलिये कि उनको वहां कोई इस्तेमाल नहीं करता था। हम चाहते हैं कि उनमें किसान अपना माल रखे। किसान के दुख दर्द की बात करके मैं कविता रचने का कायल नहीं। मैं समझता हूं कि हर जगह सोशलिज्म को ड्रैग कर लाना उचित नहीं है। मैं वह अपराध करने को तैयार नहीं, जिसके लिये वह कह रहे हैं। अगर माननीय कमला सिंह जी बजट में या वैसे ही कोई कंप्रेहेंसिव बिल ले आयें तो बात दूसरी है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि....

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, इसमें कोरम भी खत्म हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, कोरम है।

श्री बनारसीदास—

तो मैं माननीय कमलासिंह जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है और जो आशंकायें उन्होंने प्रकट कीं उनके लिये यहां स्थान नहीं है। जो उच्च भावनायें उनकी हैं वे अपनी जगह अवश्य स्थान रखती हैं और उनको अन्यत्र ध्यान में रखा जायगा। मैं स्वयं चाहूंगा कि लार्ज साइज सोसाइटियां ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनायें, मार्केटिंग सोसाइटीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप हों और मैं चाहता हूं कि वे मजबूत बनें। मार्केटिंग सोसाइटीज को आज भी अधिकार है कि वे किसान को एडवांस करें और वेयरहाउसेज को इस्तेमाल करें। मैं चाहूंगा कि जितना भी व्यापार हो वह

मार्केटिंग सोसाइटीज के द्वारा हो। और उसमें मैं माननीय कमलासिंह जी का, सब का सहयोग चाहूंगा जिससे व्यापारियों और मिडिल-मैन के द्वारा जो एक्सप्लायटेशन होता है उसको रोक सकें। उसके दो तरीके हैं या तो राज्य करे या मार्केटिंग और कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से कराये, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वह एक अलग चीज है। इसलिए मैं कमलासिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री कमलासिंह से) क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो मजबूर हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की प्रस्तावना का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"यह इष्टकर है कि गोदामों में माल को वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर ढंग से जमा करने को प्रोत्साहित किया जाय और उक्त माल के निक्षेप्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाय तथा गोदामों के उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था की जाय।"

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यह इष्टकर है कि गोदामों में माल को वैज्ञानिक और स्वास्थ्य कर ढंग से जमा करने व गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय और उक्त माल के निक्षेप्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाय तथा गोदामों के उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था की जाय।"

श्रीमन्, प्रस्तावित विधेयक और मेरे संशोधन में केवल एक चीज का फर्क है कि १९५८ के विधेयक में साफ दिया गया है कि यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय और दूसरी चीज यह थी कि उसमें उचित अधीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था करना। तो दूसरी चीज तो उन्होंने अपना ली, लेकिन पहली नहीं अपनाई। अगर गोदामों की स्थापना नहीं होगी तो अधीक्षण और नियंत्रण कैसे करेंगे? इसलिये जरूरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

होता है कि "गोदामों की स्थापना" शब्द को इसमें अवश्य रखा जाय। अभी सदन में बनारसीदास जी से हमने सुना कि किराये के मकानों को लेकर गोदाम बना रहे हैं--यह जरूरी भी है कि हम अपने मकान बनाएं। इसलिये अगर "स्थापना" शब्द निकाल लेते हैं तो निरीक्षण किस बात का होगा ?

मैं चाहूंगा कि इसमें "गोदाम की स्थापना" शब्द जरूर रहना चाहिये। जो अमेंडमेंट मैंने दिया है आप उसे चाहे उसी रूप में स्वीकार कर लें या उसको दूसरे तरीके से स्वीकार करें, वह है बहुत जरूरी। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो जो पुराना आब्जेक्ट है इस विधेयक का, वही खत्म हो जायगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय बनारसीदास जी मेरे संशोधन को मान लें।

*श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, इसको प्रोत्साहन देने से गोदाम तो बन नहीं जायेंगे। उसके लिये न कोई प्राविजन पहले था और न अब है और न ही गोदामों को बनाने के लिये प्रोत्साहन देने की मंशा है क्योंकि उसके लिये कोई उसमें ऋण आदि देने की व्यवस्था नहीं है। उसकी मंशा तो सिर्फ यही है कि स्वास्थ्य कर ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से स्टोर करने को प्रोत्साहन मिले। तो अगर कोई चीज हम ऐसी रख दें जिसकी कि हमने कोई व्यवस्था ही उस विधेयक के अन्दर नहीं की हो तो वह चीज गलत हो जायेगी। पहले जो हमने रखा था वह गलत था और उसके लिये विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर इन शब्दों को बढ़ा दिया जाता है तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और वह अपनी जगह पर निरर्थक है। हमने तो इस विधेयक में कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं जैसे लाइसेन्स, शुल्क तथा सिक्योरिटी आदि का प्रतिबन्ध, तो जहां पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं वहां पर प्रोत्साहन देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये मुझे खेद है कि मैं माननीय कमलासिंह जी के संशोधन को मानने में असमर्थ हूं और मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

*श्री कमलासिंह यादव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मकान आज कोई भी आदमी बना सकता है या सरकार की तरफ से बनाये जा सकते हैं या कोआपरेटिव की तरफ से बनाये जा सकते हैं। तो पहले का जो विधेयक है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें मकान बनाने की बात आई हो। आज माननीय बनारसीदास जी को इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती, वे समझते हैं कि उनके बनाने की जरूरत नहीं है, किराये के जो मकान मिल रहे हैं उनसे ही काम चलेगा, मगर कल हो सकता है किराये के मकान न मिलें या यह हो सकता है कि कल को मकान बनाने की जरूरत माननीय बनारसीदास जी को महसूस होने लगे, तो उस वक्त उसके लिये फिर आपको संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिये यह अच्छा है कि आज ही उसको जितना हम बढ़ा सकें उतना बढ़ा दें ताकि कल को फिर कोई संशोधन लाने की जरूरत न पड़े। आज पैसा नहीं है, कल वह हो सकता है और उसको बनाने की जरूरत पड़ सकती है। आपकी सोसाइटी ही बना सकती है। कल मान लीजिये किराये के मकान आपको नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या होगा ? मकान नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। पहले तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जैसे यह सदन है, तो पहले इस सदन का होना आवश्यक है फिर इसमें कोई काम होगा। अगर गोदाम ही नहीं है तो किस तरह से उनमें सामान रखा जायगा, किस तरह से उसके लाइसेंस दिये जायेंगे। पहले तो किसी चीज की आइडेन्टिटी इस्टेब्लिश की जाती है। पहले गोदामों की स्थापना होगी उसके बाद उसके प्रबन्ध के लिये इन्तजाम किया जायगा, तब लाइसेंस दिये जायेंगे, तब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी वर्किंग का सवाल पैदा होगा, साइन्टिफिक तरीके से रखने का सवाल होगा। लाइसेंस देने की बात तो हम इस विधेयक के जरिये कर रहे हैं लेकिन उसके पहले उनकी स्थापना की आवश्यकता है। इसलिये इसमें स्थापित शब्द को रख दिया क्योंकि वह बहुत ही आवश्यक है। इसमें और न कोई पोलीटिकल मामला है और न कोई और दूसरी बात है। मैं समझता हूं कि स्थापित शब्द को रख देने से विधेयक को लाभ ही होगा हानि नहीं होगी।

*श्री बनारसीदास--

जैसा मैंने पहले निवेदन किया। अभी हमारे वेअरहाउसेज मौजूद हैं, स्थापित हैं, आगे भी बनेंगे, अगर वे वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अपनी कोई बिल्डिंग बनायेगी तो भी इस विधेयक में तब्दीली की आवश्यकता न होगी। वेअरहाउसिंग कारपोरेशन का जो ६२ का ऐक्ट है उसके क्लाज २४ (ए) में लिखा है--

"Subject to the provisions of this Act, a State Warehousing Corporation may—

(*a*) acquire and build godowns and warehouses at such places within the State as it may, with the previous approval of the Central Warehousing Corporation, determine ;

(*b*) run warehouses in the State for the storage of agricultural produce, seeds, manures, fertilisers, agricultural implements and notified commodities ;"

इसमें अगर हम इन शब्दों को रख देते हैं "गोडाउन्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये" उससे कोई लाभ न होगा। फिर इस विधेयक में हम प्रोत्साहन देने के लिये कोई निश्चयात्मक कदम भी नहीं उठा रहे हैं। अगर उन शब्दों को रखते हैं तो हिपोक्रेसी होगी।

श्री कमलासिंह यादव--

आप इसको पढ़ लें। इसमें 'इस्टेब्लिश्ड' शब्द दिया हुआ है।

*श्री बनारसीदास--

आपको आपत्ति तो कवर्ड ही है गवर्नमेंट आफ इंडिया के सन् ६२ के ऐक्ट में। और स्टेट वेअरहाउसिंग उसके मातहत होंगी। यह इस का मतलब है आगे और भी हो सकते हैं, यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट से गवर्न होते हैं और मौजूदा ऐक्ट तो केवल सुपरवीजन और रेगुलेशन के लिये है। जैसे हम ने साइन्टिफिक और हाईजीनिक सिद्धान्तों को जोड़ा है इस को भी हम जोड़ सकते थे, हम स्थापना को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, न हमारे पास साधन हैं, न हम बनवा ही सकते हैं तो इसको कैसे हम रख सकते हैं। बजट के द्वारा हम पैसा देते तब बात सोची जा सकती थी। इसलिये यहां पर इसके रखने की कोई गुजायश नहीं है। पहले ऐक्ट में जो शब्द लिखे थे वह संदर्भ के खिलाफ थे, उन का कोई अर्थ नहीं था इसीलिये उन को अब निकाला गया है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट में यह मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"यह इष्टकर है कि गोदामों में माल को वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर ढंग से जमा करने व गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय और उक्त माल के निनिक्षेप्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाय तथा गोदामों के उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था की जाये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ के धारा २ का संशोधन ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

३---मूल अधिनियम की धारा २ में---

(१) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(ग) 'माल' का तात्पर्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९६२ की धारा २ के खंड (ए)में यथा-पारिभाषित कृषि उत्पादन (agricultural produce) और ऐसी अन्य वस्तुओं से है जो नियत की जायं ;"

(२) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(झ) 'गोदाम' का तात्पर्य किसी ऐसे भवन, इमारत अथवा अन्य पटे हुये घेरे से है जो माल रखने के काम में लाया जाता है ;"

(३) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(ञ) 'गोदाम परिचालक' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो गोदाम रखने का व्यवसाय करता हो और जिसके अन्तर्गत उस व्यवसाय का प्रभारी व्यक्ति भी है ;" और

(४) खंड (ञ) के पश्चात् नये खंड (ञञ) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :---

"(ञञ) 'गोदाम रखने' (warehousing) का तात्पर्य परिरक्षण (preservation) या सुरक्षित अभिरक्षा (safe custody) के लिये निक्षेप्ताओं की ओर से माल जमा रखने के व्यवसाय से है;" तथा ।

*श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ग) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

'बीज के लिये रखे गये अनाज इस परिभाषा से वंचित होंगे'

जैसा कि मंत्री जी बता चुके हैं कि यह उन पर लागू नहीं होगा जो किसान गांव में रहते हैं । तो वह चाहें तो उस में इतना और जोड़ दें ताकि साफ हो जाय कि किसानों के माल पर यह लागू न होगा ।

*श्री बनारसीदास---

उपाध्यक्ष जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि उन पर लागू नहीं होगा । अगर हम लिख देते हैं कि बीज एगजेम्ट रहेगा तो मुश्किल यह होगी कि कैसे पता चलेगा कि शुरू में कि यह बीज का माल है या खाने का है ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह गांव के लोगों पर लागू नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३ का प्रतिस्थापन

लाइसेंस के बिना गोदाम का न रखा जाना

"३—उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल न गोदाम रखेगा और न गोदाम रखना जारी रखेगा ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

५—मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ का धारा ४ का प्रतिस्थापन ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र

"(१) लाइसेंस के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र नियत प्रपत्र में नियत शुल्क और प्रतिभूति के साथ, लाइसेंस-प्राधिकारी को दिया जायगा : प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रार्थी, वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९६२ अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला वेयरहाउसिंग कारपोरेशन हो तो कोई प्रतिभूति अपेक्षित न होगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर लाइसेंस-प्राधिकारी उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये यथाशक्य शीघ्र, प्रार्थी को, ऐसे प्रपत्र में और उन ब्योरों के साथ लाइसेंस देगा जो नियत किये जायें ।

(३) यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि—

(क) प्रस्तावित गोदाम, नियत शर्तों के अनुसार, उस वर्ग विशेष का माल जमा रखने के उपयुक्त नहीं है, जिसके लिये वह अभिप्रेत है; या

(ख) प्रार्थना-पत्र के साथ, नियत शुल्क या प्रतिभूति नहीं है और उक्त शुल्क या प्रतिभूति पन्द्रह दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर नहीं दी गयी है जिसकी अनुमति लाइसेंस प्राधिकारी दें, तो लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।"

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "प्रतिभूति" और " अपेक्षित" के बीच " अथवा शुल्क" बढ़ा दिये जायं ।

मूल धारा ४ (१) जो है वह इस प्रकार है कि "(१) लाइसेंस के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र नियत प्रपत्र में, नियत शुल्क के साथ, लाइसेंस प्राधिकारी को दिया जायगा ।

(२) लाइसेंस की स्वीकृति देने के पहले लाइसेंस प्राधिकारी इस विषय में अपना समाधान कर लेगा कि :—

(क) प्रस्तावित गोदाम उस वर्ग विशेष का माल ठीक से जमा रखने के लिये उपयुक्त है, जिसके लिये लाइसेंस की प्रार्थना की गई है ।

(ख) प्रार्थी ने प्रतिभूति की नियत राशि दे दी है ।

(ग) प्रार्थी अन्य ऐसी शर्तें, जो नियत की जायं, पूरी करता है ;

(घ) ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि प्रार्थी लाइसेंस प्राधिकारी के विचार में अनर्ह समझा जाय ।

(३) जब पूर्वोक्त सब शर्तें पूरी हो जायें तो लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है ।"

तो प्रतिभूति तो है ही और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है । लेकिन जब वह आलरेडी एस्टेब्लिश्ड है किसी कानून के मातहत तो कोई शुल्क भी देने की जरूरत नहीं है । मैं अधिक समय न लेकर मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब लाइसेंस फीस नहीं ले सकते और सिक्योरिटी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वह आलरेडी एनफोर्स्ड विधेयक के अन्तर्गत एस्टेब्लिश्ड है और आप कह रहे हैं कि जो गोडाउन हैं वह वेयरहाउसिंग से सेपरेट हैं तो उसके अन्दर आप आ सकते हैं लेकिन आपके अन्तर्गत वह वेयरहाउसिंग नहीं आ सकता । इसलिये जैसे आपने सिक्योरिटी से बरी किया है उसी तरह शुल्क से भी बरी कर दीजिये क्योंकि आपकी परिधि के बाहर है और यही मौजूं भी होगा ।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, माननीय कमलासिंह ने जो संशोधन पेश किया है, इस संबंध में निवेदन है कि अभी तक हमारी स्टेट के अन्दर कोई वेयरहाउसिंग कारपोरेशन नहीं है जिसने कोई शुल्क दिया हो । इसलिये यह कहना जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं उन्होंने शुल्क दे दिया है तो उनसे शुल्क न लिया जाय । इसका मकसद सिर्फ यह है कि दो तरह के वेयरहाउसेज हैं, एक तो १९६२ के ऐक्ट के अन्तर्गत बने हैं, जो वेयरहाउसेज कायम हैं उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लाइसेंस की जरूरत है क्योंकि जब हम किसी कानून का एनफोर्समेंट करते हैं तो उसके लिये व्यवस्था करनी पड़ती है । लेकिन जो इंडिविजुअल्स के वेयरहाउसेज हैं अगर उसमें सिक्योरिटी नही रखेंगे तो डिपाजिटर के इंटरेस्ट को सुरक्षित नहीं रख पायेंगे । तो शुल्क भी उनसे लेंगे और सिक्योरिटी भी लेनी है । आपने कहा आपको अधिकार नहीं है जब गोडाउन मुक्त कर दिया । तो अगर कोई हमारे यहां एप्लाई करेगा वेयरहाउसिंग के लिये उसी से फीस लेंगे, उसी से सिक्योरिटी भी लेंगे और जो कोई अपना गोडाउन रखना चाहता है । हमने तो उसको मजबूर किया नहीं, लेकिन जब वेयरहाउस रखेगा, क्यों रखेगा ? इमीडियेट लाभ यह है कि रसीद देते ही वह निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है । इसलिये जो गोडाउन कीपर है उसको इस ऐक्ट में एनकरेजमेंट है कि वह वेयरहाउस का लाभ उठाये लाइसेंस प्राप्त करके, सिक्योरिटी जमा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करके रसीद जारी करने का अधिकार प्राप्त करे ताकि वह नेगोशियेबिल इंस्ट्रुमेंट बन सके। अगर कोई गोडाउन रखना चाहता है तो परिधि के अन्दर आता नहीं इसलिये जरूरत क्या है। इसलिये जो सिक्योरिटी से हमने मुक्त किया है इसी तरह से शुल्क से मुक्त कर दें तो अनुचित है। शुल्क तो कारपोरेशन से भी लेंगे और इंडिविजुअल से भी सिर्फ इतना अन्तर है कि जो स्टेट वेयरहाउसेज हैं, ३३ सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में बनाये, उनसे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फीस लेंगे क्योंकि हमारे ही कारपोरेशन हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा यह संशोधन जो आपने (श्री कमलासिंह जी ने) पेश किया है उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अतः उसे वापिस ले लें।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी ने मेरी बात को नहीं सुना। मैं असल में यह कह रहा हूं :—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात गोदाम में जमा किये गये उस माल पर लागू न होगी जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ अथवा तत्समय प्रचलित किसी सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे जाने वाले वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का हो"

श्रीमन्, यह सेन्ट्रल ऐक्ट के जरिये ये वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट जो १९६२ का है उसके जरिये एस्टेब्लिश्ड हो तो वह प्रार्थना-पत्र दें, उसके एक्जेम्पशन की बात हमने कही। यह तो मैं भी मानता हूं कि वेयरहाउसिंग जो है उनको भी लाइसेंस्ड हो जाना चाहिये क्योंकि जो रसीद दी जाती है वह एक नेगोशियेबिल इन्सट्रुमेंट का काम करती है। अगर वे अनलाइसेंस्ड हों तो सारा काम फेल हो जायगा। तो मेरा यह खयाल है कि जहां तक लाइसेंस का सवाल है वह तो होगा ही। अगर वह लाइसेंस सेन्ट्रल ऐक्ट के अन्दर है तो अगर आप यहां भी चाहते हैं कि हमारे यहां भी लाइसेंस लें, सिक्योरिटी भी दे, हालांकि आपने सिक्योरिटी से वंचित कर दिया मैं नहीं समझता कि न्याय होगा। सेन्ट्रल ऐक्ट १९६२ का है। कोई अगर इस ऐक्ट से गवर्न हो या स्थापित हो तो हम यह समझेंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट के अनुसार वह स्थापित किया गया है। तो अगर सेन्ट्रल ऐक्ट का मतलब आप उसको स्थापित समझेंगे तो यह प्रिजम्पशन होगा कि उस अथारिटी का लाइसेंस है, सिक्योरिटी भी दे दी गयी है। जब वह आलरेडी विधेयक है सेन्ट्रल गवर्नमेंट का, उसके अन्दर अगर कोई लाइसेन्सी है तो क्या जरूरत है फिर दुबारा आपके यहां भी लाइसेंसी हो। इसके मायने यह हैं कि आपके यहां के रूल्स और सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के रूल्स कन्ट्राडिक्ट करते होंगे। इसलिये जो आलरेडी एन्फोर्समेंट में कोई ऐक्ट है उसके अन्दर एस्टेब्लिश्ड है और आप फिर भी चाहते हैं कि उसके अन्दर भी आ जाये। मेरी ड्यूटी यह है कि आपकी नजर के सामने यह चीज ले आऊं।

*श्री बनारसीदास—

जो संशोधन रखा वह उचित ही था। उनका यह खयाल है कि सेन्ट्रल ऐक्ट के मातहत लाइसेंसिंग होता है। लेकिन स्थिति यह है कि सेन्ट्रल ऐक्ट में लाइसेंसिंग का कोई प्रावीजन नहीं है, उसमें केवल स्थापना का प्रश्न है। तो यह जो हमारा कानून है लाइसेंसिंग का एक ही होगा। सेन्ट्रल ऐक्ट के अनुसार लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अभी तक हमारी स्टेट के अन्दर भी लाइसेंस नहीं है। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी जो सेन्ट्रल ऐक्ट के मातहत हैं या भविष्य में होंगे लेकिन लाइसेंस सब को लेना पड़ेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय कमलासिंह जी अपने संशोधन को वापिस लें लेंगे।

जैसा मैं कह रहा हूं कोई लाइसेंसिंग फीस सेंट्रल ऐक्ट मेरे पास है उसमें नहीं है और न कोई लाइसेंस इस वक्त प्रचलित है। सन् ५८ में चाहते थे निफाज करना लेकिन नहीं हो सका। लिहाजा एक ही लाइसेन्स होगा। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी के एश्योरेंस पर मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५ के उपखंड ३ के (ख) की द्वितीय पंक्ति में 'पन्द्रह' के स्थान पर 'तीस' रख दिया जाय ।

यह पन्द्रह से तीस रखने का मेरा अभिप्राय यह है कि ज्यादा डिले मामले में न हो । जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा जब पहले कोई लाइसेन्स रिजेक्ट किया जाता था तो कारण नहीं दिया जाता था और न सुनवाई होती थी । अब यह अमेंडमेंट किया गया है कि हियरिंग भी होगी और साथ ही साथ कोई आफिसर अगर लाइसेन्स रिजेक्ट करेगा तो रीजनिंग भी देगा । तो मेरा कहना यह है कि थोड़ी सी इन्कनविनीयन्स के कारण किसी का लाइसेन्स रिजेक्ट हो जाय या कोई कहे कि सिक्यारिटी नहीं दी, या परिपत्र में खामी है इसलिये रिजेक्ट कर दिया गया तो मैं यह चाहता था अगर इस विधेयक में नहीं चूंकि यह विधान परिषद् से पास हो कर आ गया है तो रूल्स में यह प्राविजन कर दिया जाय कि पहले आफिस में स्क्रुटनी हो जाय कि परिपत्र में फीस भरी है, सिक्योरिटी दे दी है और लाइसेन्स फीस भी जमा कर दी है और अगर ई कमी हो तो उस कमी के लिये उस आदमी को १५ दिन का नोटिस दिया जाय जिसमें वह उस कमी को पूरा कर दे और उसके बाद भी अगर वह पूरा नहीं करता है तो आउटराइट रिजेक्ट कर दे और उसमें हमें कोई शिकायत नहीं होगी । एक महीना रखने का यही कारण है । अपील की भी कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि काफी मौका आपने पहले ही दे दिया और बहुत बड़ी कोर्ट हम इसे बनाना नहीं चाहते । अगर आप यहां मुनासिब न समझें तो रूल्स में दे दें । इससे हमारी कठिनाइयां भी दूर हो जायगी ।

*श्री बनारसीदास—

इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । पहली बात तो इस सिलसिले में यह थी कि हमने ७वीं धारा का संशोधन इसी दृष्टि से किया था कि उसको सुनवाई का मौका दिया जाय और यह भी लिख दिया कि आर्बिट्रेरीली वह दरख्वास्त रिजेक्ट न कर सके, कारण दे । लेकिन जब कोई इस प्रकार की एप्लीकेशन आयेगी जैसा कि लिखा है तो हम नियमों में इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जब ऐप्लीकेशन आये और उसमें कुछ त्रुटियां हों तो उसका नोटिस दे और १५ दिन के अन्दर यदि वह उन त्रुटियां को पूर्ति न करे तब उसको अस्वीकार किया जाय । यह हम कर लेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खंड ६

६—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ७ का प्रतिस्थापन ।

"७—(१) लाइसेंस के लिए या लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने के पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देगा । प्रार्थन-पत्र अस्वीकार करने तथा धनराशि वापस करने की प्रक्रिया ।

(२) यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस के लिए या लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करे तो वह ऐसी अस्वीकृति के कारण अभिलिखित करेगा और अपनी आज्ञा की एक प्रति प्रार्थी को भेजेगा ।

(३) कोई व्यक्ति जिसका लाइसेंस के लिए या लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर अपने द्वारा जमा की गयी या दी गयी प्रतिभूति को, यदि कोई हो, और उस अवधि के लिए जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र हो जमा किये गये शुल्क को भी, यदि कोई हो, यदि वापस पाने या लौटाये जाने का हकदार होगा ।"

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव में निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ के प्रस्तावित धारा ७ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि गोदाम परिचालक का लाइसेंस कुछ दिन काम करने के पश्चात् रद्द किया गया हो और नवीकरण न हो तो उसका शुल्क एक-तिहाई या २० प्रतिशत, जो भी कम हो, काट कर शेष धन वापस पाने का अधिकारी होगा ।"

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह बिल जैसा बना है ज्यों का त्यों अपनी जगह पर बहुत ही सही है । जैसा कि बनारसीदास जी ने आश्वासन दिया है, माननीय कमलासिंह का एक भी संशोधन मान लेने से भ्रष्टाचार की गुंजायश और बढ़ जायगी । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से बिल है उसी तरह से पास हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह का हक है प्रस्ताव रखने का ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लाइसेंस उसी का रद्द होगा जो भ्रष्टाचार चलायेगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय लोहिया जी का सोशलिज्म काशीनाथ जी पढ़ायें, बड़ी अच्छी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, वे चाहते हैं कि जल्दी करिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलासिंह यादव—

चाहते तो हम भी हैं। हम इसी लिये यहां बैठे हैं कि अगर कोई कमी हो तो उसको नोटिस में लायें। इसलिये नहीं बैठे हैं कि जो लायें वह जरूर पास हो जाय ।

जो संशोधन मैंने रखा है उससे एक तरह से मैं नुकसान कर रहा हूं जो व्यवसायी है उसका। लेकिन यह सिद्धांत की बात है कि अगर हमने किसी बात के लिये लाइसेंस लिया तो जब तक उसका पीरियड है हम काम करें लेकिन उस पीरियड से अगर ज्यादा काम करें तो उस वक्त यह जरूरी होता है कि जितने पीरियड हमने ज्यादा काम किया है उसके लिये हम फीस दें। अगर किसी ने एक साल तक काम किया और रिनुअल की दरख्वास्त दे दी तो उसी दिन तो रिनुअल हो नहीं जायगा, तीन चार महीने लग गये और चार महीने काम किया और उसके बाद उसका लाइसेंस रद्द हो गया तो शुल्क की पूरी रकम उसको वापस हो जायगी। सिक्योरिटी तो वापस हो जानी चाहिये, लेकिन जितने दिन उसने काम किया है उस अनुपात से काटकर बाकी रकम उसको मिलनी चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाय तो न्याय होगा। इसलिये मैंने इसको रखा है। अगर मंत्री जी चाहें तो वापस कर दें। हम यहां दान देने के लिये नहीं बैठे हैं कि पूरी की पूरी रकम वापस कर दी जाय। जितने दिन उसने काम किया है वह रकम उसमें से काटकर वापस की जाय ।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय कमलासिंह जी ने लाइसेंस की फीस को किराये की तरह समझ लिया है। अगर एक दिन रहे तो एक दिन का किराया दे। ऐसा नहीं है। उसकी मंशा यह है कि यदि कोई नवीकरण या लाइसेंस कैंसिल हो जाय तो उसकी शुल्क वापस कर दी जायगी। लेकिन आप कहते हैं कि जितने दिन उसने काम किया हो उस अनुपात से काटकर फीस वापस की जाय। यह ऐक्ट की मंशा के खिलाफ है इसलिये इसको स्वीकार करना कठिन है ।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में नियम है कि एक दिन भी गाड़ी चलती है तो उसका देना होता है ।

श्री बनारसीदास—

वह तो एक तरह से टैक्स है। लेकिन यह टैक्स नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ की प्रस्तावित धारा ७ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि गोदाम परिचालक का लाइसेंस कुछ दिन काम करने के पश्चात् रद्द किया गया हो और नवीकरण न हो तो उसका शुल्क एक तिहाई या २० प्रतिशत, जो भी कम हो, काटकर शेष धन वापस पाने का अधिकारी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खंड ७

७--मूल अधिनियम की धारा ८ का खण्ड (ङ) निकाल दिया जाय। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ८ का संशोधन।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं इस खंड का विरोध करता हूं। असल में बात यह है कि किस हालत में लाइसेंस कैंसिल करेंगे। उसमें इस प्रकार से है कि जब गोदाम के संचालन के लिये किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो गया हो। तो ऐसी चीज नहीं है कि वह रोजगार को कायम नहीं रख सकता है। अगर वह अक्षम हो गया है तो वह अपना काम अपने लड़के, रिश्तेदार से या किसी नौकर से करवा सकता है। मैं समझता हूं कि अगर यह निकाल दिया जायगा तो मुनासिब नहीं होगा क्योंकि किसी का अधिकार छीन लेना ठीक नहीं होगा और यह फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी होगा। अगर आपको कंडीशन्स को पूरा करता है तो आपको लाइसेंस देना होगा। अगर अक्षम हो गया है तो किसी और से काम करवा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ९ का संशोधन।

"९—(१) यदि लाइसेंस समाप्त हो जाय या निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय तो गोदाम परिचालक, गोदाम रखने का कार्य बन्द कर देगा, किन्तु अपने इस व्यवसाय का उपसंहार करने के लिए उसे ऐसी अवधि स्वीकृत की जा सकेगी जो नियत की जाय। गोदाम परिचालक, लाइसेंस समाप्त होने के, या उसे निलम्बित अथवा रद्द किये जाने के, जैसी भी दशा हो, दिनांक से नब्बे दिन के भीतर लाइसेंस-प्राधिकारी को लाइसेंस लौटा दिया देगा।

(२) यदि गोदाम परिचालक उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित लाइसेंस नहीं लौटाता है तो लाइसेंस-प्राधिकारी, इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह आज्ञा दे सकता है कि उसके द्वारा या जमा की गयी पूरी प्रतिभूति, यदि कोई हो या उसका कोई भाग, जब्त कर लिया जाय।"

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ९ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि गोदाम परिचालक ने लाइसेंस के सम्बन्ध में अपील की हो और स्टे आर्डर मिला हो तो अपील के फैसले की तारीख से नब्बे दिन की अवधि मानी जायगी।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

श्रीमन्, इसमें हम इस अधिनियम के जरिये अपील का एक मौका देते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि "यदि लाइसेंस समाप्त हो जाय या निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय तो गोदाम परिचालक, गोदाम रखने का कार्य बन्द कर देगा, किन्तु अपने इस व्यवसाय का उपसंहार करने के लिये, उसे ऐसी अवधि स्वीकृत की जा सकेगी जो नियत की जाय। गोदाम परिचालक लाइसेंस समाप्त होने के, या उसे निलम्बित अथवा रद्द किये जाने के, जैसी भी दशा हो, दिनांक से नब्बे दिन के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस लौटा देगा।"

*श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, जैसा कि इस बिल में कहा गया है और माननीय कमलासिंह का यह संशोधन है जब अपील की गुंजायश है तो लौटाया न जाय, मैं माननीय कमलासिंह से और सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि असल में इसके लिये अपील की गुंजायश नहीं रहनी चाहिये क्योंकि यह विधेयक एग्जिक्युशन के लिये है, इंतजाम के लिये है। अगर इसमें अपील की गुंजायश देते हैं तो अपील की गुंजायश रद्द करें क्योंकि बाद में इससे इंतजाम में गड़बड़ी पड़ेगी और गोदामों के रखने में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको प्रश्रय मिलेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि अपील की गुंजायश कतई नहीं रहनी चाहिये। यह मेरा नया संशोधन है। इसको आप स्वीकार करें।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, जैसा कि कमलासिंह ने कहा अगर स्टे होगा तो कठिनाई नहीं होगी इसलिए इसमें जिस प्रकार से व्यवस्था की गयी है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि साधारण नियम यह है कि अगर स्टे आर्डर हो गया तो जिस दिन से एनफोर्स होगा उसी दिन से ९० दिन मिलता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री कमलासिंह यादव—

अभी तक तो काशीनाथ जी का समाजवाद सुना क्योंकि उसमें उनका दोष नहीं था, वह तो लोहिया जी कम्युनिस्टों के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं और समझौता भी हो रहा है। अगर अपील करने का मौका भी रद्द कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उनके जमाने में बहुत बढ़िया हालत होगी। मुझे उस समाजवाद की चर्चा नहीं करनी है। लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस रोज से नीचे के प्राधिकारी ने कैंसिल कर दिया उसी रोज से ९० दिन के अन्दर लाइसेंस वापस करना चाहिये इस नियम के मुताबिक। इसमें यह शब्द हैं—"यदि लाइसेंस समाप्त हो जाय या निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय तो गोदाम परिचालक, गोदाम रखने का कार्य बन्द कर देगा, किन्तु अपने इस व्यवसाय का उपसंहार करने के लिये उसे ऐसी अवधि स्वीकृत की जा सकेगी जो नियत की जाय। गोदाम परिचालक, लाइसेंस समाप्त होने के, या उसे निलम्बित अथवा रद्द किये जाने के, जैसी भी दशा हो, दिनांक से नब्बे दिन के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस लौटा देगा"। जिस रोज, श्रीमन्, यह लाइसेंस कैंसिल हो गया उसी रोज से लाइसेंस खत्म हो जायगा और उसी रोज से ९० दिन के अन्दर वापस करना चाहिये। हो सकता है कि अपील का फैसला एक साल के बाद हो, दो साल के बाद हो या तीन चार साल के बाद हो। जैसा कि माननीय बनारसीदास कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं होगा। जब अपील का फैसला होगा उस रोज से मानेंगे तो दिक्कत हो जायगी, इसके माने यह होंगे कि एक साल वह बिना लाइसेंस के काम करेगा। कन्टेम्प्ट से बचने के लिये यह होता है कि कोई आदमी अपील करता है और अपील से आर्डर लाता है उसी वक्त से ९० दिन का समय माना जाता है। लेकिन इसमें फैसले के बाद ९० दिन माना जायगा। यह उचित न होगा। यह तो बिलकुल उल्टा हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बनारसी दास—

उपाध्यक्ष महोदय, मान लिया किसी को ६ महीने की सजा हुई और ऊपर के कोर्ट से स्टे हो गया और उसकी सजा उसी तरह से चलती रहे तब तो हायर कोर्ट का फैसला ही रद्द हो गया। कमला सिंह जी ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि लाइसेंस को रिजेक्ट करने के बाद अपील होगी और अपीलेट अथारिटी उसको स्टे कर दे और उसका फैसला मान लिया एक साल के बाद हुआ अब अगर ३ महीने उसकी मियाद रख दें तो दिक्कत हो जायगी। हर बात के लिये नियम नहीं होते कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरल ला होती हैं। जनरल ला यही है कि जो फाइनल फैसला होगा उसके बाद उसको तीन महीने का वाइन्ड-अप करने का अवसर मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ९ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि गोदाम परिचालक ने लाइसेंस के सम्बन्ध में अपील की हो और स्टे आर्डर मिला हो तो अपील के फैसले की तारीख से नब्बे दिन की अवधि मानी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९—१८

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३, १९५९ की धारा १५ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"स्पष्टीकरण—सूखने अथवा सिकुड़ने के कारण भार या परिमाण की हानि अथवा नमी सोख लेने का कारण परिमाण या भार की वृद्धि इसधारा के अर्थों में क्षीण होना समझा जायगा, यदि हानि या वृद्धि, ऐसी सीमाओं से अधिक हो जिन्हें लाइसेंस-प्राधिकारी विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, समय-समय पर, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, नियत करे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा १७ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १७ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "रसीद" तथा शब्द "उसके द्वारा" के बीच में कामा तथा शब्द "उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये", बढ़ा दिये जायें; और

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(३) यदि निक्षेप्ता द्वारा माल आंशिक रूप से ही वापस लिया जाय तो गोदाम परिचालक रसीद में इस आशय की एक प्रविष्ट करेगा और उसे निक्षेप्ता को लौटा देगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा १८ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १८ में—

(१) उपधारा (१) में जहां-जहां भी शब्द "नियत सीमाओं" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गयी सीमाओं" रख दिये जायं; और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) उप-धारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) यदि यह विवाद उत्पन्न हो कि भार अथवा परिमाण में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित सीमा से अधिक कमी या वृद्धि, सूखने या नमी सोख लेने के कारण है अथवा ऐसे अन्य कारणों से है जो गोदाम परिचालक के वश के बाहर थे तो वह विवाद लाइसेंस-प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा जो उस पर निर्णय देगा और उसका निर्णय अन्तिम व पक्षों पर बन्धनकारी होगा किन्तु यदि सम्बद्ध पक्ष लिखित रूप में अपना यह विचार प्रकट करें कि उक्त विवाद धारा २९ के अधीन नियुक्त मध्यस्थ मंडल को अभिदिष्ट किया जाय तो उस दशा में उसे इस प्रकार अभिदिष्ट किया जायगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा १९ का प्रतिस्थापन ।

१२—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"१९—प्रत्येक गोदाम-परिचालक ऐसी रीति से और ऐसी घटनाओं के लिये जो नियत की जायें, अपने गोदाम में जमा माल का बीमा करायेगा :

गोदाम के माल का बीमा

ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात गोदाम में जमा किये गये उस माल पर लागू न होगी जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ अथवा तत्समय प्रचलित किसी सेंट्रल ऐक्ट के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे जाने वाले वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का हो, यदि ऐसे वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने उक्त घटनाओं से उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति के लिए नियत रीति से निक्षेप्ता को प्रतिकर देना स्वीकार कर लिया है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा २१ का प्रतिस्थापन

१३—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"२१—(१) कोई भी गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में जमा करने के लिये प्राप्त माल से अपनी ओर से या किसी अन्य की ओर से जिसके अन्तर्गत माल का स्वामी भी है, न व्यापार करेगा और न उस पर रुपया उधार देगा, भले ही किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी हो ।

गोदाम में जमा माल से व्यापार करने व उस पर रुपया उधार देने पर निर्बन्धन

२—उपधारा (१) के उपबन्ध—

ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

(१) वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे जाने वाले किसी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन पर, सिवाय उस निर्बन्धन के जो उसके गोदाम में निक्षेप के लिए उसके द्वारा प्राप्त माल पर रुपया उधार देने के उसके अधिकार पर लागू हों; या

(२) किसी सहकारी समिति पर लागू न होंगे ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा २५ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (२) में शब्द "धारा २९ के अधीन मध्यस्थ मंडल में की गयी अपील के" के स्थान पर शब्द "धारा २९ में अभिदिष्ट शिकायत पर मध्यस्थ मंडल द्वारा दिये गये", रख दिये जायें ।

१५---मूल अधिनियम की धारा २७ में शब्द "अथवा आंशिक प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी" के स्थान पर शब्द "प्रतिभूति अथवा उसका कोई भाग लाइसेंस प्राधिकारी के विवेक से जब्त किया जा सकेगा" रख दिये जायें। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा २७ का संशोधन

१६---मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय:--- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ में धारा २७ के पश्चात् नयी धारा २७-क का बढ़ाया जाना

"२७-क---यदि तोलने वाले, नमूना बनाने वाले या वर्गकार को दिया गया लाइसेंस खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विकृत हो जाय अथवा अन्य रूप से अपठनीय हो जाय, तो लाइसेंस-प्राधिकारी, नियत रीति से और नियत शुल्क का भुगतान किये जाने पर, लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करेगा।

तौलने वाले आदि के लाइसेंस की दूसरी प्रति

१७---मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा २९ का प्रतिस्थापन

"२९--(१) लाइसेंस प्राधिकारी, धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन अभिदिष्ट किसी विवाद का या गोदाम में जमा माल के प्रकार, भार या श्रेणी अथवा रसीद में उसके विवरण के सम्बन्ध में किसी तोलने वाले, नमूना बनाने वाले, वर्गकार अथवा गोदाम परिचालक के विरुद्ध किसी शिकायत का निर्णय करने के लिये, नियत रीति से एक मध्यस्थ-मंडल का संघटन कर सकता है।

मध्यस्थ मंडल का निर्णय

(२) मध्यस्थ-मंडल ऐसे विवाद या शिकायत का निर्णय करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय।

(३) मध्यस्थ-मंडल का निर्णय अन्तिम तथा पक्षों पर बन्धनकारी होगा।"

१८---मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३० का प्रतिस्थापन

"३०---गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में प्रत्येक निक्षेप्ता द्वारा जमा किये गये माल के लिए नियत प्रपत्र में एक रसीद देगा जिसमें माल के पूरे विवरण दिये जायेंगे।"

रसीद

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ९ से १८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९-२१

१९---मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्न- लिखित रख दिया जाय:--- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३४ का संशोधन

"(१) लाइसेंस-प्राधिकारी की, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत न करने अथवा निलम्बित या रद्द करने अथवा किसी लाइसेंस के संबंध में जमा की गयी किसी प्रतिभूति को जब्त करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, जो सहकारी समितियों के सहायक निबन्धक के पद से नीचे के पद का न हो, और ऐसे समय के भीतर की जायगी जो नियत की जाय।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३४ का संशोधन

२०--मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) जो व्यक्ति--

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किये बिना गोदाम-परिचालक, तोलने वाले, नमूना बनाने वाले, या वर्गकार का कार्य करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का जान बूझ कर उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है,

उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ में धारा ३७ के पश्चात् नयी धारा ३७-के का बढ़ाया जाना ।

२१--मूल अधिनियम की धारा ३७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३७-क बढ़ा दी जाय:--

"३७-क--(१) इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

वादों तथा विधिक कार्यवाहियों पर रोक

(२) इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में हुई अथवा संभाव्य किसी क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १९, २० और २१ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ की धारा ३८ का संशोधन

२२--मूल अधिनियम की धारा ३८ में—

(१) उपधारा (२) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"(घघ) लाइसेंस शुल्क या प्रतिभूति लौटाने की प्रक्रिया," और

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई वाद या दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा अभिशून्यन (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ के उपखंड (३) की चतुर्थ 'क्ति में 'चौदह' के स्थान पर 'तीस' रख दिया जाय।

जैसी कि हमारे यहां की परिपाटी रही है, जितने भी विधेयक यहां आये हैं उनमें १४ दिन रखा गया है और कहीं कम से कम १४ दिन रखा गया लेकिन सेंट्रल के कानूनों में वह १ माह रखा गया है। देखा यह जाता है कि १४ या १५ दिन बड़ी आसानी से बीत जाते हैं और समय यों ही निकल जाता है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट अगर कोई नियम बनाये और उस नियम के ऊपर ध्यान आकर्षित किया जाय तो उनमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। अभी माननीय रक्षपालसिंह जी ने एक अमेंडमेंट पेश किया और बहुत से लोगों ने उस वक्त ध्यान दिया जब समय बीत चुका। मैं समझता हूं जैसा कि केंद्रीय सरकार का नियम है। और वहां जितने रूल्स हैं वे कम से कम ३० दिन तक रखे जाते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह नहीं है कि उसका एन्फोर्समेंट बन्द हो जायगा। यह इसलिये चाहते हैं कि अगर कोई खामी हो तो विधायक उसको सरकार के सामने रख दें और वह फिर दुरुस्त हो जाय। इसलिये मैं कह रहा हूं कि जो भी रूल बने वह सदन के सामने प्रस्तुत किये जायं। इसी ध्येय से यह रखा गया है। मैं समझता हूं केंद्रीय सरकार के जितने नियम हैं वह सब ३० दिन तक सदन में रखे जाते हैं तो बनारसीदास जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं यहां पर भी चाहता हूं कि अगर यहां भी ३० दिन कर दिये जायं तो ऐसी बात नहीं है। इससे कोई एन्फोर्समेंट में भी डिले होने का सवाल नहीं है। सिर्फ हम लोगों को सुविधा मिलने का सवाल है। १५ दिन का समय कम समय है और ३० दिन का समय हम लोगों को मिल जाता है तो इससे विधायकों को सहूलियत होगी। इसलिये मैंने यह रखा है कि केन्द्रीय पार्लियामेंट में भी यही परिपाटी चालू है तो यहां भी बनारसीदास जी को उसको रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इस तरह के जो नियम बनते हैं वह सब डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के सामने जाते हैं। वह खुद उनको देखती है। इसमें १४ दिन का समय है और जब १४ दिन तक सत्र चलता रहेगा तो कोई कारण नहीं है कि उसमें विचार करने का अवसर माननीय सदस्यों को न मिले। माननीय कमलासिंह जी अगर चाहेंगे तो उनको भी इन नियमों के ऊपर विचार करने का और संशोधन करने का अवसर मिलेगा। इस समय अगर कमलासिंह जी इसमें संशोधन करते हैं तो इससे देर बहुत होगी। इसलिये इसमें ३० दिन रखने का कोई प्रश्न नहीं है। सवाल सुविधा है वह उनको उस समय मिल ही जायगी। इसलिये मैं इस वक्त इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं इस समय के लिये नहीं कहता हूं। वह आगे के लिये बना दें ताकि आगे के लिये सुविधा हो जाय और नियम ३० दिन तक यहां पर रखे रहें तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। यह तो सुविधा की बात है और उसी के लिये यह कह रहा हूं। डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की बात कही। मैं उसका सदस्य हूं। ऐसी कमेटी केंद्रीय सरकार में भी बनी हुई है। मैं यह जानता हूं कि उसमें क्या खामी रह जाती है। पिछली दफा एक बिल में ऐसी ही खामी रह गई थी जिसकी वजह से सरकार को ५०,६० हजार रुपये का नुकसान हुआ है। मैं इसी समय इसको प्रेस नहीं करता। बनारसीदास जी इसको आगे के लिये कर दें और आगे के लिये यह सुविधा हो जाय तो मुझे एतराज नहीं है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला सिंह यादव]

मैं मानता हूं। इसके करने में कठिनाई इस समय हो सकती है कि इसको कौंसिल में भेजना पड़ेगा। इस वजह से आगे के लिये कर दें।

श्री बनारसीदास—

इस सम्बन्ध में आगे के लिये सब लोगों से मिलकर, डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की राय लेकर इस प्रकार का विचार किया जा सकता है कि इस अवधि को बढ़ा दिया जाय लेकिन जहां तक इस समय का सवाल है इसके लिये मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इसको वापस ले लें, तो अच्छा है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९ में नयी धारा ३९ एवं ४० का बढ़ाया जाना।

ऐक्ट संख्या १, १९४४ ऐक्ट संख्या ८, १८७८, ऐक्ट संख्या ८, १८९६।

२३—मूल अधिनियम की धारा ३८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें:—

अपवाद

"३९—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी ऐसे गोदाम पर लागू न होंगे जो सेंट्रल एक्साइजेज ऐंड साल्ट ऐक्ट, १९४४, सी कस्टम्स ऐक्ट, १८७८ या इनलैंड बान्डेड वेयरहाउसेज ऐक्ट, १८९६ और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस प्राप्त हों।

मुक्त करने का अधिकार

४०—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किसी उपबन्ध से मुक्त कर सकती है।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५९ को संशोधित करने का विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५९।

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआं।)

उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में कृषि की उन्नति के लिये अब तक जो कार्य हो रहे हैं उसमें पशुधन कितना आवश्यक है और उसकी कितनी महत्ता है इस पर विचार करना आवश्यक है। हमारे यहां अब तक जो गोशालायें और पिंजरापोल हैं उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। इन गोशालाओं और पिंजरापोलों में जो गायें और सांड़ रखे जाते हैं उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय होती है। उनमें प्रजनन तथा श्रमिक प्रयोगों के लिये क्षमता नहीं होती जिससे अच्छे किस्म की गायें और सांड़ प्रदेश के लिये उपलब्ध नहीं हो पाते। इन गोशालाओं की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है.....†

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामजीलाल सहायक, पीठासीन हुये।)

जिन लोगों ने और जिन धनियों ने इनकी स्थापना की है उनका उद्देश्य बहुत ऊंचा था कि जो पशु अपाहिज हैं और जिनकी देखरेख कोई नहीं कर सकता उनको इन स्थानों पर इकट्ठा करके रख दिया जाय और उनका पालन-पोषण वहां पर किया जाय। किन्तु कालान्तर में इनकी व्यवस्था और आर्थिक स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक हो गयी। ऐसी गोशालाओं की संख्या हमारे प्रदेश में लगभग १२५ है जो इस समय सक्रिय हैं। इनमें ५ हजार ५ सौ प्रोडक्टिव और ८ हजार अनप्रोडक्टिव एनीमेल्स हैं। यदि इन गोशालाओं का सुधार किया जाय

†१७ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

जैसा कि इस विधेयक के द्वारा करने का इरादा किया गया है तो अच्छे नस्ल की गायों और सांड़ों का पालन पोषण किया जा सकता है। आज हमारे प्रदेश में अच्छे नस्ल के बैलों की कमी है। उनमें भार-वाहन की क्षमता नहीं है। अच्छे नस्ल के सांड़ों की कमी है जिनमें प्रजनन शक्ति की कमी है। साथ ही हमारे प्रदेश और खासकर इन गोशालाओं में जो गायें हैं उनमें दूध देने की क्षमता नहीं है, उनका दूध देने का स्तर बहुत नीचा है और इसलिये अगर ननका सुचारु रूप से संचालन किया जाय और इनकी ठीक तरह से देखरेख की जाय तो ये गोशालायें हमारे प्रदेश के आर्थिक जीवन में बहुत कुछ काम कर सकती हैं।

अभी तक इन गोशालाओं की व्यवस्था चन्दे से, धर्मादे से या पुण्य खाते से होती रही है। अब कितना इस पैसे का सदुपयोग होता है यह विचारणीय विषय है। जहां तक अनुमान है लगभग १४ लाख रुपया इस चन्दे से प्राप्त होता है और यदि इन की व्यवस्था ठीक कर दी जाय तो लगभग ५० लाख रुपया सालाना इनसे आय हो सकती है और उन गोशालाओं की व्यवस्था भी ठीक की जा सकती है। लेकिन यह देखा गया है कि जो चन्दा लेने वाले व्यक्ति हैं वे पूरा धन उन गोशालाओं पर खर्च नहीं करते। इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता हुई कि उनकी स्थिति में सुधार हो। प्रस्तुत विधेयक इसी ध्येय से लाया गया है।

इस विधेयक के अनुसार प्रदेश भर की गोशालाओं का एक संघ होगा जिसका मुखिया एक निबंधक होगा, रजिस्ट्रार और राज्य की सब गोशालाओं को उस संघ का सदस्य होना पडेगा। यदि कोई गोशाला सदस्य बनने में असमर्थता जाहिर करेगी तो उसे वे आर्थिक सहायतायें नहीं मिलेंगी जिनका प्राविधान विधेयक में है। इसमें प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि कोई भी गोशाला अपने लिये अगर वह निबंधित नहीं है तो चन्दा नहीं इकट्ठा कर सकेगी। प्रत्येक गोशाला की प्रबन्ध समिति अपना बैलेंस शीट निबंधक के पास भेजेगी और गत वर्ष उसकी जो आय होगी उसका ५ प्रतिशत वह निबंधक को देगी। प्रत्येक गोशाला के आय और व्यय का आडिट होगा और उसकी रिपोर्ट बराबर निबंधक के पास जायगी। इस संघ का संगठन कैसे होगा इसकी व्यवस्था धारा ४ में है। उसमें दिया गया है कि प्रत्येक गोशाला जो इस संघ की सदस्य होगी अपने आय-व्यय का तीन साल का चिट्ठा तथा अपनी सम्पति का ब्योरा और जो ट्रस्टी हैं उनका ब्योरा निबंधक को देगी और फिर उसके आधार पर निबंधक उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। आगे चल कर आप देखेंगे कि जब यह संघ बन जायगा तो संघ के खर्च के लिये प्रत्येक गोशाला अपनी आय का ५ प्रतिशत संघ को देगी। इसके अतिरिक्त इन गोशालाओं का जो आय का प्राविधान है उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि जो चन्दा उस क्षेत्र में होता है वह सम्पूर्ण या जो धर्मादा होता है वह आधा उस क्षेत्र की गोशाला को दिया जायगा जिसमें वह ट्रेडर काम करता है। और जो गोशाला उस क्षेत्र में स्थापित है, धर्मादा जो वहां व्यापारी लोग इकट्ठा करते हैं उसमें से आधा उन गोशालाओं को दिया जायगा। इस तरह से गोशालाओं की आय का एक इन्तजाम बन जाता है। इसमें एक प्राविधान यह किया गया है कि जो व्यक्ति चन्दा या धर्मादा इकट्ठा करेगा उसको २० प्रतिशत तक वसूली व्यय लेने का अधिकार होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय इस आदरणीय सदन में कैबिनेट रैंक का कोई मिनिस्टर नहीं बैठा है, माननीय अध्यक्ष की रूलिंग भी हो चुकी है, इसलिये यह विधेयक पेश नहीं हो सकता।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

'Minister' includes 'Deputy Minister' also'.

श्री अधिष्ठाता—

डिप्टी मिनिस्टर भी मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं, इसी हैसियत से वह इसको पेश कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

परिषद् के सदस्य हैं, कैबिनेट रैंक के तो नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष की स्पष्ट रूलिंग हो चुकी है कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का होना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री में उपमंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सब सम्मिलित हैं। आप उन्हें बोलने दीजिये, वह बोल सकते हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो व्यापारी धर्मादा और पुण्यखाता, चन्दा इन गोशालाओं के लिये लेते हैं उनको भी अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा और उसका ब्योरा हर ६ महीने के अन्दर एक स्टेटमेंट के द्वारा निबन्धक को देना होगा। इस तरह से इन गोशालाओं के संचालन में एक आसानी हो जायगी और ये गोशालायें सुचारु रूप से चलने लगेंगी।

मैंने कुछ चीजें जो इस विधेयक में रखी गयी हैं उनका ब्योरा दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि सदन इस विधेयक पर विचार करेगा और इसे पारित करेगा।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे।

श्रीमन्, इस विधेयक पर कुछ कहने से पहले में माननीय मंत्री जी को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई दूंगा क्योंकि आपकी निगाह ऐसे जानवरों की ओर गयी जो कि बेजबान थे। श्रीमन्, गोवंश एक पवित्र वंश है और इससे जो लाभ किसानों को या हम लोगों को हैं उसको कहने की जरूरत नहीं है। गाय का हमको दूध मिलता है, बैलों को हम जोतते हैं और उनसे अनाज पैदा करते हैं, उनका गोबर तक खाद के काम में हम लाते हैं, तो ऐसे वंश की ओर अभी तक कोई देखभाल नहीं थी। हमें खुशी है कि इसी सदन ने गोवध बन्द किया और आज यह उनकी देख-रेख का दूसरा स्टेप लिया जा रहा है। जो लोग गोशाला या दान आदि के नाम पर धन इकट्ठा करके अपना व्यापार चलाते थे और अपना पेट भरते थे, इस विधेयक के द्वारा उन पर भी रोक लगायी गई है। इस बात की मुझे खुशी है और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

श्रीमन्, जब कृषि मंडी विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ था उस समय इस सम्बन्ध में सारी बातें यहां सदन में कही गई थीं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। गाय, बैल या सांड़ या गोवंश के जो जानवर हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं होती थी, उनकी देखभाल के लिये आज यह विधेयक लाया गया है, इसकी मुझे खुशी है। अभी तक उनकी ठीक देखभाल न होने के कारण वे भूखों मर जाते थे और उनकी खाल सूख जाती थी, अब उससे उनको हम बचा सकेंगे।

इस विधेयक में कमेटी वगैरह बनाने की भी बातें हैं, मगर फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो इस विधेयक में नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि उनका आना भी बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे आढ़तिये हैं जो सदियों से धर्मार्थ तथा दान आदि के नाम पर पैसा वसूल करते रहे हैं और उसकी रकम माननीय मंत्री जी ने तो १४ लाख के करीब बतायी, मेरा खयाल यह है कि वह करोड़ों में होगी। इस विधेयक के अन्दर आपने ऐसे लोगों से ३ साल का रकाट मांगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

है और उसी के लिये प्राविधान किया है । मैं समझता हूं कि अगर उसके पहले का भी मांग लिया जाय तो अच्छा रहेगा । इस विधेयक के अन्दर इस बात का भी अधिकार होना चाहिये कि अगर कोई ३ साल से पहले भी धर्मार्थ या दान आदि के नाम पर पैसा इकट्ठा करता रहा हो तो उसकी भी छानबीन हो सके । अगर किसी ने गलत एकाउन्ट दिया है तो उसकी चेकिंग का भी हमको अधिकार होना चाहिये । जितने मंडी वाले और आढ़तिये लोग हैं वे दो तरह का हिसाब यानी बही खाता रखते हैं । सेलटैं स या इनकम टैक्स के वक्त वे दूसरा बहीखाता दिखाते हैं, और अपने काम के लिये दूसरे रखते है । तो अगर किसी के पास पुराने एकाउन्ट का पता चल जाय । और अगर उसका एकाउन्ट वह न दे, चाहे वह आज का एकाउन्ट हो या पहले का हो, अगर उस व्यक्ति के पास रुपया हो तो वह उससे वसूल किया जाय, इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये । जो रकम किसान से लूट कर किसी आढ़तिये ने रखी है उसको किसी तरह से निकालने की कोशिश होनी चाहिये ।

जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है इसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी आदमी अगर गोशाला के लिये रुपया वसूल करेगा तो उस को उसका हिसाब देना होगा कि कौन से सोर्स से उसने वह वसूल किया । इसके द्वारा १२५ गोशालाओं के लिये इन्तजाम किया जा रहा है । यह वे गोशालायें हैं जिनका प्रबन्ध अच्छा है लेकिन उन गोशालाओं के प्रबन्ध को भी ठीक करने का बन्दोबस्त होना चाहिये जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है । जो ठीक काम कर रही हैं आप अगर उन्हीं को मदद करते हैं तो इसमें क्या बहादुरी की बात है । कृषि मन्त्री जी का उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा है । उनको अधिक से अधिक गोशालायें कायम करनी चाहिये । अतः नयी गोशालाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिये लेकिन इस विधेयक में प्रोत्साहन की कोई बात ही नहीं है । जो लोग अपने क्षेत्र में नयी गोशालायें स्थापित करना चहते हैं, उनके लिये भी इसमें कुछ होना चाहिये ।

इसके अलावा मंत्री जी ५ प्रतिशत की आमदनी से कटौती देना चाहते हैं । चौधरी साहब के पास कलेक्शन विभाग था इसलिये वे चाहते हैं कि कलेक्शन करने वाले को भी कुछ दिया जाय । अब यहां किसान अपना माल लेकर जाता है और आढ़तिया उससे कुछ रुपया जबरदस्ती दान के रूप में काट लेता है । अब यह सरकार उस जबरदस्ती काटे हुए रुपये में से भी २० प्रतिशत उस को दे देना चाहती है। अभी माननीय कृषि मन्त्री जी ने कृषि मंडी विधेयक भी पेश किया था उसमें मैंने एक संशोधन रखा था । उसके १६ वें क्लाज में आधा प्रतिशत देने की बात है लेकिन यहां पर मंत्री जी २० प्रतिशत रख रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह गैरमुनासिब है । मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिये । यह वह रुपया है जो किसान की असली आमदनी में से जबरदस्ती दान के रूप में ले लिया जाता है । जैसा कि फूलसिंह जी कहते हैं कि किसान मुश्किल से १०० रुपया के माल के ५० रुपया ही ले जाता है । तो उस जबरदस्त दान में भी २० प्रतिशत की छूट दे दें, मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब जैसे आदमी इस को स्वीकार करेंगे और यह २० प्रतिशत की खुली छूट होने देंगे । हमने देखा कि जब भूमि और भवन कर विधेयक आया तो टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड का सवाल आया था और उस सम्बन्ध में हमने सदन में सरकार को प्रेस किया था कि जो पैसा भूमि और भवन कर के रूप में आये उस का ५० प्रतिशत इन लोकल बाडीज को दिया जाय लेकिन सरकार उस पर राजी नहीं हुई और १५ प्रतिशत ही उन को दिया गया लेकिन गोशालाओं के नाम पर यह २० प्रतिशत दिया जा रहा है जब कि वहां पर बाडी कारपोरेट्स का सवाल था और उससे उन की मदद भी होती और उनकी स्थिति भी सुधर जाती । मैं अधिक न कह कर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वह इस पर विचार करें और यह न सोचें कि यह कौंसिल से पास हो चुका है इसलिये संशोधन को रिजेक्ट ही कर देना चाहिये ।

[श्री कमलासिंह यादव]

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां तक गोशालाओं का सम्बन्ध है इसमें सरकार ने जो ज्ञापन पत्र अन्त में लगाया है मैं समझता हूं कि उससे आप टेक्सेशन करने जा रहे हैं। सरकार का काम रोजगार करना नहीं है, धनोपार्जन का प्रश्न नहीं है। यहां ५ प्रतिशत की मांग की गई है कि गोशाला की आय में से सरकार प्रबन्धक कमेटी के लिये लेगी। एक ओर तो हम यह आशा करते थे कि गोशाला के नाम पर सरकार कुछ अपनी तरफ से सबसिडी या ग्रान्ट देती कि अगर किसी गोशाला की हालत खराब है तो उस को सुचारुरूप से चलाया जा सके और वह खत्म न होने पावे।

माननीय रक्षपालसिंह हमारे साथी कह रहे थे कि सरकार द्वारा देहरादून में गोशाला चलाई गई तो आरम्भ में वहां पर १२५ पशु थे लेकिन वहां का प्रबन्ध इतना सुन्दर हुआ कि सब मर गये केवल १५–१६ जानवर बचे। जैसी कि उनसे मुझे जानकारी हुई है अगर सरकार का यही रवैया है तो इस विधेयक को सदन में पास कराने की जरूरत नहीं है। आज तो जो गोशाला चल रही हैं उसमें अगर कोई खामी है या किसी की माली हालत खराब है तो उसकी सरकार द्वारा मदद होना चाहिये ताकि जानवरों की रक्षा हो सके, उनका रखरखाव और दवादारू ठीक से हो सके। दान के रूप में आसपास से और मंडियों से जैसा कि इस बिल में है मदद लेना चाहिये। अगर कोई पास में मंडी है और धर्मखाते में कोई पैसा आता है तो आधा रुपया गोशाला के लिये दिया जाय लेकिन अगर कोई ऐसा स्थान है जहां कोई ऐसी मद न बन सके, कोई सोर्स न हो कि गोशाला के लिये हमें मिल सके तो सरकार की तरफ़ से कोई इंतजाम होना चाहिये, या जो कमेटी बनायी जा रही है उस की तरफ से कुछ इंतजाम होना चाहिये। वह कमेटी चाहे सरकार से ग्रान्ट या लोन के रूप में रुपया ले लेकिन उन गोशालाओं को सुचारुरूप से चलाने के लिये प्रबन्ध करे। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरा प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव स्वीकार करेगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, विषय बहुत गम्भीर है, गाय माता का सवाल है, भारत की आन का सवाल है, भारत की सभ्यता का सवाल है। हम जानते हैं कि गाय माता का कितना आदर हम लोग कर रहे हैं, बाजारों में, गलियों में भूखी गायें मारी मारी फिरती हैं। इस समय जो कानून सरकार बना रही है उन गोशालाओं के लिये है जिनको सरकार ने मदद दी है, उनको इजाज़त दी है कि रुपया जमा करके गाय की सेवा करें। लेकिन क्या मंत्री जी ने १२५ गोशालाओं का निरीक्षण किया है? कभी देखा है कि गायों की वहां क्या हालत है। मेरा सुझाव है कि जो लोग गोशालाओं के प्रबन्धकर्ता हैं अगर वे उनको खाना (घास इत्यादि) पेट भर नहीं देते हैं तो उन पर जुर्माना ही नहीं बल्कि उनको कैद की सजा होनी चाहिये। क्योंकि सरकार उनको मदद दे रही है, शक्ति दे रही है कि कानून के अनुसार वहां गायों को रख सकते हैं।

दूसरा सुझाव यह है कि सरकार को यह देखना होगा कि किस गोशाला में कितनी गायों की परवरिश हुई और कितनी गायें वहां जिन्दा रहीं, कितनी वहां से बाहर गयीं। हम नहीं जानते कि उन गायों की क्या हालत है। शायद समय आयेगा कि जैसे हमारे हनुमान जी अमरीका भेजे जा रहे हैं वैसे ही गाय भी बाहर भेजी जाने लगेंगी। विदेशों से भ्रमण करने वाले यहां आते हैं, हमारी सभ्यता देखते हैं लेकिन जब वे गायों की हालत देखते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गलियों में गाय, बैल, बिना खाने के मारे मारे फिरते हैं। मंत्री जी ने कहा कि ५ हजार प्रोडक्टिव गायें गोशालाओं में हैं और ५ हजार ऐसी हैं जिनसे कोई फायदा गोशालाओं को नहीं पहुंचता है इसलिये वे उन्हें खाना नहीं खिलाते हैं, बहुत बुरी दशा में उनको रखते हैं। हमारे देश में १० करोड़ गायें हैं, १० हजार नहीं। तो हम उन गायों के लिये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं? क्या यही हमारी सभ्यता है कि उनको बुरी हालत में रहने दें।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने एक कदम ठीक रास्ते पर उठाया है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से बेगर्स (भीखमंगे) पकड़कर नियंत्रण में रखे जाते

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

हैं उसी तरह से गायें जो गलियों में घूमती हैं, बाजरों में घूमती हैं, हमारे सांड जो कि खेती का नुकसान करते हैं उनको भी पकड़-पकड़ कर गोशालाओं में रखें। सरकार को ऐसा कानून बनाना होगा और ऐसी गोशालाएं खोलनी होंगी जो अपने खर्चे पर चलें। मैं एक सुझाव और पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि बहुत सी गायें गोशालाओं से छूट कर जंगलों में चली जाती हैं होता यह है कि गोशाला वाले उन गायों को तो भर पेट चारा देते हैं जो दूध देती हैं और जो दूध वाली गायें नहीं हैं उन को छोड़ देते हैं। यह साधारण प्रश्न नहीं है। पर मुझे खुशी है कि सरकार ने इस तरफ एक कदम बढ़ाया है। मैंने काऊ-कल्ट पर एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है कि हमारे पूर्वजों की दृष्टि में गाय क्या थी और अब क्या है। उसमें दिखाया है कि बिना गाय के राजा लोग सिंहासन पर तक नहीं बैठ सकते थे। किंग महेन्द्र, नेपाल जिस रोज सिंहासन पर बैठे थे उस दिन लाल बैल का चमड़ा हवाई जहाज से पाकिस्तान से मंगवाया गया था, जो कि उनके सिंहासन के नीचे रखा गया था। गाय तो कई दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत उपयोगी जानवर है। इसकी रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है क्योंकि इसके बिना तो हमारी खेती नहीं चल सकती। आप हजारों ट्रैक्टर ले लें परन्तु जब तक हमारे पास बैल नहीं होंगे तब तक खेती नहीं हो सकती। और बैल भी तभी होंगे जब कि हमारी गायों की नस्लें अच्छी होंगी। गाय के बछड़ों के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। आज जबकि हम अपनी कृषि को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर बैलों और गायों की पूरी हिफाजत नहीं करेंगे, उनको मजबूत और हृष्ट-पुष्ट नहीं बनायेंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता है। जो सरकार ने इस ओर कदम उठाया है वह बिल्कुल ठीक है।

मैं तो निवेदन करूंगा कि गोशालाओं के ऐक्ट के पश्चात् गौरक्षा कानून बनायें जिसके द्वारा हम गायों की रक्षा कर सकेंगे और उनके खाने-पीने का भी प्रबन्ध करें। एक सवाल यह उठता है कि पहाड़ में छोटी-छोटी गायें क्यों हैं वे अच्छा दूध क्यों नहीं देतीं। उसका मूल कारण है कि हम उन्हें पूरी मात्रा में चारा, दाना, फोडर आदि नहीं दे सकते। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से भी हो गायों की रक्षा के लिये, कानून बनाये।

इस बिल में जो सजा रखी है कि एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है मेरी राय में यह बहुत कम है। मेरे विचार में तो इसके उल्लंघन करने वाले के लिए एक साल की कैद की सजा होनी चाहिये। आज जो हमारे यहां एडल्ट्रेशन हो रहा है उसका क्या कारण है। उसका कारण यह है कि उन्हें जुर्माने से छोड़ दिया जाता है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और गो-रक्षा के लिये जो भी संभव उपाय होंगे करेगी।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

इससे पहले कि मैं कुछ कहूं मैं एक पुरानी याद दिलाना चाहता हूं। कहा जाता है या तो धन नदी के किनारे या गाय के थन के नीचे होता है। बटे हिन्दुस्तान में पाकिस्तान भी हमारे साथ होता और उस दिन को मैं देखना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक हों। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को सदन के सामने रखा। लेकिन हमारे यहां गाय की हालत बदतर है और एक कुत्ते की हालत अच्छी है बनिस्बत गाय के। उसकी हालत दर्दनाक है और रोंगटे खड़े करने वाली है। मैंने बैठे-बैठे कुछ लाइन्स बनाई हैं उनको सुनाये देता हूं—

जब अपनी रक्षा करनी हो तो गौवों की रक्षा कौन करे ?
जब खुद ही चन्दा खाना है तो गौवों को भूसा कौन खिलाये ?
जब खुद ही मोटा होना है तो गौवों को मोटा कौन करे ?
वह अपने को समझते हैं गौवों की परवा कौन करे ?
खुद ही हलुवा खाना है तो गौवों को भूसा कौन खिलाये ?

यह चन्दा इस लिये जमा होता है कि खुद हड़प जायं लेकिन वे हमारे ही भाई हैं। गाय पर हमको दया नहीं आती और न हम उसकी रक्षा ही करते हैं। उसके चमड़े के जूते बना कर पहनते हैं लेकिन उसकी कद्र नहीं करते। कुत्ता पाला जाता है तो वह भी पैर पर गिर जाता है लेकिन इंसान इतना गिर गया कि अपनी तो क्या गाय की भी रक्षा नहीं कर सकता जब कि अंग्रेज उसका गोश्त खा कर उसकी कद्र करते हैं और हम उसका दूध पीकर उसकी कद्र नहीं करते।

मगर मच्छ के आंसू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिनको यह काम सुपुर्द किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये। वह घोसी मरे हुए बछड़े को सामने रख कर उसका सारा दूध निकाल लेता है उसको ऐसी सख्त सजा दी जाय कि उसके बाप दादा तक याद रखें। एम० एल० एज० जो कांआपरेटिव का दूध पीते हैं उसमें सेलखरी मिली होती है। उनके लिये एक डेरी फार्म खुलना चाहिये ताकि उनको अच्छा दूध और मक्खन मिल सके। जैसा आहार होगा वैसी ही भावना होगी और तभी हमारा देश असली मानी में स्वतंत्र होगा।

उत्तर प्रदेश गोशाला विधेयक, १९६३ के विषय में यह कहूंगा कि यहां पर केवल १२५ गोशालायें हैं जब कि होनी चाहिये थी १ करोड़ २५। सरकार मुर्गी पालन, सुअर पालन के लिये जोर देती है जब कि गोपालन के लिये जोर देना चाहिये और जब हम अंग्रेजों को मुलाजिम रखें गौवों के लिये और उनसे कह सकें कि अगर तुमने गाय को ठीक से नहीं रखा तो डण्डे लगाये जायंगे तभी काशीनाथ जी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किये थे वे बदल जायंगे।

सरकार ग्रान्ट देती है लेकिन जो उसकी हालत है वह अफसोसनाक है। चन्दा जो जमा किया जाता है वह गाय की देखभाल और उन्नति में कम खर्च किया जाता है और अपने ऊपर ज्यादा खर्च किया जाता है। गोशाला वाले गाय को गाय नहीं समझते हैं बल्कि अपने को गाय समझते हैं। यह मेरे मोटे मोटे सुझाव हैं। अब मैं खाद के ऊपर आता हूं अगर हम गाय की सेवा न करेंगे तो वह हमें क्या देगी? वेटरनरी हास्पीटल में मैं देखता हूं कि बुल्स बहुत अच्छे हैं और मेरे दिल में आता है कि यहां गाय भी रखी जानी चाहिये उनसे भी आमदनी हो सकती है। यह मेरा सुझाव है। मैं मन्त्री जी का इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि अन्य माननीय सदस्यों को भी समय मिले।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, गोशाला विधेयक सदन के सामने है। माननीय प्रेमसिंह जी ने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि सारा सदन उसको मंजूर करता है लेकिन माननीय मुकन्दीलाल जी की स्पीच से ऐसा मालूम होता था कि यह विधेयक गाय के ऊपर है। उनका सारा भाषण इसी पर निर्धारित था कि गाय का क्या महत्व है? मैं समझता हूं कि विधेयक में थोड़े सेंटीमेंट्स की बात जरूर है। जहां तक गाय की रक्षा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये इस सेंटीमेंट का विधेयक से कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो गोशालाओं के खर्च को रेगुलेट करने के लिए है।

इसके उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट है कि "यह महसूस किया जाता है कि संशोधनों को उचित रूप में काम में लाकर और उचित रूप से उनका उपयोग करके ये संस्थायें वैज्ञानिक रीति पशु प्रजनन की प्रोन्नति तथा जिन क्षेत्रों में वे स्थित हैं वहां दूध व दूध से बनी चीजों को स्थानीय मांग को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।" बिल का उद्देश्य है कि इन संस्थाओं में जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर किया जाय। गोशालाओं के प्रबन्धक धन का मिस्एप्रोप्रियेशन करते हैं, उसको रोका जाय। दूसरे यह कि दूध बढ़े। खाली गाय ही दूध नहीं देती हैं। मैं समझता हूं कि गाय की जितनी इम्पोर्टेंस पहले थी वह अब नहीं रही। धार्मिक पहलू को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरसेन]

छोड़ कर यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं समझता हूं कि गाय को उतना महत्व देने की जरूरत नहीं है । मैं समझता हूं कि भैंस जो गाय से ज्यादा दूध देती है उसको भी उतना ही महत्व देना चाहिये। लेकिन चूंकि यह बिल सिर्फ मुताल्लिक है गोशालाओं से और भैंसों का ताल्लुक इस वजह से नहीं आ सकता कि भैंसशाला तो कोई बने नहीं हैं, रेगुलराइज तो उन्हीं इंस्टीट्यूशन्स को करना है जो आलरेडी हैं या बनने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह बिल कुछ जरा इलकंसीव्ड है और लेजिस्लेशन के सिद्धान्त से भी कुछ उल्टा ही मालूम होता है।

दो चीजें मुझे खास मालूम होती हैं। एक तो यह कि जो संघ बन रहा है वह एक लूज आर्गेनाइजेशन होगा। उसका क्या फ़ंक्शन होगा वह इससे कुछ जाहिर होता नहीं । दूसरी बात एक यह भी है कि जो संघ बन रहा है यह कोई कारपोरेट बाडी तो बन नहीं रही है....

श्री कमलासिंह यादव---

डेफिनीशन में साफ दिया है कि रजिस्टर्ड होगी।

श्री वीरसेन---

आप जरा सुनें। जितने भी कारपोरेशन बनते हैं अगर उन्हें टैक्सेशन की कोई ताकत दी जाती है तो उसको स्पेशली मेन्शन किया जाता है। इस बिल में एक अजीब बात हो रही है कि एक ऐसी एजेन्सी जिसने अपने आप ही टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया और जो मुझे सबसे ज्यादा इसके बारे में एतराज है वह यह कि जो काम जबरदस्ती करते रहे हैं उस को हम इस बिल के द्वारा लीगलाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह धर्मादा दो ही जगहों पर वसूल होता है, एक तो आढ़ती लोग वसूल करते हैं और दूसरे सर्राफे में जो लोग जेवर लेने जाते हैं उनसे लिया जाता है। मेरी जानकारी इससे ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि कुछ और व्यापारी लोग भी इकट्ठा करते हों। तो यह वसूल करने का एक तरह से ऐक्सेप्टेड ला बन गया है जिसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है और इस बिल के जरिये से आप उसको लीगल सैंक्शन देने जा रहे हैं।

इसके अलावा एक खास बात और है। जब कभी पब्लिक की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको राइट होता है कि उसके हिसाब-किताब की जांच कर सके, लेकिन इस बिल में जो सेक्शन १३ है उसमें लिखा हुआ है कि--"But no inspection of such account books by any other person shall be allowed." यह कौन-सा सिद्धान्त है यह समझ में नहीं आया। अगर कोई टेक्सेशन होता है तो जो टैक्स देने वाला है उसको अधिकार है पूछने का कि किस तरह से खर्चा हुआ। पहले तो वह गलत काम करे, जबरदस्ती वसूल करे, फिर उसको लीगलाइज कर रहे हैं। उसके बाद तुर्रा है कि अगर उसके बारे में हिसाब-किताब मांगा तो सेक्शन १३ में रजिस्ट्रार को अधिकार दे दिया है, जिसने पैसा दिया उसको कोई हक नहीं है। यह लेजिस्लेशन के सिद्धान्तों के बिलकुल खिलाफ है। मैं मौलिक बात यह कहना चाहता हूं कि मैं इस सिद्धान्त के ही खिलाफ हूं कि इस तरह से जो नाजायज तरीके से रियलाइजेशन हो धर्मादा के नाम पर, वह किसी तरह से अलाऊ नहीं करना चाहिए जो लीगल बाडीज हैं जो जनरल वेलफेयर का काम करती हैं उन्हीं को अधिकार देना चाहिए, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हैं, कारपोरेशंस हैं। किसी भी ऐसी अथारिटी को जिसका काम जनरल वेलफेयर नहीं है जिनका पर्टिकुलर वेलफेयर से ताल्लुक है उन इंस्टीट्युशंस को इस तरह का वसूल करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। यहां इंस्टीट्युशन्स का सवाल नहीं है, इंडिविडुअल्स को अधिकार दिया जा रहा है कि अपनी तरफ से वसूल कीजिये, जबरदस्ती वसूल कीजिये, आपको लीगल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसके मैं खिलाफ हूं। अगर इंडिविडुअल्स गोशालायें रखना चाहें तो आर्गेनाइज करने के लिए कंट्रीब्युशन इकट्ठा करें।

तीसरी बात यह है कि इस ऐक्ट में जो इल्लीगल कलेक्शन्स हैं उनमें वसूल करने का २० फीसदी तक उनको मिलेगा, कलेक्शन चार्जेज के रूप में। जो उनके पास सौदा ले कर आता है, वह काट लेते हैं, क्या खर्च करते हैं? उन्होंने जितनी मर्जी आयी लिख लिया। क्या जरूरत है इस तरह का प्राविजन करने की? एक तो इल्लीगल कलेक्शन, और उस पर फिर इल्लीगल मंजूरी, कि इसमें से कलेक्शन चार्जेज भी काट लीजिये। मैं समझता हूं कि यह लेजिस्लेशन के प्रिंसिपिल के बिलकुल खिलाफ है।

एक बात और है। आपने प्राविजन कर दिया है रजिस्ट्रेशन का। एक नया आमदनी का जरिया खोल दिया। कोई भी आदमी दरख्वास्त दे देगा, धर्मादा के नाम पर रुपया इकट्ठा करके फिर बाट लेगा क्योंकि २० फीसदी उसको मिलना ही है। एक तरीके से व्यापारियों के लिए आमदनी का एक नया जरिया खोल दिया है। यह बिल्कुल गलत है।

अगर हिसाब-किताब न दे तो उसके लिए एक हजार का पनिशमेंट लिखा हुआ है। हजारों रुपया डकार जाइये, हिसाब मत दीजिये, अगर कनविक्शन होगा तो एक हजार दे दीजिये। यह बलकुल जरूरी है कि जो पब्लिक प्रापर्टी है उसका नाजायज इस्तेमाल न हो, उसके लिये एक साल की सजा तो रख ही दी जाय। इसमें तरमीम होनी चाहिये। सेक्शन ८ में शायद है कि अगर इन्क्वायरी हो तो उसमें एक नोटिस सर्व किया जायगा। और वह ट्रस्टीज पर और डाइरेक्टर आफ एनीमल हस्बेंडरी पर नोटिस तामील करेगा। यह भी अजीब बात है इसलिये कि वह डाइरेक्टर आफ एनीमल हस्बेंडरी के आफिस का ही एक आदमी होगा और वही अपने सुपीरियर आफिसर पर नोटिस तामील करे। तो यह बिल मैं समझता हूं कि भला जरूर है लेकिन इसके कोई सिर पैर नहीं है और सब कुछ इसमें घपले में है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसे दूर करने के लिये जरूरी है कि इस पर ठंडे दिल से विचार किया जाय और इसके लिये अच्छा होगा कि माननीय कमलासिंह जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक पेश है उस पर किसी प्रकार का एतराज करने से पहले मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से और उनकी सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस समाज की जो सड़ी हुई हालत है और जिस तरह से इस सरकार के कर्णधार कार्य कर रहे हैं और उसमें अधिक सड़ावट पैदा कर रहे हैं उसे दृष्टि में रख कर ही यह विधेयक बनाया गया है। बजाय इसके कि इस सवाल पर मौलिक तरीके से विचार करके एक बिल लाया जाता, वही समाज की मान्यतायें बरसों से चली आरही हैं उन के ही आधार पर यह बिल लाया गया है।

मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक से जो गोशालाओं की स्थिति और पशुधन की स्थिति इस प्रदेश में है उसमें कोई रद्दोबदल होने वाली नहीं है। कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन उनमें होगा इसका आभास मुझे नहीं मिलता। अगर सचमुच में सरकार ने इस समस्या पर मौलिक रूप से विचार किया होता तो इन दोनों विधेयकों को अलग अलग लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर यहां के पशुधन को सुधारना है तो वह और गोशाला का सवाल कोई अलग अलग सवाल नहीं थे। लेकिन इस दृष्टि दोष की शिकार हमारी सरकार भी है और मंत्री जी भी हैं। तो इस सरकार से, मंत्री जी से यह उम्मीद करना कि इसके कारण प्रदेश की स्थिति में कुछ सुधार होगा, कुछ परिवर्तन स्थिति में आयेगा, इसकी मुझे आशा नहीं है। लेकिन, अपनी जो जिम्मेदारी है इस सदन का सदस्य होने के नाते उसका निर्वाह करने में खड़ा हुआ हूं। मुझे पूरी आशा है कि बिना इस सरकार को अपदस्थ किये इस समय कोई भला काम नहीं हो सकता। और मैं इसको सही समझता हूं क्योंकि जो सरकार एक ही मुद्दे पर इतनी त्रस्त हो गयी हो और एकही सवाल पर दो विधेयक ले आये, उसके लिये क्या कहा जा सकता है। आप अगर इसे पढ़ें, तो मालूम होगा कि सांड़ दागने के लिये यह विधेयक लाया गया है और दूसरा जो १२५ गोशालायें चल रही हैं उनके लिये लाया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

आपके ५२, ५४ जिले हैं। उनमें सही प्रकार से अगर काम हो तो दोनों काम वहां किये जा सकते हैं और एक विधेयक में यह दोनों बातें पूरी की जा सकती हैं। जसा मुकुन्दीलाल जी न कहा, हमारे यहां जानवरों की हालत बहुत खराब है। नीलगाय फसलों को तमाम चौपट कर डालती है। जो गायें दूध देना बंद कर देती हैं वे गांवों में यूं ही फिरती रहती हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं करता। बनारस में मैंन दखा ह। वहां मणिकर्णिका घाट पर मैं एक दिन शाम को दृश्य देख रहा था। मणिकर्णिका घाट पर जहां पर २४ घंट मुर्दे जला करते हैं उस घाट पर एक गाय मुर्दे के आधे जले हुए मांस को खा रही थी। आज आपकी गायों की हालत क्या है। ऐसी गाय दिन रात घूमती फिरती करती हैं। वह इतनी भूखी होती है कि जिनको मैंने मणि कर्णिका घाट पर मुर्दे के मांस को खाते हुये देखा है। वे गाय सड़ी गली होती हैं और बेलगाम घूमा करती हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम खेतों में ऐसी गाय जो फालतू हैं, बेलगाम हैं, और सड़ी गली हैं, घूम कर नुकसान पहुंचाया करती है। उनके लिये आप इस विधेयक में क्या इन्तजाम करने जा रहे हैं? इस पशुधन विधेयक में और इस गोशाला विधेयक में उनके लिये क्या इन्तजाम किया गया है। अगर आप इन गायों की नस्ल को ठीक करना चाहते हैं और पशुधन को ठीक करना चाहते हैं तो गोशाला विधेयक के अन्दर आप इस बात की व्यवस्था करते कि जितने सड़े, बेलगाम, फालतू और बिना मालिक के जानवर घूमा करते हैं उनको एक स्थान पर इकट्ठा करके, एक स्थान पर रखा जाय। जो बुद्धि के तर्क से यह सोचते हैं तो उनके लिये यह जरूरी है कि उनके लिये कोई व्यवस्था की जाय। जो पशु बेकार हैं, जो समाज के लिये भ्रष्ट हैं उनको आप कृपया जहर दे सकते हैं या उनको मार दिया जाय जैसा कि अंग्रेजों के देशों में होता है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस सभ्यता और संस्कृति में हम पले हैं उसके प्रति हमारा अनुराग है। उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है और हमारा हृदय इस बात के लिये गवाही नहीं देता है। जहां हम यह देखते हैं कि मंत्रियों के आवास पर सुख सुविधा के लिये, उनके ऐशोआराम के लिये हजारों और लाखों रुपया खर्च किया जाता है वहां पर क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह अपने यहां पुरानी गाय, फालतू जानवरों के लिये, बूढ़ी गायों के लिये जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती है, जो ऐसे जानवर हैं कि खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके ऊपर कुछ रुपया खर्च किया जाय? उनको रखा जाय और उनको खाने के लिये खूराक दी जाय और उनको मारा या काटा न जाय क्योंकि यह हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गोशाला विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है। जो विधेयक बनाया जा रहा है उसके अन्दर सरकार अपने मतलब की बात रख रही है। कोई मौलिक सुधार की बात नहीं रखी गई है जिससे इस पशुधन का सुधार होता।

मैं चाहता हूं उस गोशाला विधेयक के आप दो हिस्से करें। एक हिस्से में उन गायों को रखा जाय जो सड़ी गली हैं, फालतू हैं, बूढ़ी हो गई हैं, जो दूध देने के लायक नहीं हैं और उसके दूसरे हिस्से में उनको रखा जाय जो दूध देने वाली हैं। जिनकी नस्ल अच्छी है और जिनसे हम अपने यहां गायों की नस्ल को सुधार सकते हैं। इस तरह से मैं चाहता हूं कि अगर इसको दो हिस्सों में कर दिया जाय तो कुछ प्रदेश का भला हो सकता है और पशुधन कभी सुधार हो सकता है। जो पशुधन हमारे यहां फालतू हैं और प्रदेशों में खेतों को नुकसान पहुंचा है उसके लिये सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिये। परन्तु इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज यहां पर अच्छी नस्ल की गाय हैं, अच्छा दूध देने वाली गाय हैं उनका इन्तजाम दूसरी तरह से हो और जो रोगी फालतू घूमा करती हैं उनका सदन अलग बनाया जाय।

मैं यह समझता हूं कि जो सुझाव कमलासिंह जी दे रहे हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय यह उचित सुझाव है और इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिये। अगर यह प्रवर समिति में जायगा तो वहां पर पशुधन विधेयक और गोशाला विधेयक दोनों पर विचार

किया जायगा और दोनों को एक जगह करने की चेष्टा की जा सकती है। सरकार जो पशुधन की उन्नति करना चाहती है उससे वह काम हो सकता है। जो बात आप पशुधन विधेयक में लाना चाहते हैं वह और जो गोशाला विधेयक में लाना चाहते हैं वह सब विचार करके एक विधेयक के अन्दर आ सकती हैं और इन सारी चीजों का समावेश उसके अन्दर हो सकता है और तभी जाकर कोई मौलिक परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन इस पशुधन की उन्नति की दिशा में हो सकता ह। जिस देश में १८ करोड़ से अधिक दूध देने वाले जानवर रहते हों और उस देश के प्रति निवासी को १ औंस से भी कम दूध मिलता हो तो यह खेद की बात है। जर्मनी, स्वेडन और डेनमार्क में दूध देने वाले पशुओं की संख्या बहुत कम है लेकिन फिर भी वहां पर १ पौंड से अधिक दूध एक आदमी को पड़ता है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में सड़ी-गली मान्यताओं को छोड़ना चाहते हैं, पुरानी मान्यताओं का शिकार नहीं होना चाहते हैं, इस विधेयक के द्वारा पशुधन का सुधार करना चाहते हैं और वस्तुस्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस बात पर सोचना होगा कि पशुधन विधेयक को और गोशाला विधेयक को एक साथ रख कर विचार करना होगा जिससे फालतू और बेकार जानवर जो प्रदेश का नुकसान करते हैं उनके लिए कुछ इन्तजाम किया जा सके और जो अच्छी नस्ल के जानवर हैं उनको पालें पोसें तब जाकर स्थिति में सुधार हो सकता है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व वक्ता काशीनाथ जी ने कहा कि यह सड़ा गला विधेयक है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने विधेयक के लिये सड़ा-गला नहीं कहा, आपकी सरकार के सोचने के तरीके के लिये कहा है और समाज के दकियानूसी विचारों के लिये सड़ा-गला कहा है।

श्री बृजबिहारी—

उनकी बातों को समझने में मैं असमर्थ रहा हूं। केवल इतना ही अर्थ मैं ग्रहण कर सका हूं कि वे चाहते हैं कि दूसरा जो पशुधन विधेयक है और यह विधेयक दोनों को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ठीक है अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या खराबी है हमें यह देखना चाहिये। इसमें कोई खराबी है तो उसको बतलावें। माननीय कमला सिंह जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, उनके इस विचार को तो हम समझ सकत हैं, लेकिन काशीनाथ जी ने जो भाषण दिया है उसको समझने में तो मेरी बुद्धि असमर्थ रही है।

एक सदस्य—

आपके पड़ोसी हैं।

श्री बृजबिहारी—

ठीक है। पड़ोसी ही नहीं, मेरे तो रिश्तेदार भी हैं, लेकिन उनकी बात मैं समझने में असमर्थ रहा हूं। हर बातों में उनको सड़ागलापन ही नजर आता है, उनके विचार ऐसे हैं कि उसके लिये तो हम विवश हैं कि हम उनको ठीक नहीं कर सकते हैं, किन्तु जो विधेयक प्रस्तुत है उस पर हमें अपना विचार प्रकट करना चाहिये।

इस विधेयक के लिये माननीय कृषि मंत्री, श्री चरणसिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे गोशालाओं की क्या दशा है, यह किसी से छिपा नहीं है। इस सदन के सम्मानित सदस्य जानते हैं कि इनका प्रबन्ध किस प्रकार से हो रहा है? इन गोशालाओं के लिये जो धन चन्दे के रूप में आता है उसे किस तरह से प्राप्त किया जाता है, यह भी हम सब जानते हैं। आप स्टेशनों पर चले जाइये, बसों पर चले जाइये, रास्तों पर चलिये, आप देखेंगे कि एक व्यक्ति

[श्री बृजबिहारी]

डिब्बा लिये हुये किसी गोशाला के लिये पैसा मांग रहा है। उन पैसों का क्या उपयोग होता है, सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, इसका कुछ पता नहीं। माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि ये सड़ी-गली गोशालायें हैं। चाहे जो भी हों, लेकिन वे बहुत बुरी दशा में हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। उनका सुधार करना हमारा कर्त्तव्य है। अगर हम इन गोशालाओं को इसी प्रकार रहने दें तो बजाय लाभ के दिन प्रति दिन महान हानि होती जायगी। इसीलिये यह विधेयक लाया गया है।

इसमें दो दृष्टिकोण हैं। एक तो इनका प्रबन्ध ठिकाने से हो और दूसरे इनके हिसाब-किताब का निरीक्षण होता रहे। तीसरी बात यह भी है कि उनकी व्यवस्था पर नियंत्रण हो। हमने इस विधेयक में ऐसे बहुत से नियम रखे हैं जिनके द्वारा हमने पशुधन अधिकारी को यह अधिकार दिया है कि वह उनके हिसाब-किताब की जांच कर सकें। जो भी चाहता है इन गोशालाओं को चलाता है, उनका कोई हिसाब-किताब नहीं है, कोई उसका खाता नहीं लिखता, जो चाहता है और जैसे चाहता है उसके धन का दुरुपयोग करता है।

इस विधेयक में हमने अधिकार दिया है कि जिले के पशुधन अधिकारी को, वह जाकर उनका निरीक्षण कर सकेंगे इसके लिये हम एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर रहे हैं। उनका एक संघ बनाने जा रहे हैं इसमें हमने चुनाव की पद्धति भी रखी है। गोशालायें अपने प्रतिनिधि चुनकर संघ में भेजेंगी और वे ही सब मिलकर उनका प्रबंध करेंगे।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे बहुत से विभाग हैं और बहुत से अधिकारी हैं। उन्हीं में से किसी को यह अधिकार इनकी देखरेख का मिल जाना चाहिये। इसके लिये अलग से विभाग नहीं खुलना चाहिये। उससे नौकरशाही की संख्या बढ़ेगी हो। और यह उचित नहीं होगा। एक बात पर वीरसेन जी ने आपत्ति की जिससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि भैंसों की भी देख रेख की व्यवस्था इसमें रखी जानी चाहिये। नाम गोशाला और भैंस उसमें कहां से आ जायंगी? अगर आवश्यकता हुई तो हम उसके लिये दूसरा विधेयक लायेंगे। उनके दूसरे सुझाव से मैं सहमत हूं कि इसमें जेल की सजा की व्यवस्था होनी चाहिये। यह ठीक है कि इसमें १,००० रुपये तक जुर्माने की सजा रखी गयी है, लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने और ज्यादा रुपये की गड़बड़ी की हो। अतः इसमें सजा जेल की ही होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि इसमें नयी गोशालायें खोलने का प्राविधान नहीं किया गया है। हमारा विधेयक तो मौजूदा १२५ गोलाशायें हैं, उनके लिये है, उनके प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिये ही है।

श्री कमलसिंह यादव—

एक प्वाइंट आफ क्लैरिफिकेशन है। पशुपालन विभाग में जो ट्रीटमेंट होता था उस पर फीस लगने के बाद वह प्रायः बिलकुल बंद हो गया है। कहीं ऐसा तो न होगा कि इस विधेयक के कारण ये गोशालायें ही समाप्त हो जायं?

श्री बृजबिहारी—

मैं समझता हूं कि यह आशंका ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जो गोशालायें हैं वह बड़ी बुरी हालत में हैं और उनमें पशुओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कई गोशालाओं की व्यवस्था को मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनकी व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए हम यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं और उद्देश्य में यही है कि एग्जिस्टिंग गोशालाओं की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिये यह विधेयक है। उद्देश्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कमलासिंह जी और सब माननीय सदस्य इसे पढ़ लिये होंगे। यदि कुछ खराबी रह जायगी तो नोटिस में ला सकते हैं और वह सुधारी जा सकती है।

श्री कमलासिंह यादव—

टिंक्चर लगाने के लिए भी १० नया पैसा देना पड़ता है, तो ट्रीटमेंट बन्द हो गया। तो अगर बन्द कर देना है तो कहीं गोशाला भी बन्द न हो जाय, इसीलिये मुझे भ्रम है।

श्री बृजबिहारी—

पैसे के सम्बन्ध में जो आपत्ति माननीय कमलासिंह जी की है इसके जुरिस्डिक्शन में वह बात आती नहीं है, उसके लिए अलग प्रस्ताव कर सकते हैं कि पैसा न लिया जाय। यदि १० पैसा पशु के मालिक से लिया जाता है और रोग दूर हो जाता है तो उसे ज्यादा नहीं कह सकता। काफी खर्चा बढ़ गया है। यह ठीक है कि वह 'नामिनल' होना चाहिये और अगर गड़बड़ी है तो आप कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, वह उस पर विचार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मिश्र जी, आप अभी और बोलेंगे ?

श्री बृजबिहारी—

जी हां, अभी तो और कुछ कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

तो कृपया आप सोमवार को बोलेंगे।

अब हम उठते हैं और सोमवार दिनांक १० फरवरी, १९६४ को साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १० फरवरी, १९६४ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
७ फरवरी, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९१ पर)

उन गांवों की सूची जहां दैवी आपत्तियों के कारण तकावी माफ की गई, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़

१—हरैया
२—हरी रामपुर
३—अमुवारी नरायनपुर
४—जोक हरा
५—मसुरियापुर
६—नैनीजोर
७—रौनापार
८—भीलमपुर
९—भुवनपुर
१०—हरखपुरा
११—महुला
१२—बरजा
१३—नूरुद्दीनपुर
१४—एकवन डांड़
१५—दे० इसमाइल
१६—चकराम नगर
१७—छिछोरा
१८—खालिसपुर
१९—तेंन्दुवा
२०—केशोपुर महमूदपट्टी
२१—बगही डांड़
२२—रामपुर मुबारकपट्टी
२३—लाड़ो
२४—बिजंरवा
२५—सादीपट्टी
२६—मैगापुर
२७—बलिया कल्यानपुर
२८—भावारायपुर
२९—अमरौलादेह
३०—कुकुरौछी
३१—सोनौरा
३२—हाजीपुर
३३—पटना
३४—दे० कदीम
३५—जे० जदीद
३६—सहबदियासुलतानपुर
३७—रुपयनपुर
३८—भटनी
३९—बामनपुर
४०—लेडूपार
४१—गढ़कौशिक
४२—ससनाविश्वनाथपुर
४३—नेवादा
४४—गढ़ चौबे
४५—रोहुवार
४६—रहायकपुर
४७—हैदराबाद
४८—आ० दे० करखिया
४९—सिगन्धोपुर
५०—आ० दे० नैनजोर
५१—ओढ़रासलेमपुर
५२—भदौरा खास
५३—बघावर
५४—बाका
५५—त्रिपुरारपुर खालसा
५६—चन्द्रहा
५७—खोरू जोत
५८—काजी जोत
५९—गंगापुर
६०—सैदपुर
६१—बढ़िया चक
६२—गुलरिहा
६३—चराकटघरा
६४—इब्राहीमपुर
६५—देवाराखास राजा
६६—चक्की हाजीपुर
६७—दे० गरीब दुबे
६८—रामसरन दुबे
६९—करताराम दुबे
७०—रोशन गंज
७१—बेरमा
७२—टोलीपुर
७३—उलमापुर
७४—रामपुर
७५—हर्रासिंघपुर
७६—भदौरा ता० नैनजोर

७७—भदौरा मकरन्द
७८—सुरदापार
७९—मुखलिस पट्टी
८०—अजमरामशरकी
८१—सीतापुर
८२—पैकौली
८३—बेलडांड़
८४—रुद्रपुर
८५—महाजीसिंघपारा
८६—उरदिहा
८७—कुड़ही
८८—सोंवान
८९—अजगरामगरवा
९०—शाहडीह
९१—मसुरियापुर
९२—भावारामपुर बंकापट्टी
९३—जिगनाकामनपुर
९४—तोहफापुर
९५—हरीरामपुर
९६—भवनपुर
९७—बरजी
९८—बशीरपुर
९९—कपसा
१००—गोसाइंपुर
१०१—वेदरा
१०२—जैगहा
१०३—पटवधकौतुक
१०४—देवरादमोदरपुर
१०५—हिरनई गुल्लीगढ़
१०६—भावापुर पट्टा बंकराय
१०७—बनकट
१०८—सादी पट्टी
१०९—तेन्दुवा
११०—छींही
१११—गुलउर
११२—अशरफपुर
११३—लंगड़पुर
११४—कोहंडी बुजुर्ग
११५—मल्लूपुर
११६—दे० हरखपुरा
११७—बूढ़न पट्टी
११८—आ० अजगरामगरवी
११९—आ० अजगरा मशरकी
१२०—मानिकपुर उनयनपट्टी
१२१—गांगेपुर
१२२—तुलापुर
१२३—साहेराभार मु० काखभार
१२४— „ बरडीहा
१२५—दे० महुला
१२६—मुहम्मदपुर
१२७—बाहपुर
१२८—मिश्रपुर
१२९—बनकटिया
१३०—बरामदपुर
१३१—रामपुर देवारा
१३२—बेलकुण्डा
१३३—दलपतपुर
१३४—डिघबनियाकाजी
१३५—लखमारोहुवार
१३६—जीवनपुर
१३७—बनियापार
१३८—पहाड़पुर
१३९—पांडेपार
१४०—सेठाकोली
१४१—परेवारूद्रपुर
१४२—पोखरा
१४३—बरडीहा
१४४—दाभर्महुला
१४५—सहसपुर
१४६—काखभार
१४७—बैजावारी
१४८—बेदपुर
१४९—हसनपुर
१५०—रसलपुर
१५१—मक्खापुर
१५२—अतलीपुर
१५३—मनिकाडीह
१५४—सकतरोहुवार
१५५—बोपनपुर
१५६—भागीपुर
१५७—जमुवारी
१५८—खेता
१५९—बातन
१६०—करमैनी
१६१—मक्खापुर
१६२—चांदपार
१६३—परसोतमपुर
१६४—जमुवाहरीराम
१६५—बरडीहा
१६६—परसिया

१६७—रैचन्द पट्टी
१६८—भदौरा
१६९—जमीन हरखोरी
१७०—अठनारू
१७१—बरजी
१७२—चांदपट्टी
१७३—तुरकौली
१७४—अजमतगढ़
१७५—कन्धरापुर
१७६—लाटघाट
१७७—मैसाद
१७८—गनी चक
१७९—बालापुर
१८०—पिहार
१८१—कल्यानपुर
१८२—महरौला
१८३—जियामही माफी
१८४—तवक्कलपुर
१८५—आ० अतानगर
१८६—देवारा श्रीनगर
१८७—गोपाल
१८८—करखियारुस्तम सराय
१८९—देवारा अचाल सिंह
१९०—उसरी
१९१—कहिया
१९२—शिवपुर
१९३—जिवधारीकछघरा
१९४—गुलाम रसूल
१९५—बसन्तपुर

अखिलेश यादव

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर)

(क) आवर्तक अनुदान —

वर्ष	राजकीय अनुदान	बचत	टिप्पणी
	रु०	रु०	
१९५८–५९	१०,६२,४८०	१,३०,४६६	इन वर्षों की बचत के आंकड़ों में परिषद् के अंशदान से हुई बचत भी सम्मिलित है । यह बचत परिषद् ने स्कूल भवनों की मरम्मत आदि पर व्यय की ।
१९५९–६०	११,३४,८२७	८८,४६८	
१९६०–६१	१२,२५,८६३	१,५९,७३७	
१९६१–६२	१५,५७,७०४	४४,९९९	इन वर्षों की बचत का रुपया प्रशिक्षित अध्यापकों की ५ रु० प्रतिमास की वेतनवृद्धि के हेतु तथा क्राफ्ट कक्षाओं के हेतु दिये गये राजकीय अनुदानों का है । परिषद् ने इसमें से लगभग १८,००० रु० प्राइमरी स्कूलों के लिए अनुपूरक पुस्तकें एवं पत्रिकायें क्रय करने पर व्यय कर लिया है । शेष धन परिषद् के ही पास है ।
१९६२–६३	१६,०७,४४७	४१,८७४	

(ख) अनावर्तक अनुदान —

वर्ष	राजकीय अनुदान	अभुक्त अवशेष	टिप्पणी
	रु०	रु०	
१९५८–५९	८०,६००	२२,०००	ब्लाकों को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।
१९५९–६०	३३,४२५	९,५००	५,५०० रु० ब्लाकों को हस्तान्तरित कर दिया गया है । शेष भूमि अर्जित करने के लिए परिषद् के पास है ।
१९६०–६१	१५,४४०	१०,०००	ब्लाकों को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।
१९६१–६२	२२,७९३	२,६००	परिषद् ने उपयोग अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की है ।
१९६२–६३	२८,५२५	२८,५२५	परिषद् के पास शेष है, जिसकी उपयोग अवधि बढ़ाने की प्रार्थना परिषद् ने की है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९८ पर)

(१) जनरल साइन्स अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता—

हाई स्कूल साइन्स विषय के साथ और जे० टी० सी० की प्रशिक्षण योग्यता।

(२) आर्ट (कला) अध्यापक—

हाई स्कूल परीक्षा ड्राइंग विषय के साथ तथा आर्ट और क्राफ्ट का रिफ्रेशर कोर्स या जे० टी० सी० की प्रशिक्षण योग्यता।

अथवा

हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, बाम्बे।

(३) संस्कृत अध्यापक—

पूर्ण मध्यमा

अथवा

हाई स्कूल संस्कृत विषय के साथ तथा जे० टी० सी०।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४११ पर)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर ।

महोदय जी,

सेवा में निवेदन यह है कि प्रार्थी मौजा इमलिहा का निवासी है। प्रार्थी के ग्राम में चक-बन्दी हो रही है। श्री ए० सी० ओ० साहब महोदय हल्का १३ गांट पैमाइश करने व मलकियत लगाने मेरे गांव गये थे। श्री ए० सी० ओ० साहब ने मेरा बाग नहीं लिखा। मैंने प्रार्थना की कि मेरा बाग कई वर्षों का है उसको लिख दीजियेगा। तब ए० सी० ओ० महोदय ने मुझे घर पर बुलाया। कल जब मैं घर पर गया तो उन्होंने ४० रु० मांगे। प्रार्थी से आज शाम का वायदा है अतः प्रार्थी प्रार्थना-पत्र द्वारा आशावान है कि मेरे नोटों के नम्बर नोट करके रिश्वत पकड़वाने का कष्ट किया जावे। अति कृपा होगी।

प्रार्थी,
सिरदार, मौजा इमलिहा,
तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर।
निशानी अंगूठा सिरदार।
२५-९-६३

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१८ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र १९६४ के पहले शुक्रवार की बैठक के लिये निर्धारित श्री नाथूराम शिक्षक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९ में उल्लिखित ग्राम उमरपुर नीवां, परगना चायल, जिला इलाहाबाद के काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि ।

सेवा में,

श्रीमान् संचालक चकबंदी, लखनऊ ।

श्रीमान जी,

सेवा में निवेदन है कि हम ग्राम उमरपुर नीवां के काश्तकारों को इस चकबंदी से महान कष्ट उठाना पड़ रहा है । जिसकी वजह से न तो हम लोग ठीक समय से जोत बो पा रहे हैं, न तो किसी एक निश्चय पर पहुंच पा रहे हैं । कारण दो बार पटवारी व कानूनगो वगैरह आये और नाम किया दोनों बार एक दूसरे से भिन्न-भिन्न नापें हुयीं, अभी तक हम लोग किसी एक नाप पर काबिज न हो सके । पहली नाप तो करीब सभी को ठीक नहीं थी । उससे हम लोग जब शिकायत की तो ए०सी०ओ० साहब ने खुद आकर कहा कि अच्छा हम फिर से नाप कराये देते हैं मगर उन्होंने नाप तब दुबारा करवाई जब हम सब लोग खेत पूरे जोत बो चुके इसके बाद भी जब हम दूसरी नाप पर सहमत हुये तो ए० सी० ओ० साहब ने कहा पर्ची आखिरी ले लीजिये । हम लोगों ने कहा कि यह जो दूसरी नाप हुई है इसको पर्ची पर भी ठीक कर दीजिये तो उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता । इसके लिये तो आप लोग रिवीजन की दरख्वास्त दीजिये तभी हो सकता है, एक बार जो हो गया सो हो गया अब हम कुछ न करेंगे । इसके अतिरिक्त इन चकबंदी में जो गड़बड़ी की गई है वो निम्न प्रकार है, जिस पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है और आप स्वतः आकर मौके पर देख कर समझ सकेंगे कि निम्न प्रकार की शिकायतें कितनी सत्य हैं जो कि न होनी चाहिये :--

(१) सबसे पहले तो यह जमीन चकबंदी के लायक ही नहीं थी क्योंकि यहां पर नाला व कटावदार जमीनें ज्यादा हैं, कारण गंगा नदी का बिलकुल नजदीक का दक्षिणी किनारा है जो कुछ थोड़ी-सी समतल जमीन बची भी है ज्यादातर अमरूद के बाग है जो कि सारे भारत में व विदेश में भी मशहूर है । भनक्करपुर, इलाहाबाद का अमरूद यहीं के मशहूर हैं ।

(२) पहले तो यही ए० सी० ओ० साहब कहते थे कि दरअसल वह जमीन चकबंदी के लायक नहीं है लेकिन कुछ दो चार लोगों के प्रभाव में आकर या किसी अन्य कारण से चकबंदी की परन्तु कुछ लोगों की पूरी जमीन चकबंदी में ले ली चाहे वह नीची-ऊंची या नालेदार ही क्यों न रही हो । कुछ लोगों के चकबंदी लायक जमीन होते हुये भी उसे चकबंदी से अलग कर दिया जो कि घोर अन्याय है ।

(३) प्रभावी लोगों की जमीन का मूल्यांकन तो ज्यादा किया और उसी तरह की दूसरे की जमीन बल्कि उससे भी अच्छी जमीन का मूल्यांकन कम किया यह भी अन्याय ही है ।

(४) चौथे जो चकबंदी का असली मकसद है कि काश्तकारों के बिखरे हुए खेतों को एक साथ कर दिया जाय जिससे कि काश्तकारों को सुविधा हो वह भी पूरा नहीं किया गया । सिर्फ चार या पांच आदमियों को छोड़ कर कि जिनके साथ पक्षपात किसी कारणवश किया गया, शेष करीब करीब ज्यादातर लोगों के तीन या चार स्थान पर खेत चकबंदी होने पर भी बने ही रह गये । यहां इस तरह से चकबंदी की मखौल उड़ायी गई है तथा काश्तकारों के धन का अपव्यय किया गया ।

(५) यह सारा कार्य जो कुछ भी किया गया मालूम होता है कि इस गांव के सर्वे की सारी कार्यवाही कार्यालय एवं घरों में बैठकर के एवं अपने कार्यालय में ही नक्शे वगैरह और पटवारी के

कागजात देख कर किया गया है, मौके पर जमीन की पहले सर्वे वगैरह नहीं की गई । अगर पहले सब काश्तकारों की सब जमीन जो चकबंदी में ली गई और नाप की जाती तो दूसरी पर्ची जो दी गई थी उसमें सही नाप आ जाती और उनसे कहा जाता है कि आप इतनी पर्ची में नाप दे रहे हैं उतनी जमीन पर भी नाप दीजिये तो कहते हैं कि आप लोगों के खेत पहले से ही नाप में कम थे अब कहां से दें अब तो जितना आपका नाप में खेत है उतना ही मिलेगा, इस पर भी लाचार होकर हम लोगों ने कहा कि अच्छा आप हम लोगों को जितनी जमीन नाप कर दे रहे हैं उसे पर्ची में भी लिखिये क्योंकि सही नाप तो अब हो जाय तो कहते हैं कि यह भी नहीं होगा इस तरह से सभी सरकारी अभिलेख अशुद्ध बने हुये हैं और जनता के धन का अपव्यय किया जा रहा है ।

६—एक सार्वजनिक रास्ता जो कि पैदल चलने वालों के लिये सुलेमसराय बाजार व पास के अन्य ग्रामों के लोगों को गंगा जी के घाट तक जाने की थी जिस पर प्रातः गंगा स्नान करने वाले व मुरदा ले जाने वालों के लिये हमेशा से थी उसे एकदम चकबंदी में ले लिया और हम लोगों के चक के अन्दर नाप दिया और कहते हैं उसे बन्द कर दो उसे बन्द कर देने पर लोगों को घोर असुविधा होगी, साथ एक नया झगड़ा हो गया कारण उस रास्ते के बन्द हो जाने पर मुर्दे ले जाने के लिये काफी घूमकर गांव के बीच से होकर एक बड़ी मस्जिद के सामने होकर जाना पड़ेगा और मुर्दों के साथ कभी-कभी बाजे वगैरह भी रहते हैं अगर कहीं नमाज के समय कोई मिट्टी निकली तो झगड़ा खड़ा हो जायेगा अतएव यह पुराना मार्ग ही रहना चाहिये जिससे हम दोनों सम्प्रदायों के बीच में सद्भावना बनी रहे और कोई झगड़ा खड़ा न हो ।

७—इस विषय को जिले के अधिकारियों के समक्ष रक्खा गया परन्तु किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया अतः श्रीमान जी को कष्ट देना पड़ रहा है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों की श्रीमान् जी स्वयं जांच करें और इस बात पर आपसे करबद्ध प्रार्थना हैं कि हम काश्तकारों के इन उचित कष्टों को दूर किया जाय तथा साथ ही इस तरह की गड़बड़ी क्यों की गई इसकी भी जांच करके सम्बन्धित अधिकारी पर उचित कार्यवाही की जाय जिससे भविष्य में फिर लोग इस तरह की अनियमितता न कर सकें ।

प्रार्थी गणः—काश्तकार उमरपुर, नीवां, त० चायल, जिला इलाहाबाद ।

ह० रामवदन पांडेय १०-९-६३

ह०—अंगूठा निशान—शीतला प्रसाद मिश्र, राम सूरत यादव, सैयद मोहम्मद फारूकी इत्यादि ग्रामवासी गण ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२२ पर)

क्रम-संख्या	कर्मचारियों के नाम		पद	स्थानान्तरण आदेश जारी होने का दिनांक	चार्ज छोड़ने का दिनांक
१	२		३	४	५
१	श्री राम शंकर यादव	..	कन्सालिडेटर	९-४-६३	३०-४-६३
२	श्री बी० डी० श्रीवास्तव	..	ए०सी० ग्रो०	१५-४-६३	१५-४-६३
३	श्री जफर हुसेन	..	कन्सालिडेटर	४-५-६३	३१-५-६३
४	श्री पूरन सिंह	..	,,	४-५-६३	५-५-६३
५	श्री कामता प्रसाद	..	,,	१६-४-६३	११-५-६३
६	श्री मलखान सिंह	..	,,	४-५-६३	५-५-६३
७	श्री राम रतन लाल		,,	१०-५-६३	३१-५-६३
८	श्री घनश्याम किशोर	..	ट्रेसर	१०-५-६३	११-५-६३
९	श्री श्याम बाबू	..	ए० सी० ग्रो०	३१-५-६३	३०-६-६३
१०	श्री रमेश बाबू	..	कन्सालिडेटर	३१-५-६३	१२-७-६३
११	श्री अख्तर अली	..	ए०सी०ग्रो०	३१-५-६३	१६-८-६३
१२	श्री राम प्रसाद वर्मा	..	कन्सालिडेटर	३१-५-६३	१६-८-६३
१३	श्री बी० एल० सिंगल	..	ए०सी०ग्रो०	३१-५-६३	३१-५-६३
१४	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	..	कन्सालिडेटर	३१-५-६३	३१-५-६३
१५	श्री काशी प्रसाद गुप्ता	..	ए०सी०ग्रो०	२७-५-६३	२७-५-६३
१६	श्री गुर नरायन	..	कन्सालिडेटर	२७-५-६३	२७-५-६३
१७	श्री राम अधार	..	,,	१-६-६३	१-६-६३
१८	श्री रघुवंशी	..	,,	२१-५-६३	२१-५-६३
१९	श्री मसीउद्दीन	..	,,	११-६-६३	११-६-६३
२०	श्री राम सहाय	..	,,	१-६-६३	१-६-६३
२१	श्री नाथू राम	..	,,	२९-५-६३	२९-५-६३
२२	श्री छोटे लाल दीक्षित	..	,,	२१-६-६३	२१-५-६३
२३	श्री राम शंकर	..	,,	११-६-६३	३०-६-६३
२४	श्री शिव राम शुक्ल	..	,,	११-६-६३	३०-६-६३
२५	श्री यशवन्त सिंह	..	,,	२८-६-६३	३०-६-६३
२६	श्री राम प्रसाद	..	,,	२८-६-६३	३०-६-६३
२७	श्री राम भरोसे	..	,,	१-७-६३	१-७-६३
२८	श्री राम बहोरे	..	,,	२८-६-६३	५-७-६३

टिप्पणी:—उपरोक्त सची से विदित होगा कि कुछ दशाओं में चकबंदी कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के पश्चात् चार्ज छोड़ने में कुछ अधिक समय लगा इसका मूलतः कारण वहां पर बहुत-सा काम इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप सरकारी कार्य हेतु उनका समय पर कार्यभार से मुक्त न किया जाना था ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर)

तहसील फर्रुखाबाद

(अहैतुक सहायता)

नाम ग्राम	व्यक्तियों की संख्या	नकद धन	धन जो जिन्स के रूप में दिया गया	व्यक्तियों की संख्या
१	२	३	४	५
सुन्दरपुर	३५	१७८.००	७८.८६	९०
नगला दुरग	१५	८७.००	..	..
कछवा गाढ़ा ..	१०	५०.००	..	..
भावन	३३	१९५.००	..	..
सीढ़ेचकरपुर	६२	४८५.००	..	..
तिलियाना	२०	१२०.००	..	..
कुम्होली	१२	५३.००	३२.८७	३४
दरौरा	२०	५५.००	..	..
केछहा	२३	१२१.००	..	..
कदुआपुर	१	५.००	..	..
खुदागंज	१	५.००	..	..
मुरादपुर	२	१०.००	..	..
गौटिया	..	..	१००.००	२६
उदैपुर	..	..	..	२५
सवलपुर	..	..	..	३०
रामपुर जोगराजपुर ..	..	..	..	२८
अम्मरपुर	..	..	५०.००	३७
चित्रकौट	..	..	..	९
गौटिया पुर्वि ..	..	..	..	९
बनकापुर	४	४०.००	..	..
राजैपुर राठौरी ..	१२	१२०.००	..	..
भवानीपुर	१	१०.००	..	..
महमदगंज	२	२०.००	..	..
महमदपुर गढ़िया ..	१	१०.००	..	..
कंचनपुर व उदयपुर ..	१६	८५.००	..	.
गदनपुर तुर्रा ..	५	२५.००	..	..

(डिस्ट्रेस तकावी)

नाम ग्राम	व्यक्तियों की संख्या	नकद धन	धन जो जिन्स के रूप में दिया गया	व्यक्तियों की संख्या
१	२	३	४	५
कुकमालपुर	३६	५४०.००	..	..
म्होरी	४५	६७५.००	..	..
तलियानी	४८	७२०.००	..	..
भावन	६१	२८१०.००	..	..
बैचेपटा	१५	५९५.००	..	..
गोटिया	१८	८४०.००	..	..
सीढ़ेचकरपुर	३७	१६४०.००	..	..
अम्मरपुर	११	३८०.००	..	..
उदयपुर कंचनपुर ..	५९	१४७५.००	..	..
मोहमदगंज ..	१०	२५०.००	..	..
मोहम्मदपुर गढ़िया ..	९	२२५.००	..	..
अमीराबाद बामियारी ..	८	२००.००	..	..
रामपुर जोगराजपुर ..	२६	६५०.००	..	..

तहसील कायमगंज

५०० रु० की आवश्यक वस्तुयें निम्नलिखित ग्रामों तथा व्यक्तियों में वितरित की गईं :

ग्राम	व्यक्तियों की संख्या
रायपुर मजरा रायपुर-चिनघटपुर ..	१९
तलफीं नगला	८
टिटरिया नगला ..	१५
दुर्दमई	५६
वाहिमपुर	५०
सिसैया नगला	५४
नगला मजरा हुसेनपुर कायस्थ ..	१८
नुरारा	१४
ग्रासपुर	१०
रसूलपुर कायस्थ ..	२२
नजरपुर गुटिया ..	३९
अकबरपुर	३६
इकलहरा	१२
रायपुर चिनघटपुर ..	२४
नसरूल्लापुर	७
वाजिदपुर	४८
विरिया डांडा	१८
गंगलई मगरिब ..	१५
हरीसिंहपुर तराई ..	६२
कुंवाखेड़ा खास ..	१००
कुंवाखेड़ा बाजार आलम खां ..	४५
दौशपुर	२८

८,००० रु० ३८८ व्यक्तियों को निम्नलिखित ग्रामों में डिस्ट्रेस तकावी के रूप में दिया गया:—

ऊधौपुर ।	बहबलपुर
न्यामतपुर भकसी	पटी मदारी
तुस्तानगंज खरेटा	ग्रासपुर अकबरपुर
उरमठरी ..	वाहिमपुर नियामतपुर
बांसखेड़ा	नूरपुर गढ़िया
गुटेटीं दरौरा	रायपुर चिनघटपुर
जेटपुरा	अतरैयापर
नगलादास	बरमपुर
फरीदपुर मंगलीपुर	बिलहा
अजीजाबाद	सिकन्दरपुर तिसुइया
वाजिदपुर	
सैदपुर ।	

तहसील छिबरामऊ

८७ रु० की आवश्यक वस्तुयें दैनिक प्रयोग की निम्नलिखित ग्रामों में वितरित की गईं:—

ग्राम	व्यक्तियों की संख्या
सिंगपुर मजरा तमियामऊ ..	५७
नगला भंवरसा व नगला महुआ मजरा खुवरियापुर ..	१२५
नगला टीका मजरा करनौली ..	३०

डिस्ट्रेस तकावी

ग्राम	व्यक्तियों की संख्या	धन
		रु० न०पै०
बेहटा खास ..	१२	१२०.००
जाफराबाद ..	६४	७४०.००
फूलनपुर ..	२७	६५५.००
सहराई ..	१६	७७०.००
कुसका ..	२०	८१५.००
कायमपुर ..	१३	३१०.००
खरौला ..	७	६५.००
मेरापुर ..	७५	६७०.००
रधीरपुर ..	१०	१६५.००
पन्थरा ..	२३	२६०.००
रायपुर ..	६	११०.००
कुंवरपुर बनवारी ..	६	७५.००
खुबरियापुर ..	१५	१८५.००
झुसी नगर ..	२२	३१५.००
चियासर ..	५	७५.००
इंदुइयागंगा ..	५३	५२०.००
अतरौली ..	५६	५६०.००
भैंसियापुर ..	३२	३२०.००
आलमपुर ..	१२	१२०.००
रौरा ..	१४	१४०.००
तमियामऊ ..	४१	४५०.००

तहसील कन्नौज—

३४५ रु० अहैतुक सहायता नगदी के रूप में ग्राम गुगरापुर बांगर के १६ व्यक्तियों में बांटा गया है।

डिस्ट्रेस तकावी

ग्राम	व्यक्तियों की संख्या	धन जो दिया गया
		रु० न०पै०
सौंसरापुर	१२	३७०.००
वलीदादपुर	४६	३५८५.००
तेरारागी	२३	१७६०.००
गुगरापुर बांगर	६	४६०.००
कूपरपुर कटरा	१०	६१०.००
सलेमपुर रमऊ	६	५४०.००
पट्टी मटेना	६	३७५.००

परिशिष्ट 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर)

मुकदमों की सूची

चकबन्दी अधिकारी बिन्दकी

क्र० सं०	धारा	ग्राम का नाम	पक्षों के नाम		
१	१० (१)	जिगनी	जाहिद हुसेन	बनाम	सरकार
२	,,	हूसेपुर	क्षत्रपाल सिंह	,,	महावीर सिंह
३	,,	हजरतपुर	रामअौतार	,,	श्रीधर
४	,,	मदनपुर	सतनिया	,,	सरकार
५	,,	चकपता	बसंता	,,	ग्राम समाज
६	,,	गगौली	रामेश्वर	,,	सरकार
७	,,	उदूपुर	शोभा सिंह	,,	ग्राम समाज
८	,,	मुसाफा	बेनीमाधो	,,	ग्राम समाज
९	,,	जरौली	रामचरन	,,	ग्राम समाज
१०	,,	बहरौली	जगदीश प्रताप सिंह	,,	ग्राम समाज
११	,,	,,	छेदू सिंह	,,	राम रतन
१२	,,	,,	जयकरन सिंह	,,	छोटा सिंह
१३	,,	,,	मङ्गू	,,	ग्राम समाज
१४	,,	,,	रणधीर सिंह	,,	जगमोहन सिंह
१५	,,	,,	विक्रम सिंह	,,	जगमोहन सिंह
१६	,,	सेलावन	कुंज बिहारी	,,	ग्राम समाज
१७	,,	अकबरपुर	अब्दुल रहमान	,,	ग्राम समाज
१८	२०	जरौली	मुईन उल्लाह	,,	सरकार
१९	,,	,,	राजा सिंह	,,	सरकार
२०	,,	लखनाखेड़ा	श्याम नारायण	,,	सरकार
२१	१२ ब	बागबादशाही	शिवदरशन लाल	,,	हरशरन लाल
२२	,,	कश्मीरीपुर	सरकार	,,	पचुना

चकबन्दी अधिकारी रावतपुर

१	१०(१)	मायारामखेड़ा	प्रहलाद	,,	प्यारे
२	२०	पधारा	वृन्दावन सिंह	,,	सरकार

सहायक चकबन्दी अधिकारी देवमई

१	९(२)	मैसोली	रामलाल	,,	सुखलाल
२	,,	,,	नवाब खां	,,	मुहम्मद
३	,,	,,	सहाय	,,	बंशी
४	,,	,,	लक्ष्मी नारायण	,,	सरकार
५	,,	,,	जयदेव	,,	सरकार
६	,,	,,	दोस्त मुहम्मद	,,	सरकार

क्र० सं०	धारा	ग्राम का नाम	पक्षों के नाम	
७	९(२)	मैंसोली	मुन्नू	सरकार
८	,,	,,	बिहारी लाल	सरकार
९	,,	,,	शम्भूदयाल	सरकार
१०	,,	,,	शम्भूदयाल	सरकार
११	,,	,,	रामग्रधीन	सरकार
१२	,,	,,	मोहन	सरकार
१३	,,	,,	खातून	सरकार
१४	,,	,,	प्यारेलाल	सरकार
१५	,,	,,	रामकृष्ण	सरकार
१६	,,	,,	रामकृष्ण	सरकार
१७	,,	,,	जवहिस	भदइया
१८	९(१)	,,	किशोर	सरकार
१९	,,	,,	अब्दुल गफ्फार	सरकार
२०	,,	,,	जेठू आदि	सरकार
२१	,,	,,	सूरजदीन	सरकार
२२	९(२)	मुरारपुर	वृजलाल	ग्रामसमाज
२३	,,	सुजावलपुर	रामकुमार	शिवनन्दन लाल
२४	,,	,,	भगतनारायण	,,
२५	,,	,,	सुघर सिंह	,,
२६	,,	,,	शेष आदि	,,
२७	,,	,,	राम शंकर	सरकार
२८	,,	,,	भरोसा	सरकार
२९	,,	,,	कुलदीप	सरकार
३०	,,	,,	मेवालाल	सरकार
३१	,,	,,	सीताराम	सरकार
३२	,,	,,	जगन्नाथ	महादेव
३३	,,	,,	शिवनन्दन	महादेव

योग ५७

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २१---२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

ग्राम का नाम	सन १९६० ई०			१९६१ ई०			
	सन् १९६० के पूर्व कटी हुई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्ष के दौरान में कटी हुई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्ष के दौरान में नदी के बाहर आई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्ष के अन्त में कटी पाई गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्ष के दौरान में कटी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्ष के दौरान में नदी से बाहर आई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्ष के अन्त में कटी पाई गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	२	३	४	५	६	७	८
१---राम चन्दीपुर	५२.६६	३.००	..	५५.६६	..	..	५५.६६
२---रामपुर	१३९.४१	..	..	१३९.४१	..	..	१३९.४१
३---गोबरहा	११७.६२	..	..	११७.६२	..	..	११७.६२
४---मोकलपुर	१८.६२	..	..	१८.६२	..	..	१८.६२
५---कैथी	१२९.८४	०.०८		१२९.९२	३६.४९ १/२		१६६.४११/२

१९६२ ई०

	वर्ष के दौरान में कटी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्ष के दौरान में नदी से बाहर आई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्ष के अन्त में कटी पाई गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	६०	..	५६.२६
२	..	७.५४	१३१.८७
३	..	९.००	१०८.६२
४	६.००	६.००	१८.६२
५	६९.३९ १/२	..	२३५.८१

प्रश्न संख्या २२ के उत्तर में उल्लिखित सूची (ख)

		मालगुजारी में दी गई छूट					
		सन् १९६० ई०		सन् १९६१ ई०		सन् १९६२ ई०	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
१	२	३	४	५	६	७	८
		रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	रामचन्दीपुर ..	२३८.२७	२३८.२६	२३८.२७	२३८.२६	३४८.७८	२४२.५३
२	रामपुर ..	५०२.४०	५०२.४०	५०२.४०	५०२.४०	५९९.२५	५०३.५१
३	गोबरहा ..	२२०.३२	२२०.३२	२२०.३२	२२०.३२	३२७.४८	२१६.६५
४	मोकलपुर ..	१२१.०८	१२१.०८	१२१.१४	१२१.१४	१६९.९१	८८.०१
५	कैथी ..	२४०.३१	२४०.३१	५२१.८४	५२१.८४	८९५.५७	६२८.६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

सूचना

कौड़ी राम निरीक्षण गृह के गोदाम, जिस में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सीमेन्ट रखी गई थी श्री राधेश्याम ओवरसियर के चार्ज में था चूंकि ओवरसियरों को बाहर कार्यों के निरीक्षण हेतु प्रायः जाना पड़ता है, अतः श्री राधेश्याम ओवरसियर ने इस गोदाम की चाभी श्री सीताराम मिस्त्री को दे दी थी ताकि इन्डेन्ट के अनुसार वह ठेकेदारों से रसीद लेकर उन को सीमेन्ट दे दिया करें। गोदामों का निरीक्षण सहायक अभियन्ताओं तथा ओवरसियरों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। ३ मार्च, ६३ को जब श्री राधेश्याम द्वारा कौड़ीराम गोदाम का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि उस में २४६ बोरी सीमेन्ट में से कुल १२१ बोरी सीमेन्ट रह गई है तथा १२५ बोरी सीमेन्ट गायब थी। ओवरसियर ने तुरन्त ही इस घटना की रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को तथा थाने पर की। जांच पर श्री सीताराम मिस्त्री को दोषी पाया गया। श्री सीताराम मिस्त्री ने ४५ बोरी सीमेन्ट बिना ओवरसियर की आज्ञा के एक ठेकेदार को दे दी थी जिसकी रसीद उसने बाद में लाकर दी। इस प्रकार ८० बोरी सीमेन्ट, जिस का मूल्य ५९२ रुपये होता है, की हानि हुई, वह धनराशि सीताराम मिस्त्री के वेतन से वसूल कर ली गई है। श्री सीताराम मिस्त्री ने अपना त्याग-पत्र दे दिया और वह अब विभाग में नहीं हैं।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर)

उत्तर प्रदेश में एच० टी० सी० संस्थाओं की सूची

जिले का नाम	सरकारी		गैर-सरकारी	
	बालकों के लिए	बालिकाओं के लिए	बालकों के लिए	बालिकाओं के लिए
१	२	३	४	५
१—देहरादून ..	२	..	..	..
२—मेरठ ..	४	१	..	
३—बुलन्दशहर ..	२	१	..	..
४—मुजफ्फरनगर ..	३	..	..	
५—सहारनपुर ..	२	१	..	..
६—अलीगढ़ ..	२	..	..	..
७—मथुरा ..	३	१	..	१
८—मैनपुरी ..	२	..	..	..
९—एटा ..	२	..	..	..
१०—आगरा ..	२	१	..	..
११—बिजनौर ..	२	१	..	..
१२—मुरादाबाद ..	२	..	..	..
१३—बरेली ..	२	१	..	१
१४—बदायूं ..	१	१	..	..
१५—पीलीभीत ..	२	..	..	..
१६—शाहजहांपुर ..	२	..	..	..
१७—रामपुर ..	१	..	..	..
१८—नैनीताल ..	३	..	..	..
१९—पौड़ी-गढ़वाल ..	२	..	..	..
२०—टेहरी-गढ़वाल ..	१	..	..	..
२१—अल्मोड़ा ..	१	१	..	.
२२—चमोली ..	१	..	..	..
२३—पिथौरागढ़ ..	१	..	..	..
२४—उत्तर काशी ..	२	..	..	..
२५—फर्रुखाबाद ..	२	..	..	..
२६—इटावा ..	२	१	..	..
२७—कानपुर ..	२	१	..	१
२८—फतेहपुर ..	२	..	..	..
२९—बांदा ..	२	१	..	..
३०—हमीरपुर ..	२	..	..	..
३१—जालौन ..	२	..	..	..
३२—इलाहाबाद ..	२	१	..	१

जिले का नाम	सरकारी		गैर-सरकारी	
	बालकों के लिए	बालिकाओं के लिए	बालकों के लिए	बालिकाओं के लिए
१	२	३	४	५
३३—झांसी	..	२	..	..	..
३४—वाराणसी	..	३	१	१	..
३५—मिर्जापुर	..	२	..	..	..
३६—जौनपुर	..	२	..	..	..
३७—गाजीपुर	..	१	१	..	..
३८—बलिया	..	२	१	..	..
३९—रायबरेली	..	२	..	..	..
४०—सीतापुर	..	२	१	..	..
४१—हरदोई	..	२	..	..	..
४२—खीरी	..	२	..	..	..
४३—उन्नाव	..	२	१	..	..
४४—सुल्तानपुर	..	२	..	..	..
४५—बाराबंकी	..	३	..	..	..
४६—लखनऊ	..	१	..	..	..
४७—प्रतापगढ़	..	१	१	..	..
४८—देवरिया	..	२	..	..	..
४९—बस्ती	..	२	१	..	..
५०—आजमगढ़	..	२	..	..	..
५१—बहराइच	..	२	..	..	..
५२—गोंडा	..	२	..	..	..
५३—गोरखपुर	..	२	१	..	..
५४—फैजाबाद	..	१	१	..	.

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३०–३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

क्र०सं०	कर्मचारियों का विवरण	मुअत्तली की अवधि	मुअत्तल किये गये कर्मचारी के स्थान पर नये कर्मचारी की नियुक्ति हुई या नहीं	नये कर्मचारियों को दिया गया वेतन
१	२	३	४	५
				रु० न०पै०
१	कलेक्शन चपरासी ..	१–३–५५ से ३०–४–५५	हुई	४१.२५
२	कलेक्शन चपरासी ..	६–५–५५ से १–८–५५ ..	नहीं हुई	..
३	कलेक्शन चपरासी ..	२६–७–५५–२०–१२–५५	हुई (दो व्यक्ति)	१०८.१८
४	कलेक्शन अमीन ..	३१–७–५५–से१४–१०–५६	हुई	६६.२७
५	कलेक्शन चपरासी ..	२६–८–५६ से २६–१०–५६	हुई	१७२.००
६	कलेक्शन अमीन ..	१७–१०–५६से७–१२–५६	दो व्यक्तियों को नियुक्ति हुई	१०५.४४
७	कलेक्शन अमीन ..	२३–६–५७से२–११–५७	हुई	२१८.४१
८	कलेक्शन अमीन ..	२७–११–५७से३१–१२–५७	हुई	१०३.१४
९	कलेक्शन अमीन ..	२–८–५८से३१–३–५९	हुई	८८८.००
१०	कलेक्शन अमीन ..	२–८–५८से११–१२–५८	हुई	२९६.१३
११	कलेक्शन चपरासी ..	१४–८–५८–से८–२–५९	हुई	७३.६३
१२	सहायक वासिल बाकी नवीस	२८–११–५८से३१–३–५९	हुई	३६९.००
१३	कलेक्शन अमीन ..	१–६–५९से२६–१२–५९	हुई	५५५.००
१४	कलेक्शन अमीन	७–८–५९से१२–४–६०	हुई	७५७.८९
१५	सहायक वासिल बाकी नवीस	१९–८–६०से३१–१२–६२	हुई (दो व्यक्तियों को)	२६३३.५० ३२४.००
१६	कलेक्शन अमीन	४–१०–६२से१८–२–६३	हुई	३३७.३८
१७	कलेक्शन चपरासी	१५–१०–६२से३–६–६३	हुई	४५६.००
१८	सहायक वासिल बाकी नवीस	२०–६–६३से९–१०–६३	हुई	३२९.०३
१९	कलेक्शन अमीन ..	१९–८–६३–से३०–९–६३	हुई	९६.७७

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

बस्ती जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में जिन-जिन सड़कों एवं पुलों का निर्माण होना है तथा उन पर जो व्यय होना है उसकी सूची

क्र०सं०	सड़क या पुल का नाम	अनुमानित लम्बाई जिसकी व्यवस्था तृतीय योजनाकाल में है	अनुमानित व्यय जिसकी व्यवस्था तृतीय योजना काल में है
१	२	३	४
	पुनः निर्माण		
		मी०फ०	
१	उस्का-नौगढ़ सड़क	..	३५,१२८
२	बस्ती-मेंहदावल	..	७९,०००
३	बस्ती-डुमरियागंज (१५ से १८ मील तथा २२ से २४ मी० तक)	१–० ३–०	९२,००२
४	खलीलाबाद-मेंहदावल (१३ से १५ मील तक)	६–०	८९,३००
५	खलीलाबाद-मेंहदावल (१ से ६ मील तक)	३–०	१,२०,०००
६	खलीलाबाद-मुखलिसपुर. . ..	६–०	६०,०००
७	बस्ती-बांसी (२० से १५ मील तक) ..	५–०	३,५०,०००
८	बस्ती-कलवारी टांडा (७ से ११ मील तक)	४–०	२,१०,०००
९	खलीलाबाद-मेंहदावल		२,४०,०००
१०	बस्ती-बांसी	७–०	४,००,०००
११	नौगढ़-सोहरतगढ़ और सोहरतगढ़-नैपाल बार्डर	१५–३	७,६०,०००
	कुल योग ..	५०–३	२४,३५,४३०
	नया निर्माण		
१	सी० सी० ट्रैक राउन्ड सूगर फैक्ट्री ..	२०–१–३३०	२,५१,७७७
२	हरैया-सेरमा ..		
३	बांसी-तलपुरवा	२–१–३३०	३६,६२३
४	बस्ती-डुमरियागंज	५–५–०	२,११,०००
५	बस्ती मेंहदावल	२–१–०	१,७३,१९१
६	तलपुरवा-इटवा तुलसीपुर बाया-विसोखार	१९–०–०	८,४४,०००
७	बांसी-मेंहदावल	१८–०–०	४,००,०००
८	डुमरियागंज-रुदौली	४–१–०	३,७०,३५४
९	उस्का-ब्रिजमानगंज	२–१–०	५३,४२८

क्रम-संख्या	सड़क या पुलों का नाम	अनुमानित लम्बाई जिसकी व्यवस्था तृतीय योजनाकाल में है	अनुमानित व्यय जिसकी व्यवस्था तृतीय योजना काल में है
१	२	३	४
१०—सूगर फैक्टरी एरिया में सी० सी० ट्रैक बभनान गौर			
११—बभनाम चारीघाट			
१२—पी० डब्ल्यू० डी० डुमरियागंज सड़क खैरखोरल तक			
१३—पंडिया-हनुमानगंज		१४—२—०	१,८७,८००
१४—गौरा-धनौरा			
१५—मैहसो-परिहंड			
१६—जगदीशपुर से समरियावान ..			
१७—मेहसन-महोली		१५—०—०	७,७२,१००
१८—सिकरीगंज-धनघटा, मुखलिशपुर तथा पीपों का पुल क्वानो नदी पर		१६—१—०	१८,०२,८००
१९—हरइया-बभनान सड़क परसपुर नवाबगंज तक		११—०—०	९,९०,०००
२०—ढिबरूआ-सोहरतगढ़ तथा उस पर पुल ..		१३—०—०	२८,३०,०००
२१—मोहन-लोटन-कुलवारी		१६—४—०	३५,००,०००
२२—बांवी-विसकोहर तुलसीपुर ..		१—४—०	१,१०,०००
२३—मेंहवावल-.कलमिनी		४—४—०	५,१५,०००
२४—सल्तवा-गोपालपुर		०—४—०	२७,०००
२५—वर्वदुर-पिपरिवा		२—०—०	१,१०,०००
कुल योग ..		१६७—६—०	१,३१,८५,०७३

पुलों का निर्माण—

क्रम-संख्या	सड़क या पुल का नाम	निर्माण-कार्य जो तृतीय योजना में होना है	व्यय जो तृतीय योजना में होना है
१—क्वानों नदी पर मुखलिशपुर पर पुल ..		१ नं०	३,०८,०१५
२—बूढ़ी राप्ती नदी पर पीपों का पूल मंचूरिया घाट पर		१ नं०	१,२६,०००
३—बस्ती-बढ़नी सड़क पर राप्ती नदी का पीपों का पुल डुमरियागंज पर		१ नं०	४७,०००
४—बस्ती बढ़नी सड़क पर डुमरियागंज पर राप्ती नदी का पुल		१ नं०	२३,००,०००
५—बस्ती बढ़नी सड़क पर मंचुरिया घाट पर बूढ़ी राप्ती नदी का पुल ..		१ नं०	
६—सोहरतगढ़-नैपाल बार्डर सड़क पर डोई नाला पर पुल		१ नं०	२,२०,०००
कुल योग ..		६ नं०	३०,०१,०१५

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३२ पर)

आजमगढ़ जिले में चालू वित्तीय वर्ष में बन रहे भवनों का विवरण तथा उनके प्रगति की सूची

क्र० सं०	विभाग तथा भवन का नाम	अनुमानित लागत	प्रगति
		रु०	
	शिक्षा विभाग—		
१	—सीनियर बेसिक बालिका विद्यालय, सरायमीर के भवन का निर्माण	८२,४००	१०० प्रतिशत
	चिकित्सा विभाग—		
१	—जिला महिला एवं नए संयुक्त चिकित्सालय भवन, आजमगढ़ का निर्माण	७,८०,०००	४० ,,
	औद्योगिक विभाग (जनरल)—		
१	—लघु-उद्योग संस्थान, आजमगढ़ ..	६,४१,५००	९० ,,
२	—ग्रामीण औद्योगिक संस्थान घोसी के भवन का निर्माण	१,७८,२००	१०० ,,
३	—बुनकर आवास मऊ का निर्माण ..	४,६३,६००	९५ ,,
	औद्योगिक विभाग (टेक्निकल एजूकेशन)—		
४	—न्यू डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट भवन का निर्माण—		
	(अ) मुख्य भवन तथा वर्कशाप ..	७,३३,३००	७५ ,,
	(ब) स्टाफ क्वार्टर तथा साइट डेवलपमेंट ..	२,३३,०१३	८० ,,
५	—जूनियर टेक्निकल स्कूल के भवन का निर्माण—		
	(अ) मेन बिल्डिंग तथा वर्कशाप ..	२,५०,०००	९० ,,
	(ब) स्टाफ क्वार्टर तथा साइट डेवलपमेंट	१,१६,०००	८७ ,,
६	—मॉडेल वोकिंग स्कूल मऊ के भवन का निर्माण	१,६१,०००	९५ ,,
	मिसलेनियस विभाग—		
१	—इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट भवन का निर्माण (अ) मेन बिल्डिंग तथा वर्कशाप ..	४,५१,४००	३० ,,
	पशुपालन विभाग —		
१	—शीप तथा ऊन स्टेशन सेंटर, लालगंज के भवन का निर्माण	१३,८००	७५ ,,
२	—कुक्कुटशाला का विस्तार	४६,३००	१०० ,,

क्र०सं०	विभाग तथा मकान का नाम		अनुमानित लागत	प्रगति
			रु०	
	पुलिस विभाग —			
१	घोसी थाने के भवन का निर्माण	..	६५,०००	९५ प्रतिशत
२	जौनपुर में चार विवाहित सिपाहियों के आवास गृह का निर्माण	.. ..	१०,०००	६० ,,
३	देवगांव में चार विवाहित सिपाहियों के आवासगृह का निर्माण	.. ..	१०,०००	६० ,,
४	मुबारकपुर में तीन विवाहित सिपाहियों के आवासगृह का निर्माण	..	७,५००	२५ ,,
५	तरवा में चार विवाहित सिपाहियों के आवासगृह का निर्माण	..	१०,०००	५५ ,,
६	महराजगंज में एक विवाहित सिपाही के आवास गृह का निर्माण	.. ..	२,५००	६५ ,,
७	दोहरीघाट में चार विवाहित सिपाहियों के आवासगृह का निर्माण	..	१०,०००	६५ ,,
८	मधुवन में एक विवाहित सिपाही के आवास गृह का निर्माण	.. ..	२,५००	५ ,,
९	अतरौलिया में पांच विवाहित सिपाहियों के आवास गृह का निर्माण	.. ..	१२,५००	१०० ,,
	सामुदायिक योजना कार्य—			
	ब्लाक हेडक्वार्टर भवनों का निर्माण			
१	तहवरपुर ब्लाक भवन का निर्माण	..	१,०४,०००	१०० ,,
२	अहरौला ब्लाक भवन का निर्माण	..	१,१०,०९९	७० ,,
३	रानी की सराय का निर्माण	..	१,०४,०००	१०० ,,
४	तरवा का निर्माण	..	१,०४,०००	१०० ,,
५	मेहनगर का निर्माण	..	१,०४,०००	१०० ,,
६	जहानागंज का निर्माण	..	१,०४,०००	९८.५ ,,
७	परदहा का निर्माण	..	१,०४,०००	७० ,,
८	रानीपुर का निर्माण	..	१,४३,६००	७० ,,
९	सठियांव	..	१,०४,०००	९० ,,
१०	पवई का निर्माण	..	१,०५,६६२	७ ,,
११	हरैया का निर्माण	..	१,०५,१२६	५ ,,
१२	मोहम्मदपुर का निर्माण	..	१,०४,०००	१ ,,
१३	माटिन गंज का निर्माण	..	१,०४,०००	१ ,,

१	२	३	४
		रु०	
प्राइमरी हेल्थ सेंटर भवनों का निर्माण			
१	बिलरिया गंज भवन का निर्माण ..	६२,०००	१०० प्रतिशत
२	अहरौला भवन का निर्माण ..	४०,०००	७५ ,,
३	अजमतगढ़ भवन का निर्माण ..	४०,०००	९५ ,,
४	रानी की सराय भवन का निर्माण ..	६२,०००	१०० ,,
५	तहवरपुर भवन का निर्माण ..	६२,०००	१०० ,,
६	तरवा भवन का निर्माण ..	६२,०००	६० ,,
७	मेहनगर भवन का निर्माण ..	६२,०००	८५ ,,
८	जहानागंज भवन का निर्माण ..	६२,०००	९५ ,,
जन-चिकित्सालय भवनों का निर्माण			
१	रानीपुर भवन का निर्माण	२०,०५०	३० ,,
२	बिलरियागंज और परदहा भवन का निर्माण	२०,०५०	१५ ,,
३	सठियाव भवन का निर्माण ..	२०,०५०	२० ,,
पशु-चिकित्सालय का निर्माण			
१	अजमतगढ़ भवन का निर्माण ..	९,०००	१०० ,,
२	बिलरिया गंज भवन का निर्माण ..	९,०००	१०० ,,
३	रानीपुर भवन का निर्माण	९,०००	७० ,,
४	सठियाव भवन का निर्माण	९,०००	१०० ,,

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर)

तालिका

ओवरसियरों के नाम	१५ अक्तूबर, १९६३ को उनके जिम्मे कार्य का विवरण
१	२
१—श्री ईश्वर दत्त पांडेय ..	गोरखपुर फरेंदा सड़क के २३ मील तक की वार्षिक मरम्मत, उसी का नवीनीकरण तथा रोहिन पुल के कर वसूली का निरीक्षण।
२—श्री राम कृष्ण वर्मा ..	गोरखपुर-फरेंदा सड़क के मील २४ से लेकर २८ तक वार्षिक मरम्मत, फरेंदा-महराजगंज सड़क के मील १ से १० तक का निर्माण कार्य तथा फरेंदा-नौतनवा सड़क के मील १ से ८ तक की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य।
३—श्री राजेन्द्र कुमार संघल	फरेंदा-थानी सड़क का नव निर्माण-कार्य।
४—श्री जय प्रकाश शर्मा	फरेंदा-नौतनवा सोनवली सड़क मील ९ से ३३ तक की मरम्मत एवं नवीनीकरण। नौतनवा ढूढीवारी सड़क का नव निर्माण।
५—श्री जगदीश सिंह	गोरखपुर-महराजगंज सड़क के मील १ से २८ तक की मरम्मत कटरारी बैलों श्रमदान सड़क की मरम्मत। भटहर-पिपराइच श्रमदान सड़क की मरम्मत।
६—श्री राम जी गुप्ता	गोरखपुर-महराजगंज सड़क के मील २९ से ३६ तक की मरम्मत एवं पुनः निर्माण। फरेंदा-महाराजगंज सड़क के मील ११ से १९ तक का नव निर्माण।
७—श्री देवकीनन्दन राठी ..	महराजगंज-निचलौल ढूढीवारी सड़क की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, सिसवां-निचलौल सड़क की मरम्मत।
८—श्री जुबेर अहमद	विकास खंड पनियरा के भवन का निर्माण।
९—श्री श्यामा चरन सिंह	गोरखपुर स्टोर गोरखपुर देवरिया सड़क मील १ से १९ सौनबरसा—सरदार नगर सड़क की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, चौरीचौरा—नेटवार सी०सी० ट्रैक का निर्माण, विकास भवन सरदार नगर का निर्माण, गोरखपुर—कसया सड़क एवं स्टेशन रोड नगर पालिका के अन्दर की मरम्मत।
१०—श्री राजबली लाल	गोरखपुर कसया सड़के १५ मील तक की मरम्मत, बैला-सोनवरसा सी०सी० ट्रैक।
११—श्री कृष्ण मुरारी लाल	हावर्ट बांध, मलौनी बांध के मील १ से १० तक निर्माण एवं मरम्मत।

ओवरसियरों के नाम	१५ अक्टूबर, १९६३ को उनके जिम्मे कार्य का विवरण	
१	२	
१२—श्री फजलूर रहमान	मलौनी बान्ध मील ११ से १९ तक मरम्मत एवं निर्माण, रिटायर्ड बांध मील ११ से १२, १५.१८ तथा रिंग बांध १५.१६ का निर्माण	
१३—श्री रोहिनी कुमार श्रीवास्तव	सिसवा हाटा सी०सी० ट्रंक	१६ मील
	सिसवा हेवती	२ मील
	सिसवा शिवदत्त छपरा	३ मील
	बरबा रामपुर	४ मील
	पोहरिया कावासार	६ मील
	धुधली सिसवा मरम्मत एवं निर्माण	१६ मील
१४—श्री मुहम्मद अली सिद्दीकी	पिपराईच कुसमी सी०सी०ट्रंक	७ मील
	पिपराइच मझना नाला	७ मील
	पिपराइच बसाघी	५ मील
	तुलसीदेव सराय गुलरिया	७ मील
	हरखपुर रामपुर माफी	३ मील
१५—श्री राजेंद्र कुमार जैन	फरेंदा नौतनवा मार्ग	
	नौतनवा सोनौली मार्ग	
	नौतनवा अविरी मार्ग	
	निम्नतर माध्यमिक कन्या विद्यालय का निर्माण-कार्य	
	प्रथम सोपान ब्लाक (Stage I) रतनपुर का निर्माण-कार्य	
१६—श्री कमला प्रसाद सिंह	मलौनी बांध का सर्वेक्षण ।	
१७—श्री रामा कांत सिंह	मलौनी बांध का सर्वेक्षण	
१८—श्री हृदय नारायण राम	११-१०-६३ को श्री राम कृष्ण वर्मा, अधिदर्शक फरेंदा से चार्ज लेने के लिये आज्ञा दी गयी और ११-१०-६३ को ही उन्हें फरेंदा में चार्ज लेने के लिय अवमुक्त कर दिया गया। श्री आर० के० वर्मा से जिन्हें अनुलम्बित करने का आदेश दिया जा चुका है इन्होंने २३-१०-६३ में पूर्ण चार्ज लिया ।	
१९—श्री दिलीप कुमार नन्दी	कंप्यूटर के साथ पिछड़े हुए कार्य को करने का कार्य अधिशासी अभियंता के कार्यालय में ।	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२८ एल० ए०—१९६४—८६० ।